मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 मई 2010—वैशाख 17, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

संसद के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2009

क्र. 1686क-इक्कीस-अ-वि.स.-2009.—भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत का राजपत्र असाधारण दिनांक 25 जुलाई, 2008 भाग 2 अनुभाग 1क, खण्ड XLIV सं. 3 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिनियम :—

1. भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 37);
2. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 43);
3. वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 44);
4. बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 45);
5. भारतीय बायलर (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 49);
6. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 50);

7. संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 51);

8. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 52);

9. सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 53);

10. सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007
(2007 का अधिनियम संख्यांक 55);

11. परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008
(2008 का अधिनियम संख्यांक 9);

12. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
संशोधन अधिनियम, 2008
(2008 का अधिनियम संख्यांक 12);

13. खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008
(2008 का अधिनियम संख्यांक 13);

14. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन)
अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 14);

15. प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2008
(2008 का अधिनियम संख्यांक 15);

के हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जायेंगे, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किये जाते हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश मालवीय, उपसचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2008/3 श्रावण, 1930 (शक)

(1) दि वेयरहाऊसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) ऐक्ट, 2007; (2) दि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज (स्पेशल प्रोवीजन्स) ऐक्ट, 2007; (3) दि एयरक्राफ्ट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (4) दि पेमेंट ऑफ बोनस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (5) दि इंडियन बायलर्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2007; (6) दि टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनरशिप) ऐक्ट, 2007; (7) दि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ऐक्ट, 2007; (8) दि इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2007; (9) दि सशस्त्र सीमा बल ऐक्ट, 2007; (10) दि आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ऐक्ट, 2007; (11) दि डिलिमिटेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2008; (12) दि प्रसार भारती (ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2008; (13) दि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2008; (14) दि कांस्टिट्यूशन (शेडयूल्ड ट्राइब्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2008; और (15) दि मैटरनिटिबैनिफिट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2008; के निम्नलिखित हिन्दू अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)
New Delhi, July 25, 2008/Sravana 3, 1930 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely :—(1) The Warehousing (Development and Regulation)Act, 2007; (2) the National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Act, 2007; (3) the Aircraft (Amendment) Act, 2007; (4) The payment of Bonus (Amendment) Act, 2007; (5) The Indian Boilers (Amendment) Act, 2007; (6) The Tyre Corporation of India Limited (Disinvestment of Ownership) Act, 2007; (7) The payment and settlement Systems Act, 2007; (8) The Indira Gandhi National Tribal University Act, 2007; (9) The Sashatra Seema Bal Act, 2007; (10) The Armed Forces Tribunal Act, 2007; (11) The Delimitation (Amendment) Act, 2008; (12) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Act, 2008; (13) The Food Safety and Standards (Amendment) Act, 2008; (14) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Act, 2008; and (15) The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2008 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963, (19 of 1963) :—

भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 37)

[19 सितंबर, 2007]

भाण्डागारों के विकास और विनियमन, भाण्डागार रसीदों की परक्राम्यता, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1
प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भाण्डागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर, संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रत्यायन अभिकरण" से, धारा 5 के अधीन प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत अभिकरण, चाहे उसका गठन कैसा भी हो, अभिप्रेत है;

(ख) "अनुयोज्य दावे" का वही अर्थ है, जो संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 में है; 1882 का 4

(ग) "प्राधिकरण" से धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(घ) "जमाकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भाण्डागारपाल को भंडारकरण के लिए माल का परिदान करता है;

(ङ) "पृष्ठांकिती" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको भाण्डागार रसीद परक्रामित की जाती है;

(च) "पृष्ठांकन" से भाण्डागार रसीद पर जमाकर्ता या भाण्डागार रसीद के धारक द्वारा उसके परक्रामण के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर किया जाना अभिप्रेत है;

(छ) सूचना के संदर्भ में "इलैक्ट्रानिक रूप" से, मीडिया, चुम्बकीय, प्रकाशीय, कम्प्यूटर मेमॉरी, माइक्रोफिल्म, कम्प्यूटर जनित माइक्रो फिश या वैसी ही किसी युक्ति द्वारा जनित, भेजी गई, प्राप्त की गई या एकत्रित की गई कोई सूचना अभिप्रेत है;

(ज) "प्रतिमोच्य माल" से ऐसा माल अभिप्रेत है, जिसकी कोई इकाई, प्रकृति या व्यापार की प्रथा के कारण, वैसी ही किसी इकाई के समतुल्य है और जिन्हें किसी भाण्डागारपाल द्वारा प्रतिमोच्य माल के रूप में प्राप्त किया जाता है;

(झ) "माल" से सभी मूर्त जंगम माल (अनुयोज्य दावों, धन और प्रतिभूतियों से भिन्न) अभिप्रेत है, चाहे वह प्रतिमोच्य हो या नहीं;

(ञ) "श्रेणी" से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रेणी अभिधान के रूप में यथा अधिसूचित किसी माल का क्वालिटी मानक अभिप्रेत है; 1937 का 1

(ट) "धारक" से अभिप्रेत है—

(i) किसी परक्राम्य भाण्डागार रसीद के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके कब्जे में ऐसी रसीद है और जिसके माल का अधिकार उस रसीद पर पृष्ठांकित है; और

(ii) किसी अपरक्राम्य भाण्डागार रसीद के संबंध में ऐसा कोई व्यक्ति, जो उसमें ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे माल परिदत्त किया जाना है या उस व्यक्ति के समनुदेशिती के रूप में नामित है;

(ठ) "सदस्य" से प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(ड) "परक्राम्य भाण्डागार रसीद" से भाण्डागार की ऐसी रसीद, जिसके अधीन उसमें वर्णित माल जमाकर्ता को परिदान किए जाने योग्य है या आदेश अभिप्रेत हैं जिसका पृष्ठांकन उसके द्वारा वर्णित माल के अंतरण का प्रभाव रखता है और पृष्ठांकिती को जिसके लिए सही हक प्राप्त होता है;

(ढ) "अपरक्राम्य भाण्डागार रसीद" से परक्राम्य भाण्डागार रसीद से भिन्न कोई भाण्डागार रसीद अभिप्रेत है ;

(ण) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(त) ''व्यक्ति'' के अन्तर्गत कोई फर्म, सहकारी सोसाइटी या कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय भी है, चाहे निगमित हो या नहीं ;

(थ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(द) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम अभिप्रेत है ;

(ध) ''भाण्डागार'' से सभी अपेक्षाओं के, जिनमें प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट जनशक्ति सम्मिलित है, अनुरूप ऐसा कोई परिसर (किसी संरक्षित स्थान सहित) अभिप्रेत है, जिसमें भाण्डागारपाल, जमाकर्ता द्वारा जमा किए गए माल को अभिरक्षा में लेता है और इसके अंतर्गत तापमान और आर्द्रता की नियंत्रित दशाओं के अधीन माल के भण्डारण का स्थान भी है ;

(न) ''भाण्डागारण कारबार'' से माल के भण्डारण के लिए भाण्डागार रखने और परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने का कारबार अभिप्रेत है ;

(प) ''भाण्डागार रसीद'' से किसी भाण्डागारपाल या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि (जिसके अंतर्गत जमाकर्ता, चाहे जिस नाम से ज्ञात हों, भी हैं) द्वारा जारी की गई ऐसे माल के भण्डारण की रसीद जिसका स्वामी भाण्डागारपाल नहीं है, लिखित में या इलैक्ट्रानिक रूप में कोई अभिस्वीकृति अभिप्रेत है ;

(फ) ''भाण्डागारपाल'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसको किसी भाण्डागार या भाण्डागारों के संबंध में प्राधिकरण या प्रत्यायन अभिकरण द्वारा भाण्डागारण कारबार चलाने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है।

अध्याय 2

भाण्डागारण कारबार का विनियमन

परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने वाले भाण्डागारों के लिए रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा।

3. (1) कोई व्यक्ति भाण्डागारण कारबार तब तक प्रारंभ नहीं करेगा या कारबार नहीं करेगा, जब तक कि वह संबंधित भाण्डागार या भाण्डागारों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं कर लेता है :

परन्तु जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व भाण्डागारण कारबार कर रहा है, वहां उसे उस दशा में ऐसा कारबार करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, यदि उसने ऐसे प्रारंभ की तारीख के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर दिया है:

परन्तु यह और कि कोई ऐसा रजिस्ट्रीकरण ऐसे भाण्डागारों के लिए अपेक्षित नहीं होगा, जो परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत भाण्डागार अपरक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने के लिए भी पात्र होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण उसके द्वारा जारी किए गए विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अधीन रहते हुए, धारा 5 के अधीन प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति को, परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने वाले भाण्डागार का कारबार चलाने के लिए किसी व्यक्ति को प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

भाण्डागारों का रजिस्ट्रीकरण।

4. (1) परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने वाले किसी भाण्डागार का कारबार प्रारंभ करने या कारबार करने का इच्छुक व्यक्ति, अपने स्वामित्वाधीन या अधिभोग में एक या अधिक भाण्डागारों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में ऐसे निबन्धनों और शर्तों तथा ऐसी फीस के साथ होगा, जो विहित की जाए।

(3) प्राधिकरण, आवेदक को, ऐसी जांच करने के पश्चात् और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन

रहते हुए, जो वह ठीक समझे, विहित प्ररूप में उसको भाण्डागार या भाण्डागारों का कारबार करने के लिए और परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने के लिए प्राधिकृत करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा जिस पर रजिस्ट्रीकरण संख्या होगी।

(4) प्राधिकरण, इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं करेगा, जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि वह भाण्डागार जिसके संबंध में आवेदन किया गया है, आवेदन में विनिर्दिष्ट प्रकृति के माल के भाण्डागारण के लिए अपेक्षित पर्याप्त सुविधाएं और रक्षोपाय हैं और आवेदक वित्तीय, प्रबंधकीय और अन्य पात्रता संबंधी कसौटियों और सक्षमताओं को जो विनिर्दिष्ट की जाएं, पूरा करता है:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र देने से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

प्रत्यायन अभिकरणों का रजिस्ट्रीकरण।

5. (1) प्राधिकरण, समय-समय पर प्रत्यायन अभिकरणों की संख्या अवधारित करेगा जिन्हें वह परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने वाले भाण्डागारों को प्रत्यायन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो ऐसी अर्हताएं और अन्य अपेक्षाएं पूरी करता है, जो विहित की जाएं और जो इस अधिनियम के अधीन प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कृत्य करने का इच्छुक है, इस अधिनियम के अधीन उस रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा करते हुए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा और उसके साथ ऐसी फीस और प्रतिभूति निक्षेप होगा, जो विहित किया जाए।

(4) वह प्ररूप जिसमें और वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा, ऐसी होंगी जो विहित की जाए।

अध्याय 3

भाण्डागारपाल

भाण्डागारपालों के दायित्व।

6. (1) भाण्डागारपाल, माल की ऐसी हानि या ऐसे नुकसान के लिए दायी है, जो माल के संबंध में ऐसी सतर्कता और तत्परता का, जो उसी प्रपुंज, क्वालिटी और मूल्य के माल के सावधान और सतर्क स्वामी के रूप में, वैसी ही दशाओं में, अपनी अभिरक्षा में माल के लिए प्रयोग करता, प्रयोग करने में उसकी असफलता के कारण हुआ है।

(2) यदि भाण्डागारपाल द्वारा सभी सतर्कता और पूर्वाविधानियां बरतने के बावजूद, अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण माल को नुकसान या हानि होती है तो माल के जमा करने के समय माल के मूल्य के बराबर भाण्डागारपाल द्वारा प्रतिकर संदेय होगा।

(3) यदि भाण्डागारपाल की उपेक्षा के कारण माल को नुकसान या हानि होती है तो प्रतिकर, माल के मूल्य और रसीद के धारक को, लाभ की हानि के बराबर होगा।

(4) भाण्डागारपाल, ऐसी परिस्थितियों जैसे अनिवार्य बाध्यता, युद्ध की कार्रवाई, लोक शत्रुओं के कार्य और उसी प्रकार की कार्रवाई से हुई भण्डारण के लिए उसे परिदत्त माल की किसी हानि, विनाश, नुकसान या क्षय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

भाण्डागारपालों के कर्तव्य।

7. (1) किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु की अनुपस्थिति में भाण्डागारपाल, किसी परक्राम्य रसीद में निर्दिष्ट माल का, रसीद के धारक द्वारा मांग किए जाने पर रसीद के धारक को और धारक द्वारा निम्नलिखित सभी शर्तें पूरा करने पर, परिदान किया जाएगा अर्थात्:—

(क) भाण्डागार के धारणाधिकार का समाधान करना;

(ख) अपरक्राम्य रसीद की दशा में, रसीद का अभ्यर्पण करना और परक्राम्य रसीद की दशा में रसीद का पृष्ठांकनों सहित अभ्यर्पण करना; और

(ग) माल की रसीद की लिखित में अभिस्वीकृति देना।

(2) यदि कोई भाण्डागारपाल, इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में माल का परिदान करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो, इंकार करने या असफलता के लिए किसी विधिपूर्ण प्रतिहेतु के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए साबित करने का भार भाण्डागारपाल पर होगा।

भाण्डागारपाल के भाण्डागार कारबार के अभिलेखों और लेखाओं को रखने के कर्तव्य।

8. (1) प्रत्येक भाण्डागारपाल, भाण्डागार के प्रचालन से संबंधित सभी संव्यवहारों के पूरे और सही अभिलेखों और लेखाओं का सैट जिसके अंतर्गत भाण्डागार में प्राप्त और उससे वापस लिए गए सभी माल, उसके कब्जे में जारी न की गई सभी रसीदों, उसके द्वारा जारी की गई, लौटाई गई और रद्द की गई सभी रसीदों के अभिलेख और लेखे भी हैं, किसी सुरक्षित स्थान में रखेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भाण्डागारपाल, भाण्डागार कारबार के सभी अभिलेख और लेखे किसी अन्य कारबार के अभिलेखों और लेखाओं से पृथक् और सुभिन्न संख्यात्मक श्रृंखला में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी अवधि के लिए, जो प्राधिकरण, विनियमों द्वारा निर्दिष्ट करे, रखेगा।

(3) भाण्डागारपाल, भाण्डागार कारबार के अभिलेखों और लेखाओं को, किसी भी समय जब भी प्राधिकरण द्वारा वांछा की जाए, निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा।

विनश्वर और परिसंकटमय माल के संबंध में कार्रवाई करने की भाण्डागारपाल की विशेष शक्तियां।

9. (1) यदि माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति के हैं या उनके रखने से मूल्य में बड़ा ह्रास होगा अथवा अन्य संपत्ति को नुकसान होगा तो भाण्डागारपाल, माल के लिए रसीद के धारक को, यदि धारक का नाम और पता भाण्डागारपाल को ज्ञात है अथवा यदि भाण्डागारपाल को ज्ञात नहीं है तब जमाकर्ता को, ऐसी सूचना दे सकेगा जो उन परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त और संभव है, जिसमें उस व्यक्ति से माल पर धारणाधिकार का समाधान करने और भाण्डागार से उन्हें हटाने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) यदि वह व्यक्ति जिसको उपधारा (1) के अधीन सूचना दी जाती है, सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर धारणाधिकार का समाधान करने और माल को हटाने में असफल रहता है तो भाण्डागारपाल, विज्ञापन के बिना लोक या प्राइवेट विक्रय द्वारा माल का विक्रय कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूचना, इलैक्ट्रानिक डाक, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या टैलिग्राफिक रूप से उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए जिसको वह, उस व्यक्ति के अंतिम ज्ञात पते पर दी जानी है, भेजी जा सकेगी और सूचना, डाक भेजने के तीसरे दिन दे दी गई समझी जाएगी।

(4) यदि भाण्डागारपाल युक्तियुक्त प्रयास के पश्चात् माल का विक्रय करने में असमर्थ है तो भाण्डागारपाल, उनका ऐसी अन्य रीति में जिसे वह समुचित समझे, व्ययन कर सकेगा और उस कारण से उस पर कोई दायित्व उपगत नहीं करेगा।

(5) इस धारा के अधीन किए गए माल के विक्रय या व्ययन के आगमों से, भाण्डागारपाल अपने धारणाधिकार का समाधान करने के पश्चात् बकाया को रसीद के धारक के लिए न्यास में रखेगा।

(6) यदि भाण्डागारपाल का युक्तियुक्त आधारों पर यह समाधान हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों में, ऐसी सूचनाएं देने से माल पर और प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो कोई सूचना, आवश्यक नहीं होगी।

(7) यदि किसी समय भाण्डागारपाल का यह समाधान हो जाता है कि किसी प्रतिमोच्य माल या उसके किसी भाग का इस प्रकार क्षय हो गया है या इस प्रकार क्षय हो रहा है कि परक्राम्य भाण्डागार रसीदों के धारकों को हानि से बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक है और उनसे अनुदेश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है तो वह, इस निमित्त इन विनियमों के अधीन रहते हुए, माल या उसके किसी भाग का व्ययन कर सकेगा और रसीदों के धारकों के फायदे के लिए किसी निलम्ब लेखा में अपने धारणाधिकार का समाधान करने के पश्चात् विक्रय आगम रख सकेगा।

(8) उपधारा (7) के अधीन प्रतिमोच्य माल के व्ययन की दशा में भाण्डागारपाल, रसीद के धारक के विकल्प पर या तो विक्रय आगम का संदाय करेगा या उसको उसी श्रेणी, क्वालिटी और मात्रा में माल के समतुल्य माल का परिदान करेगा।

(9) किसी पृष्ठांकिती को, भाण्डागारपाल के पास अभिलिखित सेवा के लिए पते को सूचित करने का अधिकार होगा।

माल पर भाण्डागारपाल का धारणाधिकार।

10. (1) प्रत्येक भाण्डागारपाल का, भंडारण के लिए उसके पास जमा माल पर धारणाधिकार होगा चाहे वह माल के स्वामी द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा या स्वामी द्वारा या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसे उसके अधिकर्ता द्वारा माल का कब्जा सौंपा गया है, जमा किया गया है।

(2) भाण्डागारपाल का धारणाधिकार, भंडारण और अनुरक्षण प्रभारों की रकम के लिए है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

(क) माल के भंडारण और परिरक्षण के लिए सभी विधिपूर्ण प्रभार;

(ख) निम्नलिखित के लिए सभी युक्तियुक्त प्रभार—

(i) ऐसी सूचना जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन दिया जाना अपेक्षित है;

(ii) विक्रय की सूचना और विज्ञापन;

(iii) माल का विक्रय जहां भाण्डागारपाल के धारणाधिकार का समाधान करने में व्यतिक्रम किया गया है; और

(iv) कानूनी उपबंधों का अनुपालन।

(3) यदि किसी परक्राम्य भाण्डागार रसीद के मुख पृष्ठ पर किसी बैंक द्वारा या भाण्डागारपाल द्वारा कोई पृष्ठांकन किया जाता है तो ऐसा पृष्ठांकन, किसी गिरवी का साक्ष्य होगा और गिरवीदार को रसीद के धारक के हित के मुकाबले अग्रता होगी।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी गिरवी की दशा में, भाण्डागारपाल माल का तब तक परिदान नहीं करेगा जब तक गिरवी का पृष्ठांकन सम्यक् रूप से रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(5) यदि माल, भंडारण की घोषित अवधि के भीतर वापस नहीं लिया जाता है तो भाण्डागारपाल को ऐसे किसी माल का, जिस पर उसका धारणाधिकार है, लोक नीलामी द्वारा या इस धारा में उपबंधित किसी अन्य रीति में माल का विक्रय करके अपने प्रभारों को वसूल करने का अधिकार होगा।

(6) भाण्डागारपाल, उस व्यक्ति को, जो उन प्रभारों के लिए जिनके लिए धारणाधिकार विद्यमान हैं, ऋणी के रूप में उत्तरदायी है, या स्वामी को या माल पर संपत्ति का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को, माल का विक्रय करने के अपने आशय की लिखित में सूचना देगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन सूचना में,—

(क) माल के संबंध में सभी ब्यौरे, भाण्डागार का अवस्थान, जमा करने की तारीख, जमाकर्ता का नाम और भाण्डागार में भंडार किए गए माल के लिए भाण्डागारपाल द्वारा दावा किए गए धारणाधिकार का विवरण अंतर्विष्ट होगा;

(ख) यह कथन होगा कि जब तक सूचना में उल्लिखित नियत समय के भीतर प्रभार संदत्त नहीं किए जाते हैं तब तक माल को सूचना में यथाविनिर्दिष्ट किसी समय और स्थान पर विक्रय के लिए विज्ञापित नहीं किया जाएगा और लोक नीलामी द्वारा विक्रय नहीं किया जाएगा।

(8) यदि प्रभार, सूचना में उल्लिखित तारीख को या उससे पूर्व, संदत्त नहीं किए जाते हैं तो, तब तक, जब तक कि प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विक्रय का कोई अन्य ढंग विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, विक्रय का कोई विज्ञापन उस परिक्षेत्र में जहां विक्रय किया जाना हैं और साथ ही जहां माल का स्वामी अवस्थित है, परिचालित किसी अग्रणी समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और विक्रय, विज्ञापन के प्रथम प्रकाशन की तारीख से चौदह दिन से पहले नहीं किया जाएगा।

(9) भाण्डागारपाल, विक्रय के आगमों से अपने धारणाधिकार का समाधान करेगा और अधिशेष का, यदि कोई हो, उसके हकदार व्यक्ति को संदाय करेगा।

(10) यदि उसके हकदार व्यक्ति द्वारा, माल के विक्रय के पश्चात् दस दिन के भीतर अधिशेष की मांग नहीं की जाती है या जहां विभिन्न दावे हैं, तो भाण्डागारपाल प्राधिकरण से अनुदेश प्राप्त करेगा और प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

अध्याय 4

भाण्डागार रसीदें

भाण्डागार रसीदें।

11. (1) भाण्डागार रसीद जो या तो लिखित में या इलैक्ट्रानिक रूप में हो सकेगी, लिखित में माल के हक का दस्तावेज होगी यदि उसमें निम्नलिखित सभी विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं, अर्थात्:—

(क) रसीद संख्यांक;

(ख) भाण्डागार रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और वह तारीख जिस तक यह विधिमान्य है;

(ग) भाण्डागार का नाम और उसका डाक का पूरा पता;

(घ) उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा या जिसकी ओर से माल जमा किया जाता है;

(ङ) भाण्डागार रसीद जारी करने की तारीख;

(च) यह कथन कि प्राप्त माल का उसके धारक को परिदान किया जाएगा या माल का किसी नामित व्यक्ति के आदेश से परिदान किया जाएगा;

(छ) भंडारण प्रभारों और उठाई-धराई प्रभारों की दरें;

(ज) माल या पैकेजों का वर्णन, जिनमें वह माल है और उसके साथ माल की मात्रा और क्वालिटी या श्रेणी की विशिष्टियां होंगी;

(झ) जमा करने के समय माल का बाजार मूल्य;

(ञ) माल या पैकेजों पर जमाकर्ता का प्राइवेट चिह्न यदि कोई हो, प्रतिमोच्य माल की दशा के सिवाय;

(ट) अग्नि, बाढ़, चोरी, सेंधमारी, दुर्विनियोग, बलवे, हड़तालों या आतंकवाद के कारण क्षतिपूर्ति करने वाली बीमा कंपनी का नाम;

(ठ) भाण्डागार रसीद परक्राम्य है या अपरक्राम्य;

(ड) दिए गए किसी अग्रिम की रकम और उपगत किसी दायित्व का विवरण जिसके लिए भाण्डागारपाल अपने धारणाधिकार का दावा करता है;

(ढ) भाण्डागारपाल या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर और तारीख;

(ण) माल की घोषित पुलिन अवधि;

(त) यह तथ्य कि भाण्डागारपाल भंडारण के लिए जमा किए गए माल पर धारणाधिकार रखता है और प्रहस्तन प्रभार; और

(थ) रसीद केवल माल की जिसके लिए वह जारी की जाती है घोषित पुलिन अवधि के अवसान की तारीख तक विधिमान्य होगी।

(2) यदि, भाण्डागारपाल, जानबूझकर किसी परक्राम्य भाण्डागार रसीद से उपधारा (1) में उपवर्णित विशिष्टियों में से किसी का लोप करता है तो वह ऐसे लोप से कारित नुकसानी के लिए दायी होगा।

(3) कोई भी भाण्डागार रसीद, केवल उपधारा (1) में उपवर्णित किसी विशिष्टि के लोप के कारण विवादों या दावों के निपटान के प्रयोजन के लिए, अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

(4) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, सभी या किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग के लिए अथवा भाण्डागारों के किसी वर्ग के लिए, उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों में जोड़ सकेगा, उन्हें हटा सकेगा या उनको उपांतरित कर सकेगा।

भाण्डागार रसीदों की परक्राम्यता।

12. (1) परक्राम्य भाण्डागार रसीद में उसकी परक्राम्यता को सीमित करने वाले शब्द शून्य होंगे।

(2) भाण्डागारपाल जो अपरक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी करता है, उसके मुखपृष्ठ पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में "नॉन-नेगोसिएबल" या "नॉट-नेगोसिएबल" शब्द, अंग्रेजी में या उस भाषा में, जिसमें यह जारी की गई है, चिह्नित कराएगा।

(3) उपधारा (2) के अननुपालन की दशा में भाण्डागार रसीद का कोई धारक, जो उसे परक्राम्य भाण्डागार रसीद मानते हुए मूल्यवान प्रतिफल के लिए, क्रय करता है तो वह अपने विकल्प पर उस रसीद को किसी परक्राम्य भाण्डागार रसीद से संबद्ध सभी अधिकार निहित करने वाली और भाण्डागारपाल पर वही दायित्व अधिरोपित करने वाली मान सकेगा जो उसे उस समय उपगत होते जब रसीद परक्राम्य भाण्डागार रसीद होती और भाण्डागारपाल तद्नुसार दायी होगा।

(4) कोई परक्राम्य भाण्डागार रसीद, उस माल की जिसके लिए यह जारी की जाती है, घोषित पुलिन अवधि के अवसान की तारीख तक परिदान के लिए विधिमान्य होगी।

परिदान द्वारा भाण्डागार रसीद का परक्रामण।

13. परक्राम्य भाण्डागार रसीद इसके परिदान द्वारा परक्रामित की जा सकेगी यदि रसीद के निबंधनों द्वारा भाण्डागारपाल, नामित व्यक्ति के आदेश से माल का परिदान करने का वचन देता है और उस व्यक्ति या किसी पश्चात्वर्ती पृष्ठांकिती ने उसको पृष्ठांकित किया है।

पृष्ठांकन के बिना परक्राम्य भाण्डागार रसीदों का अंतरण।

14. जहां कोई परक्राम्य रसीद, परिदान द्वारा मूल्यवान प्रतिफल के लिए अंतरित की जाती है, और अंतरक का पृष्ठांकन परक्रामण के लिए आवश्यक है वहां अंतरिती, अंतरक के विरुद्ध उस रसीद को पृष्ठांकित करने के लिए बाध्य करने का अधिकार अर्जित करता है जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय प्रकट नहीं होता है और परक्रामण उस समय प्रभावी हो जाता है जब पृष्ठांकन किया जाता है।

भाण्डागार रसीद के परक्रामण पर वारंटी।

15. ऐसा व्यक्ति जो मूल्यवान प्रतिफल के लिए, पृष्ठांकन और परिदान द्वारा, किसी परक्राम्य भाण्डागार रसीद का परक्रामण करता है, जिसके अंतर्गत वह भी सम्मिलित है जो मूल्यवान प्रतिफल के लिए रसीद द्वारा प्रत्याभूत दावा समनुदेशित करता है, जब तक कि कोई प्रतिकूल आशय प्रकट न हो, निम्नलिखित की वारंटी देता है कि:—

(क) रसीद असली है;

(ख) व्यक्ति के पास परक्रामण करने या उसे अंतरित करने का विधिक अधिकार है;

(ग) व्यक्ति को किसी ऐसे तथ्य का ज्ञान नहीं है जो रसीद की विधिमान्यता को कम करता हो;

(घ) व्यक्ति के पास माल के हक के अंतरण का अधिकार है; और

(ङ) माल वाणिज्यिक है या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयुक्त है जब वे वारंटियां अंतर्निहित हों यदि पक्षकारों की संविदा, उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए माल का रसीद के बिना अंतरण करने के लिए थी।

पृष्ठांकनकर्ता का दायित्व न होना।

16. रसीद का पृष्ठांकन, पृष्ठांकनकर्ता को, भाण्डागारपाल या रसीद के पूर्ववर्ती पृष्ठांकनकर्ता की ओर से किसी असफलता के लिए उनकी संबंधित बाध्यताओं को पूरा करने के लिए दायी नहीं बनाएगा।

कपट, भूल या विबाध्यता द्वारा भाण्डागार रसीद की परक्राम्यता का कम न होना।

17. रसीद के परक्राम्य की विधिमान्यता इस तथ्य से कम नहीं होगी कि:—

(क) परक्रामण, परक्रामण करने वाले व्यक्ति की ओर से कर्तव्य का उल्लंघन था; या

(ख) रसीद के स्वामी को, कपट, भूल या विबाध्यता द्वारा उस व्यक्ति को रसीद का कब्जा या अभिरक्षा सौंपने के लिए उत्प्रेरित किया गया था, यदि उस व्यक्ति ने जिसको रसीद परक्रामित की

गई थी या उस व्यक्ति ने, जिसको रसीद बाद में परक्रामित की गई थी, कर्तव्य के उल्लंघन, कपट, भूल या विबाध्यता को जाने बिना, मूल्य का संदाय कर दिया है।

भाण्डागार रसीदों का पश्चात्वर्ती परक्रामण।

18. यदि कोई व्यक्ति ऐसे माल का, जो किसी भाण्डागारपाल की अभिरक्षा में है और जिसके लिए परक्राम्य रसीद जारी कर दी गई है, विक्रय करने, उसे बंधक या गिरवी रखने के पश्चात्, परक्राम्य रसीद पर कब्जा बनाए रखता है तो उस व्यक्ति द्वारा मूल्यवान प्रतिफल के लिए और पूर्ववर्ती विक्रय, बंधक या गिरवी की सूचना के बिना सद्भावपूर्वक रसीद प्राप्त करने वाले व्यक्ति को माल के किसी विक्रय या अन्य व्ययन के अधीन उस माल के पश्चात्वर्ती परक्रामण का वही प्रभाव होगा मानो 'यथास्थिति' माल के किसी पूर्ववर्ती क्रेता, बंधकदार या गिरवीदार ने पश्चात्वर्ती परक्रामण को स्पष्ट रूप से प्राधिकृत कर दिया था।

माल का देय प्रभारों का संदाय करने के पश्चात् परिदान किया जाना।

19. जब किसी माल के संबंध में, कोई परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी कर दी गई है, तब भाण्डागारपाल जमाकर्ता या पृष्ठांकिती को माल का तब तक परिदान नहीं करेगा जब तक कि अभिरक्षक को आरंभिक जमा करने की तारीख से परिदान किए जाने की तारीख तक के लिए देय प्रभारों का संदाय नहीं कर दिया जाता है और परक्राम्य भाण्डागार रसीद रद्दकरण के लिए अभ्यर्पित नहीं कर दी जाती है।

अपरक्राम्य रसीदों का अंतरण।

20. (1) अपरक्राम्य भाण्डागार रसीद, धारक द्वारा निष्पादित लेख द्वारा, माल के क्रेता या आदाता को परिदान द्वारा, धारक द्वारा अंतरित की जा सकेगी।

(2) कोई व्यक्ति, जिसको किसी अपरक्राम्य भाण्डागार रसीद के अंतर्गत आने वाले माल को अंतरित किया जाता है,—

(क) माल के अंतरक का हक अर्जित कर लेता है; और

(ख) रसीद या उसकी अनुलिपि को भाण्डागारपाल के पास जमा करने का या भाण्डागारपाल को अंतरण की लिखित में सूचना देने का अधिकार अर्जित कर लेता है।

(3) अंतरक, माल का अंतरण जमा कर देने पर और अंतरण की लिखित सूचना देने पर और भाण्डागारपाल को अंतरण का सत्यापन करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् रसीद के निबंधनों के अनुसार, उसके लिए माल को भण्डारण में रखने की भाण्डागारपाल की बाध्यता का फायदा अर्जित करेगा।

परक्राम्य भाण्डागार रसीद की निश्चायकता।

21. किसी ऐसे धारक के पास, जिसने मूल्यवान प्रतिफल के लिए परक्राम्य भाण्डागार रसीद क्रय की है, वह, भाण्डागारपाल या उसके माध्यम से दावा करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसमें वर्णित माल के लिए निश्चायक साक्ष्य होगा।

कतिपय दशाओं में उपधारणा।

22. परक्राम्य भाण्डागार रसीद के पृष्ठांकनकर्ता और उसके पृष्ठांकिती के बीच किसी विवाद में जब तक अन्यथा साबित नहीं हो जाता है यह उपधारणा की जाएगी कि—

(क) पृष्ठांकन स्वेच्छया से किया गया है;

(ख) पृष्ठांकन पूर्ण प्रतिफल के लिए किया गया है;

(ग) पृष्ठांकनकर्ता को रसीद में वर्णित माल पर पूर्ण विधिक हक था; और

(घ) पृष्ठांकन ने, माल में पृष्ठांकनकर्ता के सभी अधिकारों, हक और हित का निर्वापन कर दिया है।

अनुलिपि रसीद का जारी किया जाना।

23. (1) कोई भाण्डागारपाल उस मात्रा, क्वालिटी या श्रेणी और अन्य विशिष्टियों के, जो रसीद में उल्लिखित की जाएं, माल को वास्तव में प्राप्त किए बिना कोई भाण्डागार रसीद जारी नहीं करेगा।

(2) कोई भाण्डागारपाल, किसी व्यक्ति द्वारा जमा किए गए एक ही माल के लिए एक से अधिक रसीद जारी नहीं करेगा:

परन्तु किसी हानि या नष्ट होने की दशा में, कोई अनुलिपि रसीद, ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जारी की जा सकेगी।

(3) यदि भाण्डागारपाल उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसने मूल्यवान प्रतिफल के लिए ऐसी रसीद पर उसके मूल होने का विश्वास करते हुए संव्यवहार किया है भले ही संव्यवहार, मूल रसीद के धारक को भाण्डागारपाल द्वारा माल के परिदान के पश्चात् हुआ हो, असफलता के कारण कारित सभी नुकसानियों के लिए दायी होगा।

(4) वह रसीद जिसके मुखपृष्ठ पर "अनुलिपि" शब्द स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है भाण्डागारपाल द्वारा इस बात का निरूपण और वारंटी है कि वह समुचित रूप से जारी की गई और भाण्डागार रसीद की अनुलिपि जारी करने की तारीख को रद्द न की गई रसीद की एक सही प्रति है।

अध्याय 5

भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण

प्राधिकरण की स्थापना और निगमन।

24. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के नाम से ज्ञात प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसको समनुदेशित कृत्यों का पालन करेगा।

(2) प्राधिकरण, पूर्वोक्त नाम का, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा जिसे, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की, तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा और प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा।

प्राधिकरण का गठन।

25. प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) अध्यक्ष; और

(ख) दो से अनधिक अन्य सदस्य,

जो केंद्रीय सरकार द्वारा योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त किए जाएंगे जिन्हें सूची प्रबंधन, बीमा, परिरक्षण, क्वालिटी नियंत्रण, कृषि बैंककारी, वित्त, अर्थशास्त्र, विधि या प्रशासन का विस्तृत ज्ञान और अनुभव हो।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि।

26. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य,—

(क) केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) धारा 27 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा।

पद से हटाया जाना।

27. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी ऐसे सदस्य को पद से हटा सकेगी,—

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी समय किया गया है; या

(ख) जो सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जो किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें, केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने अपने पद का ऐसे दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए हानिकारक है।

(2) कोई सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे उस विषय में सुने जाने का उचित अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया है।

28. ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस निमित्त बनाए जाएं,— अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें।

(क) अध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो भारत सरकार के सचिव की हैं;

(ख) प्राधिकरण के अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वही होंगी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की हैं।

29. अध्यक्ष और अन्य सदस्य, उनके उस रूप में पद पर न रहने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक भाण्डागारण सेक्टर में किसी अन्य समुत्थान में कोई नियोजन, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय स्वीकार नहीं करेंगे। सदस्यों के भावी नियोजन पर वर्जन।

30. अध्यक्ष, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होगा। अध्यक्ष का प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक होना।

31. (1) प्राधिकरण का अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं। प्राधिकरण के अधिवेशन।

(2) अध्यक्ष या यदि, वह किसी कारण से प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो, उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित अन्य सदस्य, उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का, द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

32. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि— रिक्तियों आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है; अथवा

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है;

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

33. (1) प्राधिकरण उतने अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा शासित होंगी।

भाण्डागारण सलाहकार समिति।

34. (1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, धारा 51 के अधीन विनियम बनाने से संबंधित विषयों पर प्राधिकरण को सलाह देने के लिए और इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करने के लिए, भाण्डागारण सलाहकार समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन कर सकेगा।

(2) भाण्डागारण सलाहकार समिति वाणिज्य, उद्योग, इंजीनियरी, कृषि, उपभोक्ताओं, भाण्डागारण, क्वालिटी नियंत्रण, परिरक्षण में लगे संगठनों और अनुसंधान निकायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों को छोड़कर, पंद्रह से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(3) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भाण्डागारण सलाहकार समिति, प्राधिकरण को ऐसे अन्य विषयों पर जो उसे प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह दे सकेगी।

अध्याय 6

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्य।

35. (1) इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को विनियमित करे और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करे तथा भाण्डागार कारबार की व्यवस्थित वृद्धि का संवर्धन करे।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(क) भाण्डागारपालों के लिए अपेक्षाएं पूरी करने वाले आवेदकों को भाण्डागारों के संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना या ऐसे रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित करना या रद्द करना;

(ख) प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण और कृत्यों को विनियमित करना, ऐसे रजिस्ट्रीकरण को नवीकृत करना, उपांतरित करना, वापस लेना, निलंबित या रद्द करना और भाण्डागारों का प्रत्यायन करने के लिए प्रत्यायन अभिकरणों के पदधारियों के लिए आचार संहिता विनिर्दिष्ट करना;

(ग) भाण्डागारपालों और भाण्डागारण कारबार में लगे कर्मचारिवृंद के लिए अर्हताएं, आचार संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना;

(घ) भाण्डागार में जमा माल के संबंध में उसके गिरवी रखने, प्रभारों के सृजन और उनके प्रवर्तन की प्रक्रिया विनियमित करना;

(ङ) भाण्डागार कारबार के संचालन में दक्षता का संवर्धन करना;

(च) माल के श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता अभिकरणों के अनुमोदन के लिए मानकों को अधिकथित करने के लिए विनियम बनाना;

(छ) भाण्डागारण कारबार से संबंधित वृत्तिक संगठनों का संवर्धन करना;

(ज) इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए फीसों और अन्य प्रभारों की दर अवधारित करना और उनका उद्ग्रहण;

(झ) भाण्डागारों, प्रत्यायन अभिकरणों और भाण्डागारण कारबार से संबद्ध अन्य संगठनों से सूचना मंगाना, उनका निरीक्षण करना, जांच और अन्वेषण करना जिसके अंतर्गत उनकी संपरीक्षा भी है;

(ञ) उन दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों को विनियमित करना जो भाण्डागारण कारबार के संबंध में भाण्डागारपालों द्वारा प्रस्थापित की जाएं;

(ट) विनियमों द्वारा वह प्ररूप और रीति विनिर्दिष्ट करना जिनमें लेखाबहियां रखी जाएंगी और भाण्डागारपालों द्वारा लेखा विवरण दिए जाएंगे;

(ठ) मध्यस्थों का एक पैनल रखना और भाण्डागारों और भाण्डागार रसीद धारकों के बीच विवादों में ऐसे पैनल से मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करना;

(ड) भाण्डागारों में जमा किए गए प्रतिमोच्य माल के जमा शेष धारण करने और अंतरण की इलेक्ट्रानिक प्रणाली विनियमित और विकसित करना;

(ढ) रजिस्ट्रीकृत भाण्डागार में कृषि वाणिज्या के भंडारण के लिए आरक्षित रखे जाने के लिए स्थान की न्यूनतम प्रतिशतता अवधारित करना;

(ण) भाण्डागारपाल के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को विनिर्दिष्ट करना;

(त) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएं।

अध्याय 7

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

36. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा, विधि द्वारा, किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी जो सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

निधि का गठन।

37. (1) भाण्डागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) प्राधिकरण को प्राप्त केन्द्रीय सरकार के सभी अनुदान, फीस और प्रभार;

(ख) प्राधिकरण को ऐसे अन्य स्रोत से प्राप्त सभी राशियां जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चय किया जाए;

(ग) इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूली गई सभी राशियां।

(2) निधि का उपयोजन निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन से संबंधित और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके अन्य व्यय।

लेखा और संपरीक्षा।

38. (1) प्राधिकरण, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे अंतरालों पर जो वह विनिर्दिष्ट करे, करेगा और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत व्यय प्राधिकरण द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा यथा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियों, वार्षिक रिपोर्ट आदि का दिया जाना।

39. (1) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार को, भांडागारण उद्योग के संप्रवर्तन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विवरणियां, ब्यौरे और ऐसी विशिष्टियां, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, ऐसे समय पर तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से देगा, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार उसे देने का निदेश दे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ मास के भीतर पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान भांडागारण कारबार के संप्रवर्तन और विकास के लिए क्रियाकलाप सहित अपने क्रियाकलाप का सही और पूर्ण ब्यौरा देते हुए, एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्टों की प्रतियां, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

अध्याय 8

केन्द्रीय सरकार की शक्तियां

निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

40. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग और अपने कृत्यों के पालन में, तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित प्रश्नों से भिन्न नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश दिए जाने के पूर्व प्राधिकरण को अपने विचार व्यक्त करने का यावत्साध्य अवसर दिया जाएगा।

(2) इस बारे में कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

केन्द्रीय सरकार की प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की शक्ति।

41. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि—

(क) ऐसी परिस्थितियों के कारण, जो प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर हैं, वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी निदेश के अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन या कर्तव्यों के पालन में बार-बार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को नुकसान हुआ है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और उन कारणों से जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, छह मास से अनधिक की उतनी अवधि के लिए, जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी और किसी व्यक्ति को प्राधिकरण के कृत्यों की देखभाल करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकेगी:

परंतु ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व, केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर—

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अधिक्रमण की तारीख से ही, उस रूप में अपने पद रिक्त कर दिए हैं;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन तब तक किया जा सकेगा, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है, प्रयोग और निर्वहन उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा;

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन सभी संपत्ति, तब तक केन्द्रीय सरकार में निहित होगी, जब तक उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन नहीं कर दिया जाता है।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अधिक्रमण की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व, केन्द्रीय सरकार, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नई नियुक्ति करके प्राधिकरण का पुनर्गठन करेगी और ऐसी दशा में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन अपना पद रिक्त किया था, पुनर्नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति और किसी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

(5) इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को पद से हटाए जाने पर, किसी विधि या किसी संविदा या ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति, पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

अध्याय 9

अपीलें

अपील प्राधिकरण को अपीलें।

42. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन किए गए प्राधिकरण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे व्यक्ति या प्राधिकरण को (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकरण कहा गया है) ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा:

परन्तु अपील साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु नब्बे दिन की कुल अवधि के परे नहीं, यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था, ग्रहण की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और रीति में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस, जो विहित की जाए, दी जाएगी।

(3) किसी अपील को निपटाने की प्रक्रिया ऐसी होगी जो विहित की जाए:

परन्तु अपील किए जाने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(4) अपील प्राधिकरण के समक्ष फाइल की गई अपील की यथासंभवशीघ्र सुनवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा तथा अपील का, इसके फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां।

43. (1) कोई भाण्डागारपाल, जानते हुए अपने भाण्डागार में माल का वास्तविक भौतिक परिदान लिए बिना परक्राम्य भाण्डागार रसीद जारी करेगा या भाण्डागारपाल या भाण्डागारपाल का अभिकर्ता या सेवक जो अपना इस बारे में युक्तियुक्त समाधान किए बिना भाण्डागार रसीद जारी करेगा कि वह माल जिसके लिए ऐसी भाण्डागार रसीद जारी की गई है, वास्तव में प्राप्त किया गया है या माल की संख्या, भार

या श्रेणी भाण्डागार रसीद में विनिर्दिष्ट संख्या, भार या श्रेणी के अनुरूप है या माल ऐसी भाण्डागार रसीद जारी करने के समय उसके वास्तविक नियंत्रण में है, एक अपराध कारित करेगा और वह, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो माल के मूल्य के चार गुने तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(2) भाण्डागारपाल या भाण्डागारपाल का अभिकर्ता या सेवक, जो जानते हुए परक्राम्य भाण्डागार रसीद की अनुलिपि जारी करने के लिए प्रक्रिया का सारवान् रूप से पालन किए बिना परक्राम्य भाण्डागार रसीद की अनुलिपि जारी करेगा तो वह, एक अपराध कारित करेगा और ऐसे अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) भाण्डागारपाल या भाण्डागारपाल का अभिकर्ता या सेवक, जो जानते हुए कि ऐसे माल के संबंध में परक्राम्य भाण्डागार रसीद बकाया है और रद्द नहीं की गई है, ऐसे परिदान के समय या उससे पूर्व ऐसी परक्राम्य भाण्डागार रसीद का कब्जा अभिप्राप्त किए बिना माल का परिदान करेगा और जिससे किसी व्यक्ति को विधिविरुद्ध हानि या अभिलाभ होता है तो वह, अपराध कारित करेगा और ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(4) भाण्डागारपाल जो जमाकर्ता या पृष्ठांकिती द्वारा किसी परक्राम्य भाण्डागार रसीद के अभ्यर्पण पर और अपने सभी विधिपूर्ण प्रभारों के संदाय पर और रसीद प्रदर्शित किए गए माल के परिदान के लिए उसमें वर्णित माल की घोषित पुलिन अवधि के भीतर रसीद पर पृष्ठांकित विल्लंगमों को रद्द करने में असफल रहेगा, अपराध कारित करेगा और ऐसे अपराध के लिए कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो माल के मूल्य के तीन गुने तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा।

(5) कोई जमाकर्ता, जिसने भाण्डागारपाल के पास भंडारण के लिए उसके द्वारा परिदत्त माल के मूल्य के रूप में ऐसी रकम, जिसको वह उचित मूल्य का होना विश्वास नहीं करता है, घोषित किया है, एक अपराध कारित करेगा और ऐसे अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

44. (1) जहां, इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो, अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी का भारसाधक था या, यथास्थिति, जमा करने के लिए उत्तरदायी था, अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन, उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अध्याय के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

न्यायालयों द्वारा अपराधों का संज्ञान।

45. (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा, या प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी परिवाद के सिवाय, नहीं करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

46. प्राधिकरण और अपील प्राधिकरण के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं। 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

47. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी:

परंतु इस अधिनियम की किसी बात से किसी व्यक्ति को,किसी वाद या अन्य कार्यवाहियों से, जो इस अधिनियम के अतिरिक्त उसके विरुद्ध की जा सकेगी, छूट प्राप्त नहीं होगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

48. प्राधिकरण, लिखित, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कृत्यों को (धारा 51 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) जो वह आवश्यक समझे प्रत्यायोजित कर सकेगा।

धन और आय पर कर से छूट।

49. धन कर अधिनियम, 1957, आय-कर अधिनियम, 1961 या धन, आय, लाभ या अभिलाभ पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, अपने व्युत्पन्न धन, आय, लाभ या अभिलाभ के संबंध में धन-कर, आय-कर या किसी अन्य कर का, संदाय करने का दायी नहीं होगा। 1957 का 27 1961 का 43

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

50. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति जिसमें परक्राम्य भाण्डागार रसीदें जारी करने के भाण्डागारण कारबार को प्रारंभ करने या कारबार के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वह फीस जो धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे आवेदन के साथ दी जाएगी;

(ख) वह प्ररूप, जिसमें भाण्डागार के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया जा सकेगा;

(ग) वित्तीय, प्रबंधकीय और अन्य पात्रता मानदंड और सक्षमता जिनका कोई आवेदक, भाण्डागारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए, धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन समाधान करेगा;

(घ) वह अर्हता और अन्य अपेक्षाएं, जिनको प्रत्यायन अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन पूरा करेगा;

(ङ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें प्रत्यायन अभिकरण के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा और वह फीस, जो धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आवेदन के साथ दी जाएगी;

(च) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन प्रत्यायन अभिकरण के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र का प्ररूप;

(छ) धारा 28 के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ज) ऐसी अन्य शक्तियां, जो प्राधिकरण द्वारा धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन प्रयोग की जाएं;

(झ) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा रखे जाने वाले लेखाओं के वार्षिक विवरण के अनुरक्षण का प्ररूप और रीति;

(ञ) वह प्ररूप और रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार को धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणियां और विवरण तथा विशिष्टियां प्रस्तुत की जानी हैं;

(ट) वह प्ररूप और रीति, जिसमें अपील प्राधिकरण को कोई अपील की जा सकेगी और वह फीस, जो धारा 42 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अपील के साथ दी जाएगी;

(ठ) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपील का निपटारा करने में अपील प्राधिकरण द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(ड) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति।

51. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से और भाण्डागार सलाहकार समिति के परामर्श से, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्यायन अभिकरणों के प्राधिकारियों को विनियमित करने वाले विषय;

(ख) वह प्ररूप और रीति तथा वह अवधि जिसके लिए भांडागारपाल, धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन, भाण्डागारण कारबार के अभिलेख और लेखे रखेगा;

(ग) धारा 9 की उपधारा (7) के अधीन भाण्डागारपाल द्वारा माल या उसके किसी भाग के व्ययन की रीति और किसी निलंब लेखा में विक्रय आगमों का रखा जाना;

(घ) धारा 10 की उपधारा (10) के अधीन विक्रय का ढंग;

(ङ) धारा 23 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन अनुलिपि भाण्डागार रसीद जारी करने की रीति;

(च) धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों के समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति है;

(छ) धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ज) धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन प्रत्यायन अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण और कृत्य, ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, उपांतरण, वापस लेने, निलंबन या

रद्दकरण करने और भाण्डागारों के प्रत्यायन के लिए प्रत्यायन अभिकरणों के पदधारियों के लिए आचार संहिता;

(झ) धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन माल के श्रेणीकरण के लिए प्रमाणकर्ता अभिकरणों के अनुमोदन के लिए मानक;

(ञ) धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए उद्गृहीत की जाने वाली फीस और अन्य प्रभारों की दर;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए या जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध बनाए जाने हैं या बनाए जाएं।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

52. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और प्राधिकरण द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

53. इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

54. (1) यदि इस अधिनियम के ऐसे उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

1899 के अधिनियम 2 का संशोधन।

55. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 8ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी:—

परक्राम्य भाण्डागार रसीदों का स्टाम्प शुल्क के दायित्वाधीन न होना।

"8ग. इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, परक्राम्य भाण्डागार रसीदें, स्टाम्प शुल्क के दायित्वाधीन नहीं होगी।"।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 43)

[5 दिसम्बर, 2007]

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के लिए 31 दिसंबर, 2008 तक की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए अधिनियम

प्रवास और अन्य कारणों से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनसंख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप भूमि और अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव बढ़ा है, जिससे ऐसे अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास हुए हैं जो दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 और सुसंगत अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाई गई भवन निर्माण संबंधी उपविधियों में यथा उपबंधित योजनाबद्ध विकास की संकल्पना के अनुकूल नहीं हैं;

और वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य सहित सामाजिक, वित्तीय और अन्य आधारिक वास्तविकताओं के मुकाबले में शहरी विकास में उभरते हुए नए आयामों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में व्यापक रूप से उपांतरण किए गए हैं और उन्हें 7 फरवरी, 2007 को अधिसूचित किया गया है;

और वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य सहित दिल्ली मास्टर प्लान में शहरी निर्धनों के आवास के लिए रणनीतियों के साथ ही अनौपचारिक सेक्टर से निपटने के लिए विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में गंदी बस्ती के निवासियों के पुन:स्थापन तथा पुनर्वास के लिए एक पुनरीक्षित नीति भी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए राष्ट्रीय नीति और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए एक रणनीति और स्कीम तैयार की गई है;

और दिल्ली की गंदी बस्ती के निवासियों के पुन:स्थापन तथा पुनर्वास के लिए पुनरीक्षित नीति के अनुसार व्यवस्थित प्रबंधों को करने के साथ ही दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 तथा इस संबंध में राष्ट्रीय नीति के भी, निबंधनों के अनुसार शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए स्कीम को अंतिम रूप दिए जाने के लिए कुछ समय की आवश्यकता है;

और केन्द्रीय सरकार ने, 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान अप्राधिकृत कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तार के, जिनके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विरचित किए जा रहे हैं, नियमितिकरण से संबंधित नीति पर विचार किया है और उसे अंतिम रूप दे दिया है;

और केन्द्रीय सरकार को ऐसे विद्यमान फार्म हाउसों के संबंध में, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं के परे निर्माण करने में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिनमें दुग्ध उद्योग और कुक्कुट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों के संबंध में नीति पर, अन्य बातों के साथ, वर्ष 2006 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, सुविचारित निर्णय लेने के लिए समय की आवश्यकता है;

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के क्षेत्रों के लिए, 4 जुलाई, 2007 को प्रख्यापित, एक वर्ष की और अवधि के लिए विशेष उपबंध करने हेतु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007, 21 सितंबर, 2007 से प्रवर्तन में नहीं रहेगा; 2007 का अध्यादेश 6

और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2007 को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद् में पुर:स्थापित दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) विधेयक, 2007 संसद् के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो जाने के कारण विचार किए जाने और पारित किए जाने के लिए नहीं लिया जा सका है; 2007 का अध्यादेश 6

और यह समीचीन है कि उक्त अधिनियम को 31 दिसंबर, 2008 तक की अवधि के लिए जारी रखते हुए ऊपर निर्दिष्ट नीतियों के, जिनको इस प्रकार विस्तारित अवधि के भीतर अंतिम रूप दिए जाने की प्रत्याशा है, अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की बाबत सम्बद्ध अभिकरण द्वारा किसी कार्रवाई के विरुद्ध दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की जनता को अस्थायी राहत देने और परिहार्य कठिनाइयों तथा अपूरणीय हानि कम करने का उपबंध करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के निबंधनों के अनुसार कोई विधि हो;

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और अवधि।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका विस्तार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पर होगा।

(3) यह 19 मई, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(4) यह 31 दिसंबर, 2008 को उन बातों के सिवाय प्रवर्तन में नहीं रहेगा, जो ऐसे प्रवर्तन में न रहने के पूर्व की गई हों या जिनका किए जाने से लोप किया गया हो, और ऐसे प्रवर्तन में न रहने पर साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 ऐसे लागू होगी, मानो यह अधिनियम, केन्द्रीय अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया हो। 1897 का 10

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "भवन निर्माण संबंधी उपविधियों" से भवनों से संबंधित दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 481 के अधीन बनाई गई उपविधियां या नई दिल्ली में यथाप्रवृत्त, पंजाब नगर-पालिका अधिनियम, 1911 की धारा 188, धारा 189 की उपधारा (3) और धारा 190 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गई उपविधियां या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 57 की उपधारा (1) के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

1957 का 66
1911 का पंजाब अधिनियम 3
1957 का 61

(ख) "दिल्ली" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (11) में यथापरिभाषित, दिल्ली छावनी को छोड़कर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र का संपूर्ण क्षेत्र अभिप्रेत है;

1957 का 66

(ग) "अधिक्रमण" से आवासिक उपयोग या वाणिज्यिक उपयोग या किसी अन्य उपयोग के लिए अस्थायी, अर्धस्थायी या स्थायी निर्माण के रूप में सरकारी भूमि या सार्वजनिक भूमि का अप्राधिकृत अधिभोग अभिप्रेत है;

(घ) "स्थानीय प्राधिकारी" से दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन स्थापित दिल्ली नगर निगम या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 के अधीन स्थापित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् या दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन स्थापित दिल्ली विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है, जो अपनी-अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्रों के संबंध में नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए विधिक रूप से हकदार हैं;

1957 का 66
1994 का 44
1957 का 61

(ङ) "मास्टर प्लान" से दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचना संख्यांक का॰आ॰ 141 (अ), तारीख 7 फरवरी, 2007 द्वारा अधिसूचित वर्ष 2021 के लिए परिदृश्य के साथ दिल्ली मास्टर प्लान अभिप्रेत है;

1957 का 61

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) "दंडात्मक कार्रवाई" से अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अधीन की गई कार्रवाई अभिप्रेत है और इसमें परिसरों को ढा देना, सील करना और व्यक्तियों या उनके कारबारी स्थापन को, चाहे न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में या अन्यथा, विद्यमान स्थान से विस्थापित करना भी सम्मिलित होगा;

(ज) "सुसंगत विधि" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) दिल्ली विकास प्राधिकरण की दशा में, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957;

1957 का 61

(ii) दिल्ली नगर निगम की दशा में, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957; और

1957 का 66

(iii) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् की दशा में, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994;

1994 का 44

(झ) "अप्राधिकृत विकास" से मंजूर की गई योजनाओं के उल्लंघन में या योजनाओं की मंजूरी अभिप्राप्त किए बिना या, यथास्थिति, मास्टर प्लान या क्षेत्रीय प्लान या अभिन्यास प्लान के अधीन यथा अनुज्ञात भूमि उपयोग के उल्लंघन में किया गया भूमि का उपयोग या भवन का उपयोग या भवन का निर्माण या कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्र का विकास और उनका विस्तार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई अधिक्रमण भी है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किंतु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 में हैं।

1957 का 61
1957 का 66
1994 का 44

प्रवर्तन का रखा जाना।

3. (1) किसी सुसंगत विधि या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या उपविधियों में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के अवसान से पहले, गंदी बस्ती के निवासियों और झुग्गी झोंपड़ी समूहों के निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कालोनियों, गांव

के आबादी क्षेत्र और उनके विस्तार, विद्यमान फार्म हाउसों, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषधालयों, धार्मिक संस्थाओं, सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिनमें दुग्ध उद्योग और कुक्कुट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों द्वारा अधिक्रमण के रूप में अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की समस्या से निपटने के लिए सन्नियमों, नीतिगत मार्गदर्शक सिद्धांतों और साध्य रणनीतियों को, जो नीचे वर्णित हैं, अंतिम रूप देने के लिए सभी संभव उपाय करेगी:—

(क) पोषणीय, योजनाबद्ध और मानवोचित रीति में दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के उपबंधों के अनुसार गंदी बस्तियों के निवासियों और झुग्गी झोंपड़ी समूहों के निवासियों के पुनःस्थापन और पुनर्वास के लिए नीति;

(ख) दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 में यथा उपबंधित शहरी पथ विक्रेताओं और फेरी वालों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुकूल शहरी पथ विक्रेताओं के विनियमन के लिए रणनीति;

(ग) ऐसी स्कीम, जिसमें, 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान अप्राधिकृत कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तार और जहां उस तारीख से परे और 8 फरवरी, 2007 तक भी निर्माण किया गया है, के नियमितिकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अंतर्विष्ट हैं;

(घ) ऐसे विद्यमान फार्म हाउसों से संबंधित नीति, जो भवन निर्माण की अनुज्ञेय सीमाओं से परे निर्माण में लगे हुए हैं; और

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बने विद्यालयों, औषद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं और सांस्कृतिक संस्थाओं, कृषि निवेशों या उपज (जिनमें दुग्ध उद्योग और कुक्कुट उद्योग सम्मिलित हैं) के लिए प्रयुक्त भंडारों, भांडागारों और गोदामों से संबंधित नीति।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए और किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी,—

(i) अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास की बाबत 1 जनवरी, 2006 को जो स्थिति थी; और

(ii) उपधारा (1) में वर्णित ऐसी अप्राधिकृत कालोनियों, गांव के आबादी क्षेत्रों और उनके विस्तार जो 31 मार्च, 2002 को विद्यमान थे और जहां उस तारीख से परे और 8 फरवरी, 2007 तक भी निर्माण किया गया है, की बाबत जो स्थिति थी,

उसे यथापूर्व बनाए रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ करने के लिए किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई सभी सूचनाएं निलंबित की गई समझी जाएंगी और 31 दिसंबर, 2008 तक कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, 31 दिसंबर, 2008 के पूर्व किसी भी समय, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) में वर्णित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के संबंध में छूट को, अधिसूचना द्वारा, वापस ले सकेगी।

इस अधिनियम के उपबंधों का कतिपय मामलों में लागू न होना।

4. इस अधिनियम के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, धारा 3 के उपबंधों के अधीन निम्नलिखित अधिक्रमण या अप्राधिकृत विकास के संबंध में कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात्:—

(क) उन मामलों को छोड़कर, जो धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अंतर्गत आते हैं, सार्वजनिक भूमि पर अधिक्रमण;

(ख) विनिर्दिष्ट सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि को खाली कराने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सुसंगत नीतियों के अनुसार गंदी बस्तियों और झुग्गी झोंपड़ी निवासियों, फेरी वालों और शहरी पथ विक्रेताओं, अप्राधिकृत कालोनियों या उनके भाग, गांव के आबादी क्षेत्र और उनके विस्तार का हटाया जाना।

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

5. केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, स्थानीय प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह ठीक समझे और स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे निदेशों का अनुपालन करें।

निरसन और व्यावृत्तियां।

2007 का अध्यादेश 7

6. (1) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2007 का अध्यादेश 7

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि (विशेष उपबंध) दूसरा अध्यादेश, 2007 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 44)

[5 दिसम्बर, 2007]

वायुयान अधिनियम, 1934 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम् का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) अधिनियम, 2007 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 1 का संशोधन ।

1934 का 22

2. वायुयान अधिनियम, 1934 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (क) में "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ग) भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत वायुयान को किन्तु जो तत्समय भारत में या भारत के ऊपर हो और उस पर स्थित व्यक्तियों को; और

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है किन्तु उसके कारबार का मुख्य स्थान या स्थायी निवास भारत में है, प्रचालित किसी वायुयान को।"।

धारा 4 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

नई धारा 4क का अंतःस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सुरक्षा अन्वेक्षा कृत्य ।

"4क. सिविल विमानन का महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त किया गया कोई अन्य अधिकारी, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट विषयों की बाबत सुरक्षा अन्वेक्षा कृत्यों का पालन करेगा।"।

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार" शब्दों के स्थान पर "धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) विमानक्षेत्रों का अनुज्ञापन, निरीक्षण और विनियमन, वे शर्तें जिनके अधीन विमानक्षेत्रों का अनुरक्षण किया जाएगा और अननुज्ञप्त विमानक्षेत्रों के उपयोग का प्रतिषेध या विनियमन;

(खक) वह फीस जो उन विमानक्षेत्रों से प्रभारित की जा सकेगी जिनको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 लागू नहीं होता है या लागू नहीं किया जाता है;"; 1994 का 55

(ii) खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(छक) वायु यातायात नियंत्रण में लगे व्यक्तियों का अनुज्ञापन;

(छख) संचार, नौपरिवहन का प्रमाणन, निरीक्षण और विनियमन तथा वायु यातायात प्रबन्ध प्रसुविधाओं की निगरानी;

(छग) विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन की सुरक्षा के उपाय; "।

धारा 5क का संशोधन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) में, "धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख), (ग), (ङ), (च), (छ), (ज) और (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत, ऐसी किसी दशा में जब सिविल विमानन के महानिदेशक या किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वायुयानों के प्रचालन में संलग्न या किसी विमानक्षेत्र का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, निदेश जारी कर सकेगा।" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (कक), (ख), (ग), (ङ), (च), (छ), (छक), (छख), (छग), (ज), (झ), (ङ) और (थथ) में विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत, ऐसी किसी दशा में जब सिविल विमानन के महानिदेशक या किसी अन्य अधिकारी का समाधान हो जाता है कि भारत की सुरक्षा के हित में या वायुयानों के प्रचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, किसी विमानक्षेत्र का उपयोग करने वाले या वायुयान प्रचालनों, वायु यातायात नियंत्रण, विमानक्षेत्र का अनुरक्षण और प्रचालन, संचार, नौपरिवहन, निगरानी और वायु यातायात प्रबंध

प्रसुविधाएं, और विधिविरुद्ध हस्तक्षेप के कार्यों के विरुद्ध सिविल विमानन की सुरक्षा में लगे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, निदेश जारी कर सकेगा।" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में, "केन्द्रीय सरकार से आरंभ होने वाले" और "नियम बना सकेगी।" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए —

(क) भारत में या भारत के ऊपर किसी भी वायुयान; या

(ख) भारत में रजिस्ट्रीकृत वायुयान के कहीं भी,

विमानचालन के दौरान या विमानचालन से उद्भूत दुर्घटना या घटना के अन्वेषण का उपबंध करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।" भाग रखा जाएगा;

(ख) उपधारा (2) में, "दुर्घटना", "दुर्घटनाओं" और "दुर्घटनाग्रस्त" शब्दों के स्थान पर जहां-जहां वे आते हैं क्रमशः "दुर्घटना या घटना" और "दुर्घटनाग्रस्त या घटनाग्रस्त" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 8 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) में, "केन्द्रीय सरकार," शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 8क का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 8क में, "केन्द्रीय सरकार," शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 8ग का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 8ग में "केन्द्रीय सरकार," शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 10 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 10 में,—

(i) उपधारा (1) में, "जुर्माने का भी" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने का भी, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (1क) में, "कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) में,—

(क) "धारा 7" शब्द और अंक के स्थान पर "धारा 4, धारा 7" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) "कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 11 में "कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11क का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 11क में, "छह मास" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11ख का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 11ख में,—

(क) उपधारा (1) में "कारावास से, जिसकी कालावधि छह मास तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस उपधारा के अधीन नियम बनाने की शक्ति, धारा 14 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होगी ।"।

बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 45)

[12 दिसंबर, 2007]

बोनस संदाय अधिनियम, 1965 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बोनस संदाय (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह 1 अप्रैल, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1965 का 21

धारा 2 का संशोधन।

2. बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (13) में "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दस हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 12 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "तीन हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 32 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 32 के खंड (vi) का लोप किया जाएगा।

2007 का अध्यादेश 8

निरसन और व्यावृत्ति।

5. (1) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

2007 का अध्यादेश 8

(2) बोनस संदाय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

भारतीय बायलर (संशोधन) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 49)

[12 दिसंबर, 2007]

भारतीय बायलर अधिनियम, 1923
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय बायलर (संशोधन) अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें, नियत की जा सकेंगी।

धारा 1 का संशोधन।

1923 का 5

2. भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (1) में "भारतीय" शब्द का लोप किया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में—

(1) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "दुर्घटना" से बायलर या बायलर संघटक का ऐसा विस्फोट जो उसकी मजबूती को कमजोर करने के लिए उपयुक्त है या उससे जल या वाष्प का ऐसा अनियंत्रित बहाव अभिप्रेत है, जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु या उसको क्षति या किसी संपत्ति को नुकसान कारित हो सकता है;';

(2) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(ख) "बायलर" से ऐसा दबाव पात्र अभिप्रेत है जिसमें उसके स्वयं के बाह्य उपयोग के लिए ऊष्मा के अनुप्रयोग द्वारा वाष्प उत्पन्न की जाती है, जो वाष्प बंद कर दिए जाने पर पूर्णत: या भागत: दबावाधीन रहता है किंतु इसके अंतर्गत ऐसा दबाव पात्र नहीं है,—

(i) जो 25 लीटर से कम क्षमता वाला है (ऐसी क्षमता को भरणरोधी वाल्व से मुख्य वाष्परोधी वाल्व तक मापा जाता है);

(ii) जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर एक किलोग्राम से कम डिजाइन गेज दबाव या क्रियाशील गेज दबाव वाला है;

(iii) जिसमें जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर ऊष्मित किया जाता है;

(खक) "बायलर संघटक" से वाष्प नली, भरण नली, इकोनोमाईजर, अति तापित्र, कोई मढ़ाई या अन्य फिटिंग और किसी बायलर का कोई अन्य ऐसा बाह्य या आंतरिक भाग अभिप्रेत है जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर गेज एक किलोग्राम से अधिक दबावाधीन है;';

(3) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(गक) "सक्षम प्राधिकारी" से बायलर और बायलर संघटकों की वेल्डिंग करने के लिए वेल्डरों को प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसी रीति में मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए;

(गख) "सक्षम व्यक्ति" से ऐसी रीति में मान्यताप्राप्त विनिर्माण, परिनिर्माण और उपयोग के दौरान बायलर और बायलर संघटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं। सभी निरीक्षक तथ्यत: सक्षम व्यक्ति होंगे;';

(4) खंड (गगग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(गगघ) "निरीक्षण प्राधिकारी" से विनिर्माण के दौरान बायलरों और बायलर संघटकों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ऐसी रीति में मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए। सभी मुख्य बायलर निरीक्षक तथ्यत: निरीक्षण प्राधिकारी होंगे;

(गगङ) "विनिर्माण" से बायलर, बायलर संघटक या दोनों का विनिर्माण, सन्निर्माण और बनाना अभिप्रेत है;

(गगच) "विनिर्माता" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विनिर्माण में लगा हुआ है;';

(5) खंड (घ) में "अंतर्गत अपने स्वामी के अभिकर्ता के रूप में बायलर का उपयोग करने वाला" शब्दों के स्थान पर "अंतर्गत अपने स्वामी के अभिकर्ता के रूप में बायलर का कब्जा रखने वाला या उपयोग करने वाला" शब्द रखे जाएंगे;

(6) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(च) "वाष्प नली" से कोई ऐसी नली अभिप्रेत है, जिससे वाष्प निकलती है यदि—

(i) वह दबाव, जिस पर ऐसी नली से निकलने वाली वाष्प का दबाव, वायु मंडलीय दबाव से प्रति वर्ग सेंटीमीटर 3.5 किलोग्राम से अधिक है, या

(ii) ऐसी नली आंतरिक व्यास में 254 मिलीमीटर से अधिक है और वाष्प का दबाव वायु मंडलीय दबाव से प्रतिवर्ग सेंटीमीटर 1 किलोग्राम से अधिक है,

और दोनों ही दशाओं में वाष्प नली से संबंधित फिटिंग भी उसके अंतर्गत है;';

(7) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(छ) "संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(i) बायलर या बायलर संघटक के डिजाइन में कोई परिवर्तन;

(ii) बायलर या बायलर संघटक के किसी भाग का ऐसे भाग द्वारा, जो उसी विनिर्देश के अनुरूप नहीं है, प्रतिस्थापन; और

(iii) बायलर या बायलर संघटक के किसी भाग में कोई परिवर्धन;

(ज) "अति तापित्र" से कोई ऐसा उपस्कर अभिप्रेत है, जो संतृप्ति ताप से अधिक उस दाब पर वाष्प का ताप बढ़ाने के प्रयोजन के लिए फ्लु गैसों की ओर भागत: या पूर्णत: अभिदर्शित है और उसके अन्तर्गत पुन: तापित्र है;

(झ) "तकनीकी सलाहकार" से धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है।'।

4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 3 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

"3. इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी:— लागू होने की परिसीमा।

(क) रेल का या उसके नियंत्रणाधीन लोकोमोटिव बायलर;

(ख) (i) वाष्प शक्ति द्वारा पूर्णत: या भागत: नोदित किसी जलयान का;

(ii) सेना, नौसेना या वायु सेना का या उसके नियंत्रणाधीन; अथवा

(iii) यदि बायलर क्षमता में एक सौ लीटर से अधिक नहीं है, तो अस्पताल या परिचर्या गृहों में प्रयुक्त निर्जर्मक रोगाणु नाशी से संबंधित है,

बायलर या बायलर संघटक ।"।

5. मूल अधिनियम की धारा 4 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 4क से धारा 4च का अंत:स्थापन।

"4क. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी अर्हताएं और अनुभव, जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं, रखने वाले व्यक्तियों में से एक तकनीकी सलाहकार नियुक्त करेगी। तकनीकी सलाहकार।

(2) तकनीकी सलाहकार की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) तकनीकी सलाहकार, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उसको समनुदेशित शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के अतिरिक्त, ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार और बोर्ड उसे प्रत्यायोजित करें।

4ख. (1) कोई व्यक्ति जो, किसी बायलर या बायलर संघटक या दोनों से संसक्त या संबंधित किसी वेल्डिंग कार्य को करने की प्रस्थापना करता है, सक्षम प्राधिकारी को, वेल्डर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन करेगा। वेल्डर प्रमाणपत्र।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, सक्षम प्राधिकारी वेल्डर प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा और उसे अनुदत्त करने के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(3) सक्षम प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (2) के अधीन वेल्डर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति ने वेल्डर प्रमाणपत्र जारी किए जाने के लिए पूर्व शर्तों का अनुपालन किया है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा प्रमाणपत्र ऐसी फीस का संदाय किए जाने पर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, जारी करेगा:

परन्तु सक्षम प्राधिकारी किसी व्यक्ति को वेल्डर प्रमाणपत्र देने से तब तक इंकार नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है।

बायलर और बायलर संघटक के विनिर्माण के लिए पूर्व शर्तें।

4ग. कोई व्यक्ति, बायलर या बायलर संघटक या दोनों का तब तक विनिर्माण नहीं करेगा या विनिर्माण नहीं कराएगा जब तक कि,—

(क) उसने ऐसे परिसरों या प्रसीमाओं में जहां, ऐसे बायलर या बायलर संघटक या दोनों का विनिर्माण नहीं किया जाता है, डिजाइन और संरचना के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की है, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं;

(ख) बायलर और बायलर संघटक के डिजाइन और रेखाचित्र का धारा 4घ की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन निरीक्षण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन न कर दिया गया हो;

(ग) ऐसे बायलर या बायलर संघटक या दोनों के विनिर्माण में प्रयुक्त सामग्री, मढ़ाई और फिटिंगें विनियमों द्वारा विहित विनिर्देशों के अनुरूप न हों;

(घ) बायलर या बायलर संघटक की वेल्डिंग के लिए नियोजित व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया बायलर वेल्डर प्रमाणपत्र धारण न करता हो।

विनिर्माण के दौरान निरीक्षण।

4घ. (1) प्रत्येक विनिर्माता, किसी बायलर या बायलर संघटक का विनिर्माण प्रारंभ करने के पूर्व, विनिर्माण के ऐसे प्रक्रमों पर, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षण प्राधिकारी नियोजित करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियोजित निरीक्षण प्राधिकारी, बायलर या बायलर संघटक के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाए और निरीक्षण के पश्चात् यदि—

(क) उसका यह समाधान हो जाता है कि बायलर या बायलर संघटक विनियमों द्वारा विहित मानकों के अनुरूप है तो वह निरीक्षण का प्रमाणपत्र जारी करेगा और बायलर या बायलर संघटक, या दोनों पर स्टाम्प लगाएगा; या

(ख) उसकी यह राय है कि बायलर या बायलर संघटक या दोनों विनियमों द्वारा विहित मानकों के अनुरूप नहीं हैं तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार कर सकेगा:

परन्तु किसी प्रमाणपत्र से तब तक इन्कार नहीं किया जाएगा जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी ने, बायलर या बायलर संघटक या दोनों के विनिर्माता को लिखित रूप में ऐसे उपान्तरण या सुधार करने के लिए जो वह आवश्यक समझे, निदेश नहीं दे दिया हो और निरीक्षण प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे निदेश के बाद भी बायलर या बायलर संघटक या दोनों के विनिर्माता ने निदेश का पालन नहीं किया है।

(3) निरीक्षण प्राधिकारी, इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए, ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

परिनिर्माण के दौरान निरीक्षण।

4ङ. (1) कोई स्वामी, जो धारा 7 के अधीन बायलर को रजिस्टर करने की प्रस्थापना करता है, बायलर के परिनिर्माण के प्रक्रम पर निरीक्षण करने के लिए किसी निरीक्षण प्राधिकारी को नियोजित करेगा।

(2) निरीक्षण प्राधिकारी, बायलर या बायलर संघटक या दोनों के निरीक्षण और प्रमाणन के लिए ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाए और निरीक्षण के पश्चात् यदि—

(क) उसका यह समाधान हो जाता है कि बायलर का परिनिर्माण विनियमों के अनुसार है तो वह ऐसे प्ररूप में जो विनियमों द्वारा विहित किया जाए, निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी करेगा; या

(ख) उसकी यह राय है कि बायलर का परिनिर्माण विनियमों के अनुसार नहीं किया गया है तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, प्रमाणपत्र अनुदत्त करने से इंकार कर सकेगा और तत्काल बायलर या बायलर संघटक के विनिर्माता को ऐसी इंकारी के बारे में संसूचित करेगा:

परन्तु ऐसे किसी प्रमाणपत्र से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी ने स्वामी को लिखित रूप में ऐसे उपान्तरण या सुधार करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, निदेश न दे दिया हो और निरीक्षण प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसे निदेश के बाद भी स्वामी ने, निदेश का पालन नहीं किया है।

(3) निरीक्षण प्राधिकारी इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

बायलर और बायलर संघटक की मरम्मत के लिए पूर्व शर्तें।

4च. कोई व्यक्ति, किसी बायलर या बायलर संघटक या दोनों की तब तक मरम्मत न करेगा या मरम्मत नहीं कराएगा जब तक कि,—

(क) उसने उन परिसरों या प्रसीमाओं में, जिनमें ऐसा बायलर या बायलर संघटक या दोनों का उपयोग किया जा रहा है, मरम्मत के लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं कर ली हो, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं;

(ख) यथास्थिति, बायलर या बायलर संघटक के डिजाइन और रेखाचित्र और ऐसे बायलर या बायलर संघटक की मरम्मत में प्रयुक्त सामग्री, मढ़ाई, फिटिंगें विनियमों के अनुरूप न हों;

(ग) वेल्डिंग में लगाया गया व्यक्ति किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वेल्डर प्रमाणपत्र धारण न करता हो;

(घ) प्रत्येक उपयोगकर्ता, जिसके पास बायलर या बायलर संघटक की मरम्मत के लिए अपनी सुविधाएं नहीं हैं किसी ऐसे बायलर मरम्मतकर्ता को नियोजित करेगा जिसके पास, यथास्थिति, किसी बायलर या बायलर संघटक की या दोनों की मरम्मत के लिए बायलर मरम्मत प्रमाणपत्र, हो;

(ङ) प्रत्येक उपयोगकर्ता अपने द्वारा या मरम्मतकर्ताओं द्वारा की जाने वाली मरम्मत के अनुमोदन के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित करेगा।''।

धारा 5 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4क) कोई व्यक्ति मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव न हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।''।

धारा 6 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 के खंड (ङ) में ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) में, "बायलर रजिस्टर करने के लिए निरीक्षक को आवेदन कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "बायलर रजिस्टर करने के लिए निरीक्षक को आवेदन, ऐसे अन्य दस्तावेजों के साथ, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं, कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) निरीक्षक उक्त तारीख को, अपना यह समाधान करने की दृष्टि से कि बायलर को उसके विनिर्माण के स्थान से परिनिर्माण के स्थल तक अभिवहन के दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, बायलर का निरीक्षण करेगा और दस्तावेजों के साथ निरीक्षण की रिपोर्ट सात दिन के भीतर मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।"।

धारा 8 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) में, "18.58" अंकों के स्थान पर "20" अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(घ) धारा 12 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, जब बायलर में या उस पर कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण किया जाता है;";

(iii) खंड (च) में, "वह या उससे संलग्न कोई वाष्प नली" शब्दों के स्थान पर "वह या उससे संलग्न कोई बायलर संघटक" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) जब कोई प्रमाणपत्र प्रवृत्त नहीं रहता है तब बायलर का स्वामी ऐसी अवधि के लिए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, उसके नवीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा।";

(ग) उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) उपधारा (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम व्यक्ति, ऐसी प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी रीति में बायलर का निरीक्षण करेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।

(5) यदि सक्षम व्यक्ति—

(क) का यह समाधान हो जाता है कि बायलर और उससे संलग्न बायलर संघटक अच्छी हालत में हैं तो वह उतनी अवधि के लिए, जितनी विनियमों द्वारा विहित की जाए, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा;

(ख) की यह राय है कि, बायलर या बायलर संघटक या दोनों विनियमों द्वारा विहित मानकों के अनुरूप नहीं हैं तो वह उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसा प्रमाणपत्र देने से इंकार कर सकेगा:

परंतु किसी प्रमाणपत्र से तब तक इंकार नहीं किया जाएगा कि जब तक कि निरीक्षण प्राधिकारी ने बायलर या बायलर संघटक या दोनों के स्वामी को लिखित रूप में ऐसे उपांतरण या सुधार करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे, निदेश न दे दिया हो और सक्षम व्यक्ति की यह राय है कि ऐसे निदेश के बावजूद बायलर या बायलर संघटक या दोनों के स्वामी ने निदेशों का पालन नहीं किया है:

परन्तु यह और कि सक्षम व्यक्ति परीक्षा करने के अड़तालीस घंटे के भीतर बायलर या बायलर संघटक के स्वामी को अपनी राय में जो कोई त्रुटि हो, उसको और उसके कारणों को सूचित करेगा और मामले की मुख्य निरीक्षक को तत्काल रिपोर्ट करेगा।

(6) सक्षम व्यक्ति इस धारा के अधीन निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जो विनियमों द्वारा विहित की जाए।''।

धारा 9 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 9 में ''या धारा 8 की उपधारा (5)'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।

धारा 11 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) खंड (ग) में, ''राज्य सरकार'' शब्दों के स्थान पर ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) और परन्तुक का लोप किया जाएगा।

धारा 12 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 12 में निम्नलिखित परन्तुक अन्त में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परन्तु ऐसी कोई मंजूरी वहां अपेक्षित नहीं होगी, जहां संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन किया गया है।''।

धारा 13 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

बायलर संघटक का परिवर्तन या नवीकरण।

''13. (1) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बायलर के स्वामी द्वारा बायलर से संलग्न किसी बायलर संघटक में या उसके संबंध में कोई भी संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण किए जाने से पूर्व, वह मुख्य निरीक्षक को अपने आशय की लिखित रूप में रिपोर्ट पारेषित करेगा और उसके साथ प्रस्तावित परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण की ऐसी विशिष्टियां भेजेगा, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्धन या नवीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा सक्षम व्यक्ति के पर्यवेक्षणाधीन किया जाएगा, जिसके पास बायलर मरम्मतकर्ता का प्रमाणपत्र है।''।

धारा 14 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 14 में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) में ''निरीक्षक'' शब्द के स्थान पर ''सक्षम व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में ''विहित रीति से'' शब्दों के स्थान पर ''विनियमों द्वारा विहित रीति से'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ग) में ''विहित की जाएं'' शब्दों के स्थान पर ''विनियमों द्वारा विहित की जाएं'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में ''निरीक्षक'' शब्द के स्थान पर ''सक्षम व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 15 का संशोधन।

T 12
ग 63

15. मूल अधिनियम की धारा 15 में ''इंडियन फैक्ट्रीज ऐक्ट, 1911'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''कारखाना अधिनियम, 1948'' शब्द और अंक रखे जाएंगे।

धारा 18 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''वाष्प नली'' शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, ''बायलर संघटक'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी दुर्घटना के परिणामस्वरूप कोई मृत्यु हो गई है, तो वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच की जा सकेगी।"।

धारा 19 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 19 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में की जाएगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(3) अपील के निपटारे की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।"।

धारा 20 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 20 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और,—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में "मुख्य निरीक्षक के पास इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले अपील प्राधिकरण को, अपील प्रस्तुत कर सकेगा" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपने को, यथास्थिति, विनिर्माण या परिनिर्माण के निरीक्षण का प्रमाणपत्र देने से इंकार करने वाले निरीक्षण प्राधिकारी के आदेश से व्यथित समझता है तो वह ऐसे इंकार की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसी रीति में की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

(4) अपील के निपटारे की प्रक्रिया ऐसी होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।"।

धारा 21 का संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 21 में "धारा 20क के अधीन, केन्द्रीय सरकार का कोई आदेश तथा धारा 19, धारा 20 और धारा 20क में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, अपील प्राधिकरण" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 20 और धारा 20क के अधीन केन्द्रीय सरकार का कोई आदेश" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 22 में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 23 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 24 में "तो जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा" शब्दों के स्थान पर "तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

23. मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) उपधारा (1) में "पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में "जुर्माने से, या दोनों से" शब्दों के स्थान पर "जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से," शब्द रखे जाएंगे।

धारा 27क का संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(2) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) बोर्ड पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले केन्द्रीय सरकार के विभाग का भारसाधक, भारत सरकार का सचिव, जो पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रत्येक राज्य (संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न) की सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी, जो बायलरों के निरीक्षण और परीक्षण में निपुण हो;

(ग) निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करने के लिए समान संख्या में अन्य व्यक्ति, जैसे कि ऊपर उपधारा (ख) में हैं,—

(i) केन्द्रीय सरकार,

(ii) भारतीय मानक ब्यूरो,

(iii) बायलर और बायलर संघटक विनिर्माता,

(iv) राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं,

(v) इंजीनियरी परामर्श अभिकरण,

(vi) बायलरों के उपयोगकर्ता; और

(vii) ऐसे अन्य हित, जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनका बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए,

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(घ) तकनीकी सलाहकार, पदेन, सदस्य-सचिव।

(3) उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि वह होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।"।

धारा 28 का संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) ऐसी सामग्री, डिजाइन, सन्निर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण की बाबत मानक शर्तों को अधिकथित करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन बायलरों, बायलर संघटकों, बायलर मढ़ाइयों और फिटिंगों के रजिस्ट्रीकरण और प्रमाणन को समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित होंगी;";

(ii) खंड (घ) में "वाष्प नलियों" शब्दों के स्थान पर "बायलर संघटकों, बायलर मढ़ाइयों और फिटिंगों" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ङक) ऐसी अर्हताएं और अनुभव विहित करने के लिए, जिनके अधीन रहते हुए निरीक्षण प्राधिकारियों, सक्षम प्राधिकारियों और सक्षम व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी जाएगी;

(ङख) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए और वह रीति, जिसमें बायलर संघटकों या सामग्री के विनिर्माता को मान्यता दी जा सकेगी;

(ङग) डिजाइन और सन्निर्माण के लिए ऐसी सुविधाएं, जिनकी उस परिसर में व्यवस्था की जाने की अपेक्षा है, जहां किसी बायलर या बायलर संघटक का विनिर्माण किया जाता है;

(ङघ) इस अधिनियम के अधीन निरीक्षण या कोई मान्यता या कोई प्रमाणपत्र देने के प्रयोजन के लिए फीस;

(ङच) वेल्डर प्रमाणपत्र के लिए परीक्षा और उसको देने की प्रक्रिया;

(ङछ) वे शक्तियां और कृत्य, जो बोर्ड तकनीकी सलाहकार को प्रत्यायोजित कर सकेगा;

(ङज) वे दस्तावेज, जो बायलरों के रजिस्ट्रीकरण या बायलरों के उपयोग को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाएंगे;

(ङझ) बायलरों के निरीक्षण की रीति;

(ङञ) वह अवधि, जिसके लिए किसी बायलर के उपयोग को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जा सकेगा;

(ङट) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए और वह प्ररूप, जिसमें सक्षम व्यक्ति बायलर के उपयोग को प्राधिकृत करने वाले प्रमाणपत्र का नवीकरण करेगा;

(ङठ) वह रीति और प्ररूप, जिसमें मरम्मतकर्ता का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;

(ङड) वह रीति, जिसमें बायलर को परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा;

(ङढ) रेखाचित्र, विनिर्देश, दस्तावेज और अन्य विशिष्टियां, जिन्हें सक्षम व्यक्ति को उपलब्ध कराने की किसी स्वामी से अपेक्षा की जाती है;

(ङण) वह रीति, जिसमें किसी व्यक्ति को ऊर्जा संपरीक्षा करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा और वह रीति, जिससे ऐसी संपरीक्षा की जाएगी;

(ङत) वह रीति, जिसमें राज्यों के बीच बायलरों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाएगा।''।

धारा 28क का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 28क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

''(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(1क) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 20क के अधीन आवेदन करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसे आवेदन की बाबत संदेय फीस;

(ख) मुख्य निरीक्षकों, उप मुख्य निरीक्षकों और निरीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं और अनुभव;

(ग) वह रीति, जिसमें बोर्ड को अपीलें की जा सकेंगी और ऐसी अपीलों की बाबत संदेय फीस तथा वह प्रक्रिया, जिसका ऐसी अपीलों के निपटारे के लिए अनुसरण किया जाएगा;

(घ) सदस्यों की पदावधि और वह रीति, जिसमें उनका धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नामनिर्देशन किया जाएगा;

(ङ) तकनीकी सलाहकार की अर्हताएं और अनुभव;

(च) बायलरों की प्रवीणता या सक्षमता का प्रमाणपत्र धारण करने वाले व्यक्तियों के भारसाधन के अधीन होने की अपेक्षा करने के लिए और वे शर्तें विहित करने के लिए, जिन पर ऐसा प्रमाणपत्र दिया जा सकेगा;

(छ) वह रीति जिसमें और वह व्यक्ति, जिसके द्वारा दुर्घटना की जांच की जाएगी।''।

धारा 29 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षकों और निरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य;'';

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(च) बायलरों के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय फीस,'';

(iv) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ज) वह रीति, जिसमें अपीलें मुख्य निरीक्षक को की जाएंगी और वह प्रक्रिया, जिसका ऐसी अपीलों की सुनवाई के लिए अनुसरण किया जाएगा;'';

(v) खंड (ञ) का लोप किया जाएगा।

धारा 30 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(क) ''एक सौ रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''एक हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 33 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 33 में ''वाष्प नलियों'' शब्दों के स्थान पर ''बायलर संघटकों'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 34 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि बायलरों की सामग्री, डिजाइन या सन्निर्माण और देश के तीव्र औद्योगिकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा विहित की जाएं, संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में किसी बायलर या बायलर संघटकों को इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।''।

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 50)

[12 दिसम्बर, 2007]

टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सरकार के शेयरों के
अपविनिधान और उससे संबंधित या उसके
आनुषंगिक विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड का, जो उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की पहली अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं अर्थात् टायरों, ट्यूबों और रबड़ के अन्य माल के विनिर्माण, उत्पादन और वितरण में लगी हुई थीं, इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 के अधीन राष्ट्रीयकरण हो गया था तथा 5 मार्च, 1984 से टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता को अंतरित कर दी गई थीं और उसमें निहित हो गई थीं;

और टायरों, ट्यूबों और रबड़ के अन्य माल के विनिर्माण, उत्पादन और वितरण के लिए उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बड़ी रकम के विनिधान की आवश्यकता है;

और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूर्वोक्त वस्तुओं के, जो देश की अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए आवश्यक हैं, विनिर्माण, उत्पादन और वितरण को जारी रख कर आम जनता का हित साधन होता है, प्राइवेट सेक्टर को विनिधान करने हेतु समर्थ बनाने के लिए टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में सरकार के शेयरों का अपविनिधान करना समीचीन है;

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्वामित्व का अपविनिधान) अधिनियम, 2007 है।

कंपनी में अपविनिधान।

2. जहां केन्द्रीय सरकार की, पब्लिक सेक्टर उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड की सिफारिशों पर, यह राय है कि टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसमें इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) में अपविनिधान किया जाए, वहां वह किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो करार पाई जाएं, कंपनी में शेयरों के अंतरण, विनिमय या त्याग के लिए उपबंध करने वाला आदेश पारित कर सकेगी।

कंपनी में अपविनिधान के लिए प्रतिफल का संदाय।

3. (1) किसी व्यक्ति को और उसमें कंपनी के शेयरों को अंतरित या निहित करने के लिए, ऐसे व्यक्ति द्वारा या यदि ऐसा व्यक्ति कोई कंपनी है तो ऐसी कंपनी द्वारा केंद्रीय सरकार को, कंपनी की भूमि, आस्तियों और दायित्वों के केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार अधिकतम मूल्य को ध्यान में रखते हुए, प्रतिफल दिया जाएगा।

(2) अंतरिती को, कंपनी के शेयरों के अंतरण के लिए प्रतिफल के संदाय की रीति ऐसी होगी, जो अंतरक, कंपनी और अंतरिती, यथास्थिति, व्यक्ति या कंपनी के बीच करार पाई जाए।

अपविनिधान की रीति।

4. केन्द्रीय सरकार, धारा 2 के अधीन किए गए अपने आदेश में, यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि शेयरों का अपविनिधान, निम्नलिखित एक या अधिक ढंग से, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, किया जाएगा, अर्थात्:—

(क) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो किसी अन्य सरकारी कंपनी की दशा में लागू हो, सार्वजनिक प्रस्थापना या अधिमानी आबंटन या निजी व्यवस्था द्वारा;

(ख) ऐसी प्रक्रिया के अनुसार, जो सरकारी कंपनी की दशा में लागू हो, यथास्थिति, जनता के सदस्यों को साधारण शेयर पूंजी का और पुरोधरण या अधिमानी आबंटन या निजी व्यवस्था करने के लिए कंपनी को निदेश द्वारा।

कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के संबंध में उपबंध।

5. (1) कंपनी का प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष और निदेशकों के सिवाय, जो इस अधिनियम के अधीन कंपनी के अपविनिधान के ठीक पूर्व उसके नियोजन में सेवा कर रहा है, ऐसे अविनिधान के पश्चात् पद पर या सेवा में उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर बना रहेगा जो उस समय अनुज्ञेय होतीं जब ऐसा कोई अपविनिधान नहीं हुआ होता और ऐसे अपविनिधान की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अवसान तक इस प्रकार बना रहेगा।

(2) जहां कंपनी का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन कंपनी के नियोजन या सेवा में न रहने का विकल्प देता है, वहां यह समझा जाएगा कि ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी ने पद त्याग दिया है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

6. इस अधिनियम के उपबंध, इनचैक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबर मैन्यूफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे। 1984 का 17

संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 51)

[20 दिसंबर, 2007]

भारत में संदाय प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण का तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उस प्रयोजन के लिए प्राधिकारी के रूप में अभिहित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में

इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश है।

परिभाषाएं। 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बैंक" से अभिप्रेत है—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक; 1934 का 2

(ii) डाकघर बचत बैंक;

(iii) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी; 1949 का 1

(iv) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 द्वारा यथा अंत:स्थापित धारा 5 के खंड (गगा) में यथापरिभाषित सहकारी बैंक; और 1949 का 1

(v) ऐसा कोई अन्य बैंक, जिसे रिजर्व बैंक, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करे;

(ख) "व्युत्पन्न" से किसी भविष्यवर्ती तारीख पर निपटाया जाने वाला ऐसा लिखत अभिप्रेत है जिसका मूल्य प्रतिभूतियों (जिसे "अन्तर्निहित" भी कहा गया है), या किसी अन्य अन्तर्निहित की ब्याज दर, विदेशी मुद्रा दर, प्रत्यय रेटिंग या प्रत्यय सूचकांक, कीमत में या किसी अन्य अंतर्निहित अथवा उनमें से एक से अधिक के संयोजन में परिवर्तन से व्युत्पन्न होता है और इसके अंतर्गत ब्याज दर विनिमय, अग्रिम दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय, विदेशी मुद्रा-रुपए के विनिमय, विदेशी मुद्रा विकल्प, विदेशी मुद्रा-रुपया विकल्प या ऐसा कोई अन्य लिखत भी है, जो रिजर्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ग) "इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण" से निधियों का कोई ऐसा अंतरण अभिप्रेत है, जो किसी व्यक्ति द्वारा अनुदेश, प्राधिकार या आदेश द्वारा किसी बैंक को उस बैंक में रखे गए खाते से रकम निकालने या उसमें जमा करने के लिए इलेक्ट्रानिक माध्यम से किया जाता है और उसके अंतर्गत विक्रय अंतरण के बिंदु, स्वचालित टेलर मशीन संव्यवहार, सीधे निक्षेप या निधियों का निकाला जाना, टेलीफोन, इंटरनेट और कार्ड संदाय द्वारा आरंभ किए गए अंतरण भी सम्मिलित हैं;

(घ) "सकल निपटान प्रणाली" से ऐसी संदाय प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें निधियों या प्रतिभूतियों का प्रत्येक निपटान पृथक् या व्यष्टिक अनुदेशों के आधार पर होता है;

(ङ) "शुद्ध अवधारण" से प्रणाली के भागीदारों के बीच संदाय बाध्यताओं या परिदान बाध्यताओं के मुजरे या समायोजन के परिणामस्वरूप शोध्य या संदेय अथवा परिदेय धन या प्रतिभूतियों की रकम का प्रणाली प्रदाता द्वारा अवधारण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत प्रणाली प्रदाता द्वारा किसी प्रणाली भागीदार के दिवालिएपन या विघटन या परिसमापन पर किसी भविष्य की तारीख पर निपटान के लिए स्वीकृत संव्यवहारों की समाप्ति पर उद्भूत दावे और बाध्यताएं या ऐसी अन्य परिस्थितियां जो प्रणाली प्रदाता अपने नियमों या विनियमों या उपविधियों (चाहे जिस नाम से ज्ञात हों) में विनिर्दिष्ट करे, भी हैं जिससे केवल शुद्ध दावे की ही मांग की जा सके या शुद्ध बाध्यता ही देय हो सके;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(छ) "संदाय अनुदेश" से,—

(i) किसी व्यक्ति द्वारा किसी प्रणाली भागीदार को; या

(ii) किसी प्रणाली भागीदार द्वारा किसी अन्य प्रणाली भागीदार को,

संदाय को प्रभावी करने के लिए किसी भी रूप में कोई लिखत, प्राधिकार या आदेश अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक साधन भी हैं;

(ज) "संदाय बाध्यता" से ऐसी ऋणिता अभिप्रेत है, जो किसी एक प्रणाली भागीदार द्वारा किसी अन्य प्रणाली भागीदार को निधियों, प्रतिभूतियों या विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्नों या अन्य संव्यवहारों से संबंधित एक या अधिक संदाय अनुदेशों के समाशोधन या निपटान के परिणामस्वरूप देय है;

(झ) "संदाय प्रणाली" से ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है, जो किसी संदायकर्ता और किसी हिताधिकारी के बीच संदाय किए जाने को समर्थ बनाती है, जिसमें समाशोधन, संदाय या निपटान सेवा अथवा वे सभी सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु स्टॉक एक्सचेंज सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "संदाय प्रणाली" के अन्तर्गत ऐसी प्रणाली है, जो क्रेडिट कार्ड प्रचालनों, डेबिट कार्ड प्रचालनों, स्मार्ट कार्ड प्रचालनों, धन अंतरण प्रचालनों या वैसे ही प्रचालनों को समर्थ बनाती है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाया गया विनियम अभिप्रेत है;

1934 का 2 (ठ) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

1944 का 18 (ड) "प्रतिभूतियों" से लोक ऋण अधिनियम, 1944 में यथापरिभाषित सरकारी प्रतिभूतियां या ऐसी अन्य प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उस अधिनियम के अधीन अधिसूचित की जाएं;

(ढ) "निपटान" से संदाय अनुदेशों का निपटान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्नों या ऐसे अन्य संव्यवहारों का निपटान भी है, जिनमें संदाय बाध्यताएं अंतर्वलित हैं;

(ण) "व्यवस्थित जोखिम" से—

(i) किसी प्रणाली भागीदार की संदाय प्रणाली के अधीन अपनी संदाय बाध्यताओं को, जब भी वे शोध्य हों, चुकाने में असमर्थता; या

(ii) प्रणाली में किसी विच्छिन्नता,

के कारण उद्भूत जोखिम अभिप्रेत है, जो अन्य भागीदारों को अपनी बाध्यताओं को, जब भी शोध्य हों, चुकाने में असफल कर सकेगी और जिससे प्रणाली की स्थिरता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है:

परंतु यदि इस बारे में कोई संदेह या मतभेद उत्पन्न होता है कि क्या किसी विशिष्ट जोखिम से प्रणाली की स्थिरता पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना है तो रिजर्व बैंक का विनिश्चय अंतिम होगा;

(त) "प्रणाली भागीदार" से कोई बैंक या ऐसा कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी संदाय प्रणाली में भाग ले रहा है और इसके अंतर्गत प्रणाली प्रदाता भी है;

(थ) "प्रणाली प्रदाता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्राधिकृत संदाय प्रणाली को प्रचालित करता है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिजर्व
934 का 2 बैंक अधिनियम, 1934 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन
949 का 10 अधिनियमों में उनके हैं।

अध्याय 2

अभिहित प्राधिकारी और उसकी समिति

अभिहित प्राधिकारी और उसकी समिति।

3. (1) रिजर्व बैंक इस अधिनियम के अधीन संदाय प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए अभिहित प्राधिकारी होगा।

(2) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, विनियम द्वारा, अपने केन्द्रीय बोर्ड की एक समिति का गठन कर सकेगा, जिसका नाम संदाय और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) रिजर्व बैंक का गवर्नर, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा;

(ख) रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, जिनमें से ऐसा डिप्टी गवर्नर, जो संदाय और निपटान प्रणाली का भारसाधक है, बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड से तीन से अनधिक निदेशक, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(4) उपधारा (2) के अधीन गठित बोर्ड की शक्तियां और कृत्य, उसके अधिवेशनों का समय और स्थान, ऐसे अधिवेशनों में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) और उससे आनुषंगिक अन्य विषय वे होंगे, जो विहित किए जाएं।

(5) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन गठित संदाय और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड को इस धारा के अधीन गठित बोर्ड समझा जाएगा और वह तदनुसार तब तक बना रहेगा जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन न हो जाए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से सुसंगत नहीं हैं शासित होगा। 1934 का 2

अध्याय 3

संदाय प्रणालियों का प्राधिकार

संदाय प्रणाली का प्राधिकार के बिना प्रचालन न किया जाना।

4. (1) रिजर्व बैंक से भिन्न कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार के अधीन और उसके अनुसार ही कोई संदाय प्रणाली प्रारंभ या प्रचालित करेगा, अन्यथा नहीं:

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी,—

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान संदाय प्रणाली के विद्यमान प्रचालन को ऐसे प्रारंभ से छह मास से अनधिक की अवधि तक जब तक कि ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी संदाय प्रणाली का प्रचालक इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार अभिप्राप्त नहीं कर लेता या इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन प्राधिकार के लिए किया गया आवेदन रिजर्व बैंक द्वारा नामंजूर नहीं कर दिया जाता;

(ख) ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के, जिसको संदाय शोध्य है, सम्यक् रूप से नियुक्त अभिकर्ता के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति को;

(ग) ऐसी किसी कंपनी को, जो अपनी नियंत्री कंपनी या अपनी समनुषंगी कंपनियों में से किसी से या ऐसी किसी अन्य कंपनी से, जो उसी नियंत्री कंपनी की समनुषंगी भी है, संदाय प्राप्त करती है;

(घ) ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे रिजर्व बैंक, मुद्रा नीति के हितों या संदाय प्रणालियों के दक्ष प्रचालन, किसी संदाय प्रणाली के विस्तार पर विचार करने के पश्चात्, या किसी अन्य कारण से, अधिसूचना द्वारा, इस धारा के उपबंधों से छूट प्रदान करे।

(2) रिजर्व बैंक, इस धारा की उपधारा (1) के अधीन, किसी कंपनी या निगम को पूरे देश में बैंकों के लिए सामान्य खुदरा समाशोधन गृह प्रणाली के लिए बैंकों के विद्यमान समाशोधन गृहों या नए समाशोधन गृहों को प्रचालित अथवा विनियमित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा:

परंतु, फिर भी ऐसी कंपनी या निगम के इक्यावन प्रतिशत से अन्यून साधारण शेयर पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा धारित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "पब्लिक सेक्टर बैंकों" में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में यथापरिभाषित कोई "तत्स्थानी नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" और "समनुषंगी बैंक" सम्मिलित होगा। 1949 का 10

प्राधिकार के लिए आवेदन।

5. (1) कोई भी व्यक्ति, जो किसी संदाय प्रणाली को प्रारंभ करने या चलाने की वांछा करता है, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार के लिए रिजर्व बैंक को आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाए।

रिजर्व बैंक द्वारा जांच।

6. धारा 5 के अधीन आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् और इस अधिनियम के अधीन प्राधिकार जारी किए जाने से पूर्व, रिजर्व बैंक ऐसी जांच कर सकेगा जो वह आवेदक द्वारा दी गई विशिष्टियों की असलियत, संदाय प्रणाली को प्रचालित करने की उसकी क्षमता, भागीदारों के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य कारण से आवश्यक समझे और जब ऐसी जांच इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो वह उस व्यक्ति से जांच के संबंध में रिपोर्ट की अपेक्षा कर सकेगा।

प्राधिकार का जारी किया जाना या नामंजूर किया जाना।

7. (1) रिजर्व बैंक, यदि धारा 6 के अधीन किसी जांच के पश्चात् या अन्यथा उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और वह इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अनुरूप है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के अधीन संदाय प्रणाली के प्रचालन के लिए प्राधिकार जारी कर सकेगा, अर्थात्:—

(i) प्रस्तावित संदाय प्रणाली या उसके द्वारा दी जाने वाली प्रस्तावित सेवाओं की आवश्यकता;

(ii) प्रस्तावित संदाय प्रणाली के तकनीकी मानक या उसका डिजाइन;

(iii) किसी सुरक्षा प्रक्रिया सहित प्रस्तावित संदाय प्रणाली के प्रचालन के निबंधन और शर्तें;

(iv) वह रीति, जिसमें संदाय प्रणाली के भीतर निधियों का अंतरण किया जा सकेगा;

(v) संदाय प्रणाली के अधीन संदाय बाध्यताओं को चुकाने के लिए संदाय अनुदेशों की नेटिंग के लिए प्रक्रिया;

(vi) आवेदक की वित्तीय स्थिति, प्रबंध का अनुभव या उसकी ईमानदारी;

(vii) उपभोक्ताओं के हित, जिनके अंतर्गत संदाय प्रणाली प्रदाताओं के साथ उनके संबंधों को शासित करने वाले निबंधन और शर्तें भी हैं;

(viii) मुद्रा नीति और प्रत्यय नीति; और

(ix) ऐसे अन्य कारक, जो रिजर्व बैंक द्वारा सुसंगत समझे जाएं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया प्राधिकार ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए और उसमें—

(क) उस तारीख का कथन होगा जिसको वह प्रभावी होगा;

(ख) उन शर्तों का कथन होगा, जिनके अधीन रहते हुए प्राधिकार प्रवृत्त होगा;

(ग) प्राधिकार को प्रवृत्त करने के लिए संदत्त की जाने वाली फीसों, यदि कोई हों, के संदाय को उपदर्शित किया जाएगा;

(घ) यदि वह आवश्यक समझे, आवेदक से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय प्रणाली के उचित संचालन के लिए ऐसी प्रतिभूति देने की अपेक्षा करेगा;

(ङ) प्राधिकार के प्रतिसंहृत किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा।

(3) जहां रिजर्व बैंक यह समझता है कि प्राधिकार के लिए आवेदन को नामंजूर किया जाना चाहिए, वहां वह आवेदक को इस आशय की एक लिखित सूचना देगा, जिसमें नामंजूर किए जाने के कारण बताए जाएंगे:

परंतु ऐसा कोई आवेदन तब तक नामंजूर नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(4) प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन पर रिजर्व बैंक द्वारा, यथाशक्य शीघ्र, कार्रवाई की जाएगी और ऐसे आवेदन का, उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

प्राधिकार का प्रतिसंहरण।

8. (1) यदि कोई प्रणाली प्रदाता,—

(i) इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, या

(ii) विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, या

(iii) अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों या निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, या

(iv) संदाय प्रणाली का प्रचालन उन शर्तों के विपरीत करता है, जिनके अधीन रहते हुए प्राधिकार जारी किया गया था,

तो रिजर्व बैंक, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्रणाली प्रदाता को दिए गए प्राधिकार को प्रतिसंहृत कर सकेगा:

परंतु उपधारा (1) के अधीन प्रतिसंहरण का कोई आदेश निम्नलिखित दशाओं में नहीं किया जाएगा,—

(i) प्रणाली प्रदाता को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना; और

(ii) प्रणाली प्रदाता को रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि संदाय प्रणाली का प्रचालन प्रतिसंहरण आदेश जारी किए जाने तक नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात ऐसे किसी मामले को लागू नहीं होगी, जिसमें रिजर्व बैंक किसी संदाय प्रणाली को दिए गए प्राधिकार को प्रतिसंहृत करना देश की मुद्रा नीति के हित में या ऐसे किन्हीं अन्य कारणों से, जो उसके द्वारा आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रतिसंहरण के आदेश में, ऐसे प्रतिसंहरण के आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के हितों की सुरक्षा करने और उसके रक्षोपायों के लिए आवश्यक उपबंध भी सम्मिलित हैं।

(4) जहां कोई प्रणाली प्रदाता दिवालिया हो जाता है या विघटित या परिसमापित कर दिया जाता है वहां ऐसा प्रणाली प्रदाता उस तथ्य की सूचना रिजर्व बैंक को देगा और तदुपरांत रिजर्व बैंक ऐसे उपाय करेगा, जो ऐसे प्रणाली प्रदाता को संदाय प्रणाली को प्रचालित करने के लिए जारी किए गए प्राधिकार को प्रतिसंहृत करने के लिए वह आवश्यक समझे।

केन्द्रीय सरकार को अपील।

9. (1) किसी प्राधिकार का कोई आवेदक, जिसका संदाय प्रणाली के प्रचालन के लिए आवेदन धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन नामंजूर कर दिया गया है या ऐसा प्रणाली प्रदाता, जो धारा 8 के अधीन प्रतिसंहरण के आदेश से व्यथित है, उस तारीख से, जिसको आदेश उसे संसूचित किया गया है, तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी अपील का निपटारा तीन मास की अवधि के भीतर करने का प्रयास करेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

अध्याय 4

रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन और पर्यवेक्षण

मानक अवधारित करने की शक्ति।

10. (1) रिजर्व बैंक समय-समय पर निम्नलिखित विहित कर सकेगा—

(क) संदाय अनुदेशों के रूप विधान, ऐसे अनुदेशों का आकार और स्वरूप;

(ख) संदाय प्रणालियों द्वारा पालन किया जाने वाला समय;

(ग) बैंक के बीच के या बैंकों और अन्य प्रणाली भागीदारों के बीच कागज-पत्र, इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा या किसी अन्य रीति में संदाय प्रणाली के भीतर निधियों के अंतरण की रीति;

(घ) साधारणतया संदाय प्रणालियों द्वारा पालन किए जाने वाले ऐसे अन्य मानक;

(ङ) संदाय प्रणाली की सदस्यता के लिए मानदंड, जिसके अंतर्गत सदस्यता का जारी रहना, समापन और रद्द किया जाना भी है;

(च) वे शर्तें, जिनके अधीन प्रणाली के भागीदार ऐसे निधि अंतरणों में भाग लेंगे और ऐसी निधियों में प्रणाली भागीदारों के अधिकार और बाध्यताएं।

(2) रिजर्व बैंक उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समय-समय पर, ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकेगा जो वह साधारणतया संदाय प्रणालियों के समुचित और दक्षतापूर्ण प्रबंध या किसी विशिष्ट संदाय प्रणाली के प्रतिनिर्देश से आवश्यक समझे।

संदाय प्रणाली में परिवर्तन की सूचना।

11. (1) कोई प्रणाली प्रदाता प्रणाली में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं करवाएगा, जो—

(क) रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना, और

(ख) रिजर्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात् प्रणाली भागीदारों को तीस दिन से अन्यून की सूचना दिए बिना,

संदाय प्रणाली की संरचना या प्रचालन को प्रभावित करें:

परंतु रिजर्व बैंक देश की मुद्रा नीति के हित में या लोकहित में प्रणाली प्रदाता को खंड (ख) के अधीन प्रणाली भागीदारों को, सूचना दिए बिना या प्रणाली प्रदाता से तीस दिन से अधिक की अवधि की सूचना देने की अपेक्षा करते हुए संदाय प्रणाली में कोई परिवर्तन करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जहां रिजर्व बैंक का किसी कारण से प्रस्तावित परिवर्तन के बारे में कोई आक्षेप है, वहां वह प्रणाली प्रदाता द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन की सूचना की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर उसे ऐसे आक्षेप को संसूचित करेगा।

(3) प्रणाली प्रदाता, रिजर्व बैंक से आक्षेपों की प्राप्ति के दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी टिप्पणियां रिजर्व बैंक को भेजेगा और प्रस्तावित परिवर्तन रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् ही प्रभावी किए जा सकेंगे।

विवरणियां, दस्तावेज या अन्य जानकारी मांगने की शक्ति।

12. रिजर्व बैंक किसी प्रणाली प्रदाता से ऐसी विवरणियां या दस्तावेज, ऐसे अंतरालों पर, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो रिजर्व बैंक समय-समय पर अपेक्षित करे या जो विहित किया जाए, मांग सकेगा और ऐसे आदेश का पालन किया जाएगा।

सूचना तक पहुंच।

13. रिजर्व बैंक को किसी संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबंधित किसी सूचना तक पहुंच रखने का अधिकार होगा और प्रणाली प्रदाता तथा सभी प्रणाली के भागीदार, रिजर्व बैंक को ऐसी जानकारी तक पहुंच उपलब्ध कराएंगे।

प्रवेश और निरीक्षण करने की शक्ति।

14. रिजर्व बैंक का उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम या किन्हीं विनियमों के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा, जहां संदाय प्रणाली का प्रचालन किया जा रहा है और किसी उपस्कर का निरीक्षण कर सकेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे परिसर में स्थित कोई कम्प्यूटर प्रणाली या अन्य दस्तावेज भी है और ऐसे प्रणाली प्रदाता या उसके भागीदार के किसी कर्मचारी या ऐसे परिसर में कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकेगा, जो उस अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों ।

जानकारी, आदि का गोपनीय होना।

15. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, रिजर्व बैंक द्वारा धारा 12 से धारा 14 (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के अधीन अभिप्राप्त कोई दस्तावेज या जानकारी गोपनीय रखी जाएगी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक उसके द्वारा धारा 12 से धारा 14 के अधीन (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) अभिप्राप्त किसी दस्तावेज या जानकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को प्रकट कर सकेगा, जिसके लिए ऐसे दस्तावेज या जानकारी का प्रकटन संदाय प्रणाली की विश्वसनीयता, प्रभाविता या सुरक्षा के लिए या बैंककारी या मुद्रा नीति के हित में या साधारणतया संदाय प्रणाली के प्रचालन या लोकहित में आवश्यक समझा जाए।

संपरीक्षा और निरीक्षण करने की शक्ति।

16. रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के प्रयोजन के लिए, संदाय प्रणाली या उसके भागीदारों की संपरीक्षा और निरीक्षण कर सकेगा या करा सकेगा और प्रणाली प्रदाता तथा प्रणाली भागीदारों का यह कर्तव्य होगा कि वे रिजर्व बैंक को ऐसी, यथास्थिति, संपरीक्षा या निरीक्षण करने में सहायता करें।

निदेश जारी करने की शक्ति।

17. जहां रिजर्व बैंक की यह राय है कि—

(क) कोई संदाय प्रणाली या प्रणाली का भागीदार ऐसे किसी कार्य, लोप या संचालन के अनुक्रम में लगा हुआ है या लगने वाला है, जिसका परिणाम व्यवस्थित जोखिम है या होने की संभावना है, जो अपर्याप्त रूप से नियंत्रित है; या

(ख) खंड (क) के अधीन किसी कार्रवाई से संदाय प्रणाली, देश की मुद्रा या प्रत्यय नीति के प्रभावित होने की संभावना है,

वहां रिजर्व बैंक ऐसी संदाय प्रणाली या प्रणाली भागीदार को ऐसी अवधि के भीतर उससे निम्नलिखित की अपेक्षा करते हुए निदेश जारी कर सकेगा, जो रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे—

(i) कार्य, लोप या संचालन के अनुक्रम में लगे रहने से रोकना और प्रविरत रहना या यह सुनिश्चित करना कि प्रणाली भागीदार ऐसे कार्य, लोक या संचालन के अनुक्रम में लगे न रहें और उससे प्रविरत रहें,

(ii) ऐसे कार्यों का पालन करना, जो रिजर्व बैंक की राय में स्थिति का उपचार करने के लिए आवश्यक हों।

रिजर्व बैंक की साधारणतया निदेश देने की शक्ति।

18. पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि संदाय प्रणाली को विनियमित करने के लिए या उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए या किसी संदाय प्रणाली के प्रबंध या प्रचालन के हित में या लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह संदाय प्रणाली के, जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक, गैर इलेक्ट्रानिक, देशी और अंतरराष्ट्रीय संदाय प्रणाली भी हैं, जो देशी संव्यवहारों को प्रभावित करती हैं, विनियमन से संबंधित नीतियां अधिकथित कर सकेगी और लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह प्रणाली प्रदाता या प्रणाली के भागीदारों या किन्हीं अन्य व्यक्तियों या ऐसे अभिकरण के लिए साधारणतया और विशिष्टतया संदाय प्रणाली से संबंधित कारबार के संचालन के संबंध में आवश्यक समझे।

रिजर्व बैंक के अनुदेशों का पालन किया जाना।

19. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा निदेश जारी किए गए हैं, ऐसे निदेशों का बिना किसी विलंब के पालन करेगा और पालन की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को उसके द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर दी जाएगी।

अध्याय 5

प्रणाली प्रदाता के अधिकार और कर्तव्य

प्रणाली प्रदाता द्वारा अधिनियम, विनियमों, आदि के अनुसार कार्य करना।

20. प्रत्येक प्रणाली प्रदाता, इस अधिनियम के उपबंध, विनियमों, प्रणाली भागीदारों के बीच संबंधों को शासित करने वाली संविदा, उन नियमों और विनियमों, जो संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबंधित हैं और उन शर्तों का, जिनके अधीन प्राधिकार जारी किया गया है और रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों के अनुसार संदाय प्रणाली का प्रचालन करेगा।

प्रणाली प्रदाता के कर्तव्य।

21. (1) प्रत्येक प्रणाली प्रदाता विद्यमान या भावी प्रणाली भागीदारों को, निबंधनों और शर्तों का प्रकटन करेगा, जिसके अंतर्गत संदाय प्रणाली के अधीन प्रभार और दायित्व की परिसीमाएं भी हैं, उनको संदाय प्रणाली के प्रचालन, नेटिंग व्यवस्थाओं को शासित करने वाले नियमों और विनियमों और अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय करेगा।

(2) प्रत्येक प्रणाली प्रदाता का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन अवधारित मानकों को बनाए रखे।

संदाय प्रणाली में दस्तावेजों को गोपनीय रखने का कर्तव्य।

22. (1) प्रणाली प्रदाता, किसी अन्य व्यक्ति को किसी दस्तावेज या उसके भाग की विद्यमानता या अंतर्वस्तु या प्रणाली भागीदारों द्वारा उसे दी गई किसी अन्य जानकारी को तब के सिवाय प्रकटित नहीं करेगा, जब ऐसा प्रकटन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अपेक्षित हो या ऐसा प्रकटन संबद्ध प्रणाली भागीदारों की अभिव्यक्त या विवक्षित सहमति से किया गया हो या जहां ऐसा प्रकटन सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय

या किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पारित आदेशों के अनुपालन में हो।

1891 का 18 (2) बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के उपबंध प्रणाली प्रदाता द्वारा किसी भी प्ररूप में रखी गई जानकारी या दस्तावेजों या अन्य बहियों के संबंध में लागू होंगे।

निपटान और शुद्ध अवधारण। **23.** (1) प्रणाली भागीदारों के बीच संदाय बाध्यताएं और निपटान अनुदेश, संदाय प्रणाली को प्राधिकार जारी करते समय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित, यथास्थिति, सकल और शुद्ध अवधारण प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किए जाएंगे।

(2) जहां संदाय प्रणाली के प्रचालन के लिए उपबंध करने वाले नियम प्रणाली भागीदारों और संदाय प्रणाली के बीच हानियों के संवितरण के लिए प्रक्रिया उपदर्शित करते हैं, वहां ऐसी प्रक्रिया, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, प्रभावी होगी।

(3) ऐसी प्रक्रिया के अधीन किया गया कोई निपटान अंतिम और अप्रतिसंहरणीय होगा।

1956 का 1 1949 का 10 (4) जहां किसी प्रणाली भागीदार को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया जाता है या उसका विघटन किया जाता है या समापन हो जाता है, तब कंपनी अधिनियम, 1956 या बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, न्यायनिर्णयन या विघटन या समापन का आदेश, ऐसे किसी निपटान पर जो अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है और नियमों, विनियमों या उपविधियों के अनुसार प्रणाली भागीदार द्वारा अभिदाय किए गए किसी सांपार्श्विक अभिदाय के निपटारे मद्दे विनियोग करने के प्रणाली प्रदाता के अधिकार को या ऐसे प्रणाली प्रदाता की अन्य बाध्यताओं पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस धारा में निर्दिष्ट निपटान, चाहे सकल हो या शुद्ध वहां तक अंतिम और अप्रतिसंहरणीय है, जहां तक ऐसे निपटान के परिणामस्वरूप संदेय धन, प्रतिभूतियां, विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्नी या अन्य संव्यवहार अवधारित कर दिए जाते हैं, चाहे ऐसा धन प्रतिभूति या विदेशी मुद्रा या व्युत्पन्नी या अन्य संव्यवहार का संदाय वास्तव में किया गया हो या नहीं।

अध्याय 6

विवादों का निपटान

विवादों का निपटान। **24.** (1) प्रणाली प्रदाता, ऐसे प्रणाली भागीदारों से भिन्न, जो संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबद्ध किसी विषय के संबंध में प्रणाली भागीदारों के बीच विवादों का विनिश्चय करने के लिए विवाद के पक्षकार हैं, तीन से अन्यून प्रणाली भागीदारों से मिलकर बनने वाले पैनल का सृजन करने के लिए अपने नियमों या विनियमों में उपबंध करेगा।

(2) जहां संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबद्ध किसी विषय के संबंध में दो या अधिक प्रणाली भागीदारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है वहां, प्रणाली प्रदाता ऐसे विवाद को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पैनल को निर्दिष्ट करेगा।

(3) जहां किसी प्रणाली भागीदार और प्रणाली प्रदाता के बीच या प्रणाली प्रदाताओं के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है या जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पैनल के विनिश्चय से किसी प्रणाली भागीदार का समाधान नहीं होता है, वहां ऐसा विवाद रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन न्यायनिर्णयन के लिए रिजर्व बैंक को निर्दिष्ट विवाद का निपटारा रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा, जिसे इस निमित्त साधारणतया या विशेषतया प्राधिकृत किया गया हो, किया जाएगा और रिजर्व बैंक का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा।

(5) जहां कोई विवाद प्रणाली प्रदाता या प्रणाली भागीदार की हैसियत में कार्य करते समय रिजर्व बैंक और किसी अन्य प्रणाली प्रदाता या प्रणाली भागीदार के बीच उत्पन्न होता है वहां मामले को केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो विवाद के निपटारे के लिए संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसे अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

खाते में निधि की अपर्याप्तता आदि के कारण इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण का अनादरण।

25. (1) जहां किसी व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा रखे गए लेखा द्वारा किए गए किसी इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण को इस आधार पर निष्पादित नहीं किया जा सकता है कि उस खाते में अंतरण अनुदेश का समादरण करने के लिए उस खाते में जमा धन पर्याप्त नहीं है या बैंक के साथ किए गए किसी करार द्वारा उस खाते से संदाय किए जाने के लिए की गई व्यवस्था से वह रकम अधिक है वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में समझा जाएगा मानो उसने अपराध किया है, वह और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के लिए कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण की रकम से दोगुने तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात, तब तक लागू नहीं होगी, जब तक कि—

(क) इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण किसी ऋण या अन्य दायित्व को संपूर्णत: या भागत: उन्मोचित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को धन की किसी रकम का संदाय करने के लिए न किया गया हो;

(ख) इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण प्रणाली प्रदाता द्वारा जारी सुसंगत प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार न किया गया हो;

(ग) फायदाग्राही इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण की बाबत संबंधित बैंक से उसे सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण करने की किसी व्यक्ति को लिखित सूचना देकर उक्त धन की रकम का संदाय करने के लिए मांग न की हो; और

(घ) इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण करने वाला व्यक्ति उक्त सूचना की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर फायदाग्राही को उक्त रकम का संदाय करने में असफल न रहा हो।

(2) जब तक कि प्रतिकूल साबित न हो जाए यह उपधारणा की जाएगी कि इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण किसी ऋण या अन्य दायित्व के संपूर्ण रूप में या भागरूप में उन्मोचन के लिए किया गया था।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के अभियोजन में यह प्रतिरक्षा नहीं होगी कि उस व्यक्ति के पास, जिसने किसी अनुदेश, प्राधिकरण आदेश या करार के माध्यम से इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण आरंभ किया था, ऐसे अनुदेश, प्राधिकरण आदेश या करार के समय, यह विश्वास किए जाने का कारण नहीं था कि उसके खाते में जमा इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए अपर्याप्त है।

(4) न्यायालय इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्यवाही के संबंध में, बैंक से इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण को रेखांकित करते हुए कोई संसूचना प्रस्तुत करने पर ऐसे इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण के तथ्य के बारे में तब तक उपधारणा करेगा कि जब तक की ऐसे तथ्य को नासाबित न कर दिया हो।

(5) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अध्याय 17 के उपबंध इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण को उस सीमा तक लागू होंगे, जिस तक परिस्थितियां स्वीकार करें। 1881 का 26

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए "ऋण या अन्य दायित्व" से, यथास्थिति, विधिक रूप से प्रवर्तनीय कोई ऋण या अन्य दायित्व अभिप्रेत है।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

शास्तियां।

26. (1) जहां कोई व्यक्ति धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या धारा 7 के अधीन निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जारी प्राधिकार का अनुपालन करने में असफल रहेगा, वहां वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान वह ऐसा अनुपालन करने में ऐसा उल्लंघन या असफलता जारी रहती है, अतिरिक्त जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) जो कोई प्राधिकार के लिए किसी आवेदन में, या इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन या उसके किसी उपबन्ध के अधीन या प्रयोजन के लिए दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी में या अन्य दस्तावेज या किसी अपेक्षित जानकारी में जानबूझकर कोई ऐसा कथन करता है जो किसी तात्त्विक विशिष्टि में मिथ्या है, जिसके बारे में वह जानता है कि वह मिथ्या है या जानबूझकर किसी तात्त्विक कथन को करने का लोप करेगा; वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा और जो पचास लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति किसी कथन, जानकारी, विवरणी या अन्य दस्तावेज को पेश करने में या कोई कथन, जानकारी, विवरणी या अन्य दस्तावेज देने में, जिसे देना धारा 12 या धारा 13 के अधीन उसका कर्तव्य है या किसी अधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षण की अपेक्षा है, जिसमें किसी संदाय प्रणाली के प्रचालन से संबंधित किसी प्रश्न का कोई उत्तर देना धारा 14 के अधीन उसका कर्तव्य है, असफल होगा तो वह जुर्माने से, जो प्रत्येक अपराध के संबंध में दस लाख रुपए तक का हो सकेगा और यदि वह लगातार ऐसे इन्कार करता है, तो ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा अपराध जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी जानकारी का प्रकटन करेगा, जो धारा 22 के अधीन प्रतिषिद्ध है, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसे प्रकटन के कार्य द्वारा कारित नुकसानी की रकम के दोगुने के बराबर रकम से, इनमें से जो भी अधिक हो, या दोनों से, दंडनीय होगी।

(5) जहां इस अधिनियम के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन, रिजर्व बैंक द्वारा अनुबंधित अवधि के भीतर नहीं किया जाता है या जहां ऐसी कोई अवधि अनुबंधित नहीं है, किसी युक्तियुक्त समय के भीतर; या जहां धारा 30 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर नहीं किया गया है, वहां प्रणाली प्रदाता या प्रणाली भागीदार जो ऐसे निदेश या जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक करोड़ रुपए तक हो सकेगा या दोनों से और जहां ऐसे निदेशों का अनुपालन करने में असफलता जारी रहती है तो अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले उल्लंघन के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, एक लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(6) यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया जाता है या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम, किए गए आदेश या अधिरोपित शर्त की किसी अन्य अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, जिसके संबंध में कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो, यथास्थिति, ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम के लिए दोषी व्यक्ति जुर्माने से, जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहने वाला है, वहां ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

कंपनियों द्वारा अपराध।

27. (1) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी विनियम, किए गए निदेश या आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कंपनी है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस उल्लंघन के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति को इस उपधारा में उपबंधित दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि, वह यह साबित कर देता है कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के किए जाने को निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी विनियम, निदेश या आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या अन्य व्यष्टि संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान।

28. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी द्वारा जो इस निमित्त साधारणत: या विशेष रूप से प्राधिकृत हो, की गई लिखित शिकायत के सिवाय नहीं करेगा और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण नही करेगा:

परंतु न्यायालय, इलेक्ट्रानिक निधि अंतरण के अनादरण से व्यथित व्यक्ति द्वारा लिखित में किए गए परिवाद पर धारा 25 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी को शिकायत फाइल करने के लिए वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकेगा, किन्तु मजिस्ट्रेट स्वविवेक पर प्रक्रिया के किसी प्रक्रम पर शिकायतकर्ता को वैयक्तिक रूप से होजिर होने का निदेश दे सकेगा। 1974 का 2

जुर्माने का उपयोजन।

29. इस अधिनियम के अधीन कोई जुर्माना अधिरोपित करने वाला न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि जुर्माने को पूर्णत: या उसके किसी भाग का उपयोग कार्यवाहियों के खर्चे का संदाय करने में या उसके संबंध में किया जाए।

रिजर्व बैंक की जुर्माने अधिरोपित करने की शक्ति।

30. (1) धारा 26 में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई उल्लंघन या व्यतिक्रम, यथास्थिति, धारा 26 की उपधारा (2) या उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तो रिर्जव बैंक उल्लंघन या किसी व्यतिक्रम कारित करने वाले व्यक्ति पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पांच लाख रुपए से या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम के दोगुने से अधिक न होगा, जहां ऐसी रकम निर्धारण योग्य हो, उनमें से जो अधिक हो, और जहां ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, तो ऐसी अतिरिक्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पच्चीस हजार रुपए तक हो सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के प्रयोजन के लिए, रिजर्व बैंक, ऐसे व्यतिक्रमी को उससे कारण बताने की अपेक्षा करते हुए सूचना भेजेगा, कि क्यों न सूचना में विनिर्दिष्ट रकम शास्ति के रूप में अधिरोपित की जाए और ऐसे व्यतिक्रमी को सुनवाई का उचित अवसर भी दिया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित कोई शास्ति रिजर्व बैंक द्वारा जारी सूचना को व्यतिक्रमी पर तामील होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और उसी अवधि के भीतर उक्त राशि का संदाय करने में व्यक्ति के असफल रहने की दशा में वह उस क्षेत्र पर, जहां व्यतिक्रमी कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय या व्यक्ति का कारबार का कार्यालय स्थित है, अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय द्वारा किए गए किसी संदाय पर वसूल की जा सकेगी:

परंतु ऐसा कोई निदेश रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए किसी आवेदन पर किए जाने के सिवाय नहीं किया जाएगा।

(4) रिजर्व बैंक शास्ति की रकम की वसूली या व्यतिक्रमी के चालू खाते, यदि कोई हो, से विकलित करके व्यतिक्रमी द्वारा धारित प्रतिभूतियों के परिसमापन द्वारा या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कर सकेगा।

(5) वह न्यायालय, जो उपधारा (3) के अधीन निदेश करता है, व्यतिक्रमी द्वारा संदेय रकम विनिर्दिष्ट करते हुए प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रत्येक प्रमाणपत्र उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा मानो वह सिविल वाद में न्यायालय द्वारा की गई डिक्री हो।

(6) जहां किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत, यथास्थिति, उपधारा (2) में या, धारा 26 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट स्वरूप के उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में फाइल की गई है वहां इस धारा के अधीन उस व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित करने की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अपराध के शमन की शक्ति।

31. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, किसी उल्लंघन के लिए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय कोई अपराध नहीं है, किसी कार्यवाही के संस्थित होने के पहले या पश्चात् ऐसा उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति से आवेदन की प्राप्ति पर, रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शमनीय होगा। 1974 का 2

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी उल्लंघन का शमन किया गया है, वहां, यथास्थिति, कोई कार्यवाही या और कार्यवाहियां इस धारा के अधीन ऐसे उल्लंघन कारित करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध इस प्रकार शमन किए गए उल्लंघन की बाबत, यथास्थिति, संस्थित या जारी नहीं की जाएंगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

32. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

शास्ति की वसूली का ढंग।

33. (1) धारा 30 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा व्यतिक्रमी पर अधिरोपित शास्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जिससे व्यतिक्रमी को कोई रकम शोध्य है, उससे यह अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करके वसूल की जा सकेगी कि वह उसके द्वारा व्यतिक्रमी को संदेय रकम में से शास्ति के रूप में रिजर्व बैंक को संदेय रकम की कटौती करे और उसका रिजर्व बैंक को संदाय करे।

(2) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशेष रूप से, जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंक या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है, वहां किसी प्रतिकूल नियम, व्यवहार या अपेक्षा के होते हुए भी कोई प्रविष्टि, पृष्ठांकन या ऐसी ही कोई समान क्रिया करने के प्रयोजन के लिए किसी पास बुक, निक्षेप रसीद, पालिसी या किसी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा।

(3) किसी ऐसी संपत्ति से संबंधित कोई दावा, जिसकी बाबत इस उपधारा के अधीन कोई सूचना जारी की गई है, जो सूचना की तारीख के पश्चात् उद्भूत हुआ है, सूचना में अंतर्विष्ट किसी मांग के प्रति शून्य होगा।

(4) जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस उपधारा के अधीन सूचना भेजी गई है, शपथ पर कथन के द्वारा यह आक्षेप करता है कि मांग की गई राशि या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी को शोध्य नहीं है या यह कि वह व्यतिक्रमी के लिए या उसकी ओर से कोई धन धारण नहीं करता है तो इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी राशि या उसके भाग या संदाय करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी, किन्तु यदि यह पता चलता है कि ऐसा कथन किसी विशिष्ट तथ्य के संबंध में मिथ्या था तो ऐसा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से, सूचना की तारीख को व्यतिक्रमी के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या रिजर्व बैंक द्वारा व्यतिक्रमी पर अधिरोपित शास्ति की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति दायी होगा।

(5) रिजर्व बैंक किसी भी समय या समय-समय पर, इस धारा के अधीन जारी किसी सूचना को संशोधित या प्रतिसंहृत कर सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में संदाय करने के समय को विस्तारित कर सकेगा।

(6) रिजर्व बैंक इस धारा के अधीन जारी किसी सूचना के अनुपालन में उसे संदत्त किसी रकम के लिए रसीद प्रदान करेगा और इस प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति इस प्रकार संदत्त रकम की सीमा तक व्यतिक्रमी के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया उन्मोचित होगा।

(7) इस धारा के अधीन कोई सूचना प्राप्त होने के पश्चात् व्यतिक्रमी के किसी दायित्व का उन्मोचन करने वाला कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से रिजर्व बैंक के प्रति इस प्रकार उन्मोचित व्यतिक्रमी के संबंध में अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या रिजर्व बैंक द्वारा व्यतिक्रमी पर अधिरोपित शास्ति की सीमा तक, उनमें से जो भी कम हो, दायी होगा।

(8) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन कोई सूचना भेजी गई है, उसके अनुसरण में रिजर्व बैंक को संदाय करने में असफल रहता है तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उस रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध इस प्रकार आगे और कार्यवाहियां की जा सकेंगी मानो वह इस धारा में उपबंधित रीति में उससे शोध्य बकाया हो।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "व्यतिक्रमी" से ऐसा कोई व्यक्ति या प्रणाली प्रदाता या प्रणाली भागीदार अभिप्रेत है, जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा धारा 30 के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित की गई है।

स्टाक एक्सचेंजों या स्टाक एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों को अधिनियम का लागू न होना।

34. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात स्टाक एक्सचेंजों या स्टाक एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों को लागू नहीं होगी।

कतिपय व्यक्तियों का लोक सेवक समझा जाना।

35. रिजर्व बैंक के ऐसे प्रत्येक अधिकारी को, जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई शक्ति सौंपी गई है, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक माना जाएगा। 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

36. इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए किसी विनियम, किए गए किसी आदेश या दिए गए निदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक या उसके किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

37. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

रिजर्व बैंक की विनियम बनाने की शक्ति।

38. (1) रिजर्व बैंक, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम से सुसंगत विनियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) उपधारा (2) के अधीन गठित समिति की शक्तियां और कृत्य, उसके अधिवेशनों का समय और स्थान और अपने अधिवेशनों में धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन उसके द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है);

(ख) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन, किसी संदाय प्रणाली के प्रारंभ के लिए या चलाने हेतु प्राधिकार के लिए कोई आवेदन किया जाएगा, और वह फीस, जो ऐसे आवेदन के साथ होगी;

(ग) वह प्ररूप, जिसमें धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन इस अधिनियम के अधीन किसी संदाय प्रणाली का प्राधिकार जारी किया जाएगा;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन संदाय प्रणाली द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मानकों का अवधारण करने के संबंध में संदाय अनुदेशों और अन्य विषयों का प्रारूप;

(ङ) ऐसे अंतराल, जिस पर और प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 12 के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अपेक्षित सूचना या विवरणियां प्रस्तुत की जाएंगी;

(च) ऐसे अन्य विषय, जिनका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किए जाएं।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई विनियम ऐसी पूर्ववर्ती या पश्चात्वर्ती तारीख से (न कि इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्वतर तारीख से) प्रभावी होगा, जो विनियम में विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) रिजर्व बैंक द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा और केन्द्रीय सरकार उसकी एक प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, रखवाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 52)

[20 दिसम्बर, 2007]

भारत में जनजातीय जनसंख्या के लिए उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसरों को सुकर बनाने और उनकी अभिवृद्धि के लिए मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक स्थित एक अध्यापन और संबद्धक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी प्रादेशिक केन्द्र या किसी मान्यताप्राप्त संस्था के संबंध में ''शैक्षणिक बोर्ड'' से, यथास्थिति, ऐसे केन्द्र या संस्था के विद्या संबंधी विषयों का भारसाधक और विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में मान्यताप्राप्त शैक्षणिक निकाय अभिप्रेत है;

(ख) ''विद्या परिषद्'' से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृंद'' से ऐसे प्रवर्गों के कर्मचारिवृंद अभिप्रेत हैं जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में अभिहित किए जाएं;

(घ) ''सम्बद्ध महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय अभिप्रेत हैं;

(ङ) ''अध्ययन बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) ''कैंपस'' से शिक्षा या अनुसंधान या दोनों के लिए प्रबंध करने हेतु स्थापित या गठित इकाई अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत दूरस्थ कैंपस भी हैं;

(छ) ''कुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रतिकुलपति'' से क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलपति अभिप्रेत हैं;

(ज) ''महाविद्यालय विकास परिषद्'' से विश्वविद्यालय की महाविद्यालय विकास परिषद् अभिप्रेत है;

(झ) ''सभा'' से विश्वविद्यालय की सभा अभिप्रेत है;

(ञ) ''संकायाध्यक्ष'' से विश्वविद्यालय के किसी संकाय का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) ''विभाग'' से अध्ययन विभाग अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्ययन केन्द्र भी है;

(ठ) ''दूर शिक्षा पद्धति'' से संचार के किसी माध्यम, जैसे कि प्रेसारण, टेलिविजन प्रसारण, वैबकास्टिंग पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, संपर्क कार्यक्रम अथवा ऐसे किन्हीं दो या अधिक माध्यमों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धति अभिप्रेत है;

(ड) ''निदेशक'' से किसी प्रादेशिक केन्द्र का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ढ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद हैं;

(ण) ''कार्य परिषद्'' से विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् अभिप्रेत है;

(त) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(थ) ''वित्त समिति'' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(द) ''छात्र-निवास'' से विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या संस्था के छात्रों के लिए निवास या सामूहिक जीवन की इकाई अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई या मान्यताप्राप्त है;

(ध) ''संस्था'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त ऐसी शैक्षणिक संस्था अभिप्रेत है, जो महाविद्यालय नहीं है;

(न) ''प्रबंध बोर्ड'' से किसी प्रादेशिक केन्द्र या किसी मान्यताप्राप्त संस्था के संबंध में, यथास्थिति, ऐसे केन्द्र या संस्था के कामकाज के प्रबंध का भारसाधक और विश्वविद्यालय द्वारा उस रूप में मान्यताप्राप्त शासी निकाय अभिप्रेत है;

(प) ''प्राचार्य'' से विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या किसी

संस्था का प्रधान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत, जहां कोई प्राचार्य नहीं है, वहां प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिए तत्समय सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और प्राचार्य या कार्यकारी प्राचार्य के न होने पर उप-प्राचार्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति है;

(फ) "मान्यताप्राप्त शिक्षक" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारप्राप्त महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त है;

(ब) "प्रादेशिक केन्द्र" से विश्वविद्यालय द्वारा गठित और परिनियमों में यथाविहित और जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित विश्वविद्यालय के भाग के रूप में कार्य कर रहे दूरस्थ कैंपस अभिप्रेत हैं;

(भ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा बनाए गए तत्समय प्रवृत्त विनियम अभिप्रेत हैं;

(म) "अनुसूचित जनसंख्या" से भारत के संविधान में यथापरिभाषित अनुसूचित जनजातियां और साथ ही अनुसूचित जातियां अभिप्रेत हैं और उसमें सम्मिलित हैं;

(य) "परिनियम" और "अध्यादेश" से क्रमशः तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(यक) "विश्वविद्यालय के शिक्षक" से आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत हैं, जो विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने या अनुसंधान का संचालन करने के लिए नियुक्त किए जाएं और अध्यादेशों द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किए जाएं;

(यख) "विश्वविद्यालय" से इस अधिनियम के अधीन यथानिगमित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

विश्वविद्यालय की स्थापना।

3. (1) मध्य प्रदेश राज्य में, "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय अमरकंटक में होगा।

(3) विश्वविद्यालय के जनजातीय क्षेत्रों में उतनी संख्या में प्रादेशिक केन्द्र और कैंपस होंगे, जो विश्वविद्यालय ठीक समझे।

(4) प्रथम कुलाधिपति, प्रथम कुलपति तथा सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और उन सभी व्यक्तियों को, जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसे अधिकारी या सदस्य बने रहें, मिलाकर इसके द्वारा "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित निकाय गठित किया जाता है।

(5) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे,—

(i) भारत की जनजातीय जनसंख्या के लिए मुख्यतः उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करना;

(ii) जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, चिकित्सीय पद्धतियों, प्रथाओं, वन आधारित आर्थिक क्रियाकलापों, वनस्पति, जीवतजन्तु से संबंधित शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और अभिवर्धन तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित प्रौद्योगिकियों की अभिवृद्धि करना;

(iii) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों या संगठनों के साथ, विशेष रूप से जनजातीय जनसंख्या पर सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए सहयोग करना;

(iv) जनजातीय केंद्रित विकास आदर्शों को तैयार करना, रिपोर्टें और मोनोग्राफ प्रकाशित करना; और जनजातियों से संबंधित मुद्दों पर सम्मेलन, सेमीनार आयोजित करना; और विभिन्न क्षेत्रों में नीति संबंधी विषयों में निवेश का उपबंध करना;

(v) अपने स्वयं के विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्चतर शिक्षा में पहुंच द्वारा अपनी स्वयं की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने, उन्हें शासित करने और उनकी देखभाल करने, सक्षम जनजातीय समुदायों के सदस्यों के संवर्धन के लिए समुचित उपाय करना;

(vi) विद्या की ऐसी अन्य शाखाओं, जो वह ठीक समझे, शिक्षा और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना;

(vii) भारत संघ के भीतर अनुसूचित जनजातियों के लिए अंतर विषयक अध्ययन और अनुसंधान में अध्यापन और अध्ययन की प्रक्रियाओं में नई पद्धति की अभिवृद्धि के लिए समुचित उपाय करना; और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दशाओं को सुधारने तथा उनके कल्याण, उनके बौद्धिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष ध्यान देना।

विश्वविद्यालय की शक्तियां।

5. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) विद्या की ऐसी शाखाओं में, जो विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान के लिए और ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(ii) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य प्रणाली के आधार पर व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र देना और उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियां प्रदान करना तथा उचित और पर्याप्त कारण होने पर ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी उपाधियों को वापस लेना;

(iii) निदेशबाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं का आयोजन करना और उन्हें प्रारंभ करना;

(iv) परिनियमों द्वारा विहित रीति से सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(v) उन व्यक्तियों को, जिन्हें यह अवधारित करे, दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से सुविधाएं प्रदान करना;

(vi) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित निदेशक, प्राचार्य, सहयोजित आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक और अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पद संस्थित करना और ऐसे निदेशक, प्राचार्य, सहयोजित आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक या अन्य अध्यापन या शैक्षणिक पदों पर व्यक्तियों को नियुक्त करना;

(vii) उच्चतर विद्या की किसी संस्था को ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, मान्यता देना और ऐसी मान्यता को वापस लेना;

(viii) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था में शिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को मान्यता देना;

(ix) किसी अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्था में कार्य करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विश्वविद्यालय के शिक्षकों के रूप में नियुक्त करना;

(x) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xi) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकारी या उच्चतर शिक्षा की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार या सहयोग करना या सहयुक्त होना;

(xii) केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन से अनुसंधान और शिक्षण के लिए ऐसे कैम्पस, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशालाएं या अन्य इकाइयां स्थापित करना, जो विश्वविद्यालय की राय में, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(xiii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xiv) महाविद्यालय, संस्थाएं और छात्र-निवास स्थापित करना और चलाना;

(xv) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिए व्यवस्था करना और उस प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं, औद्योगिक या अन्य संगठनों से ऐसे ठहराव करना, जिन्हें विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xvi) अध्यापकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, कार्यशालाएं, सेमिनार और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन और संचालन करना;

(xvii) महिला विद्यार्थियों के निवास और शिक्षण की बाबत ऐसे विशेष प्रबंध करना, जो विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर या अन्यथा नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अभिवृद्धि में योगदान दे सकें;

(xix) परिनियमों के अनुसार, यथास्थिति, किसी महाविद्यालय या संस्था या विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(xx) भारत में अवस्थित ऐसे महाविद्यालयों और संस्थाओं को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना; उन सभी या उनमें से किन्हीं विशेषाधिकारों को, ऐसी शर्तों के अनुसार, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, वापस लेना, ऐसे छात्र-निवासों को, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाए जाते हैं और छात्रों के लिए अन्य वास-सुविधाओं को मान्यता देना, उनका मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और ऐसी किसी मान्यता को वापस लेना;

(xxi) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति है;

(xxii) फीसों और अन्य प्रभारों की मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xxiii) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxiv) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xxv) छात्रों और कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उनके द्वारा अनुशासन का पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना, जो विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझे जाएं;

(xxvi) कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xxvii) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालयों के प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्ति भी है, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबंध और व्ययन करना;

(xxviii) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेना;

(xxix) देश के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में उतनी संख्या में प्रादेशिक केन्द्रों की स्थापना करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हों;

(xxx) प्रवेश के विषयों में, नियोजन के विषय में स्थानों की पर्याप्त प्रतिशतता और अन्य फायदों का उपबंध करके अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के शैक्षिक, आर्थिक संवर्धन और कल्याण के लिए विशेष उपबंध करना;

(xxxi) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना, जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

अधिकारिता।

6. विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा।

विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।

7. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए, चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी मानदंड अपनाएं या उन पर अधिरोपित करें:

परंतु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

विद्यार्थियों का निवास।

8. ऐसे विद्यार्थी से भिन्न, जो दूर शिक्षा पद्धति द्वारा अध्ययन का पाठ्यक्रम लेना चाहता है, विश्वविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी, किसी छात्र निवास या छात्रावास या ऐसी शर्तों के अधीन निवास करेगा, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

विद्यालयों को स्थापित करने और चलाने की शक्ति।

9. विश्वविद्यालय को, परिनियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्र में क्षेत्र के विद्यालयों के लिए आदर्श विद्यालय के रूप में कम से कम एक विद्यालय स्थापित करने की शक्ति होगी।

कुलाध्यक्ष।

10. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा।

(2) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के, जिसके अंतर्गत चलाए जा रहे महाविद्यालय और संस्थाएं भी हैं, कार्य और प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए

समय-समय पर एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा; और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कुलाध्यक्ष, उस पर कुलपति के माध्यम से कार्य परिषद् का विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह रिपोर्ट में चर्चित विषयों में से किसी के बारे में आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(3) कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं तथा उपस्कर का और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उसके विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की गई परीक्षा या दिए गए शिक्षण और अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों या संस्थाओं के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(4) कुलाध्यक्ष, उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना,—

(क) विश्वविद्यालय को देगा, यदि ऐसा निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी है; या

(ख) महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधतंत्र को देगा, यदि निरीक्षण या जांच विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जानी है, और, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र को, कुलाध्यक्ष को ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(5) कुलाध्यक्ष, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, ऐसा निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (3) में निर्दिष्ट है।

(6) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या प्रबंधतंत्र एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा, जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(7) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा, जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति कार्य परिषद् को कुलाध्यक्ष के विचार तथा ऐसी सलाह संसूचित करेगा, जो कुलाध्यक्ष द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में दी गई हो।

(8) यदि निरीक्षण या जांच, विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त किसी महाविद्यालय या संस्था के संबंध में की जाती है तो कुलाध्यक्ष, ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कार्रवाई करने के संबंध में कुलपति के माध्यम से संबंधित प्रबंधतंत्र को संबोधित कर सकेगा और ऐसे विचार और सलाह दे सकेगा, जो वह देना चाहे।

(9) यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा, जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या की गई है।

(10) जहां कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और, यथास्थिति, कार्य परिषद् या प्रबंधतंत्र ऐसे निदेशों का पालन करेगा।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाध्यक्ष विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्यवाही को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं हैं, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई आदेश करनें से पहले, वह कुलसचिव से इस बात के कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है तो वह उस पर विचार करेगा।

(12) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

11. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) प्रतिकुलपति;

(4) निदेशक;

(5) संकायाध्यक्ष;

(6) कुलसचिव;

(7) वित्त अधिकारी;

(8) परीक्षा नियंत्रक;

(9) पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(10) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किए जाएं।

कुलाधिपति।

12. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, कुलाध्यक्ष द्वारा, ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से, विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और यदि वह उपस्थित है तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों में पीठासीन होगा।

कुलपति।

13. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) यदि कुलपति की यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा उस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकारी को इसकी अगली बैठक में देगा:

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अभ्यावेदन कार्य परिषद् को करे और तब कार्य परिषद् कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगी, उपांतरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(4) यदि कुलपति की यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों द्वारा प्रदत्त प्राधिकारी की शक्तियों के बाहर है या जो विनिश्चय किया गया है, वह विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो वह संबंधित प्राधिकारी से अपने विनिश्चय का, ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकारी उस विनिश्चय का पूर्णत: या भागत: पुनर्विलोकन करने से इंकार करता है या उसके द्वारा उक्त साठ दिन की अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया जाता है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन होगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

14. प्रतिकुलपति की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। प्रतिकुलपति।

15. प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। संकायाध्यक्ष।

16. प्रादेशिक केन्द्र के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। प्रादेशिक केन्द्रों के निदेशक।

17. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं। कुलसचिव।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

18. वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। वित्त अधिकारी।

19. परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। परीक्षा नियंत्रक।

20. पुस्तकालयाध्यक्ष की नुक्ति ऐसी रीति से और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। पुस्तकालयाध्यक्ष।

21. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति और उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। अन्य अधिकारी।

22. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे:— विश्वविद्यालय के प्राधिकारी।

(1) सभा;
(2) कार्य परिषद्;
(3) विद्या परिषद्;

(4) महाविद्यालय विकास परिषद्;

(5) अध्ययन बोर्ड;

(6) वित्त समिति; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किए जाएं।

सभा।

23. (1) सभा का गठन तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी:

परंतु सभा में अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे:

परंतु यह और कि उतने सदस्य, जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, विश्वविद्यालय के अध्यापकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों में से निर्वाचित किए जाएंगे।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास के लिए उपाय सुझाना;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं पर तथा ऐसे लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना;

(ग) कुलाध्यक्ष को किसी ऐसे मामले की बाबत सलाह देना जो उसे सलाह के लिए निर्देशित किया जाए; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कार्य परिषद्।

24. (1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु यह कि कार्य परिषद् में अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे:

परंतु यह और कि उतने सदस्य, जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, सभा के निर्वाचित सदस्यों में से होंगे।

विद्या परिषद्।

25. (1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान, शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी और उस पर साधारण पर्यवेक्षण रखेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु विद्या परिषद् में अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे:

परंतु यह और कि उतने सदस्य, जितने परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, सभा के उन निर्वाचित सदस्यों में से होंगे, जो विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं।

महाविद्यालय विकास परिषद्।

26. (1) महाविद्यालय विकास परिषद् विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को महाविद्यालयों को देने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) महाविद्यालय विकास परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा उसकी शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु महाविद्यालय विकास परिषद् में अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे।

अध्ययन बोर्ड, विद्या बोर्ड और प्रबंध बोर्ड।

27. अध्ययन बोर्डों, विद्या बोर्डों और प्रबंध बोर्डों का गठन, शक्तियां और कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु यह कि अध्ययन बोर्डों, विद्या बोर्डों और प्रबंध बोर्डों में अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे।

वित्त समिति।

28. वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु यह कि वित्त समिति में अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे।

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी।

29. ऐसे अन्य प्राधिकारियों का, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के रूप में घोषित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य, परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे:

परंतु यह कि विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों में अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त संख्या में सदस्य होंगे।

परिनियम बनाने की शक्ति।

30. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों और अन्य निकायों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, उनकी शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकारियों और निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकारियों और अन्य निकायों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां और कर्तव्य तथा उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारीवृंद तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय के मान्यताप्राप्त शिक्षकों के रूप में व्यक्तियों की मान्यता;

(च) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिसके अंतर्गत पेंशन, बीमा, भविष्य-निधि का उपबंध, सेवा समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(झ) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् की प्रक्रिया;

(ञ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् को अपील करने की प्रक्रिया;

(ट) किसी महाविद्यालय या किसी संस्था या किसी विभाग को स्वायत्त प्रास्थिति प्रदान करना;

(ठ) संकायों, विभागों, केन्द्रों, छात्रावासों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और समाप्ति;

(ड) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ढ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ण) वे शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और संस्थाओं को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे और ऐसे विशेषाधिकारों का वापस लिया जाना;

(त) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध;

(थ) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(द) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना; और

(ध) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम के अनुसार परिनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

परिनियम कैसे बनाए जाएंगे।

31. (1) प्रथम परिनियम वे हैं, जो अनुसूची में उपवर्णित हैं।

(2) कार्य परिषद्, समय-समय पर, नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी:

परन्तु कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियों या गठन पर प्रभाव डालने वाले कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगी, उनका संशोधन या निरसन नहीं करेगी, जब तक उस प्राधिकारी को प्रस्थापित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्य परिषद् विचार करेगी।

(3) प्रत्येक नए परिनियम या किसी परिनियम के परिवर्धन या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी, जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित रख सकेगा या उसे कार्य परिषद् को पुनः विचार के लिए वापिस भेज सकेगा।

(4) किसी नए परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति न दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक बाद की तीन वर्ष की अवधि के दौरान नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा:

परन्तु कुलाध्यक्ष, तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर, ऐसे विस्तृत परिनियम, जो वह आवश्यक समझे, ऐसी समाप्ति की तारीख से एक वर्ष के भीतर बना सकेगा और ऐसे विस्तृत परिनियम संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाएंगे।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि कार्य परिषद् ऐसे निदेश को, उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है

तो कुलाध्यक्ष कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति।

32. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नाम दर्ज किया जाना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार देना;

(छ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(ज) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य हैं;

(झ) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(ञ) छात्राओं के निवास और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम विहित करना;

(ट) उन कर्मचारियों से भिन्न कर्मचारियों की, जिनके लिए परिनियमों में उपबंध कर दिया गया है, नियुक्तियां और परिलब्धियां;

(ठ) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(ड) प्रादेशिक केन्द्रों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, अन्य संस्थाओं, अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना और प्रबंध;

(ढ) अन्य विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और अन्य अभिकरणों के साथ, जो लाभ के किसी क्रियाकलाप को करने में संलग्न नहीं हैं, जिनके अंतर्गत विद्युत् निकाय या संगम है, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ण) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(त) अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, छात्रवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों की स्थापना;

(थ) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्रबंध का पर्यवेक्षण;

(द) ऐसे सभी अन्य विषय, जिनका इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से कार्य परिषद् द्वारा किसी भी समय संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

विनियम।

33. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, स्वयं अपने और अपने द्वारा नियुक्त की गई समितियों के, यदि कोई हों, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, कार्य संचालन के लिए परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

34. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार की जाएगी जिसमें, अन्य विषयों के साथ-साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह सभा को, उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा, अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र, उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

35. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलन-पत्र, कार्य परिषद् के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पन्द्रह मास से अनधिक के अंतरालों पर उनकी लेखापरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, उन पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट और कार्य परिषद् के संप्रेक्षणों के साथ, सभा और कुलाध्यक्ष को, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण सभा के ध्यान में लाए जाएंगे और सभा के संप्रेक्षण, यदि कोई हों, कार्य परिषद् द्वारा विचार किए जाने के पश्चात् कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(4) वार्षिक लेखाओं की एक प्रति, कुलाध्यक्ष को यथा प्रस्तुत की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो, यथाशीघ्र, उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

विश्वविद्यालय की निधि।

36. (1) विश्वविद्यालय की एक निधि होगी, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) राज्य सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या अनुदान;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया कोई अभिदाय या अनुदान;

(ग) सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासी निकायों द्वारा किया गया कोई अभिदाय;

(घ) किसी प्राइवेट व्यष्टि या संस्था द्वारा की गई कोई वसीयत, किया गया संदाय, विन्यास या अन्य अनुदान;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा फीस और प्रभारों से प्राप्त आय; और

(च) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त रकमें।

1934 का 2
1970 का 5
1980 का 40
1882 का 2

(2) उक्त निधि की रकम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित किसी अनुसूचित बैंक या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 के अधीन गठित किसी तत्स्थानी नए बैंक में रखी जाएगी या भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 द्वारा प्राधिकृत ऐसी प्रतिभूतियों में विनिहित की जा सकेगी, जो कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) उक्त निधि विश्वविद्यालय के ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में उपयोग की जा सकेगी, जो विहित की जाए।

विवरणियां और जानकारी।

37. विश्वविद्यालय, केन्द्रीय सरकार को, अपनी संपत्ति या क्रियाकलापों की बाबत ऐसी विवरणियां या अन्य जानकारी देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर अपेक्षा करे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

38. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी, लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी, और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम्, अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात कर्मचारी को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों को प्राप्त करने से नहीं रोकेगी।

1996 का 26

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा।

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

39. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है, उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर कार्य परिषद् को अपील कर सकेगा और कार्य परिषद्, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 38 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को यथाशक्य लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

40. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या उसके विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य या प्रबंधतंत्र के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, कार्य परिषद् को अपील करने का अधिकार होगा और तब कार्य परिषद् उस विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी या उलट सकेगी।

भविष्य-निधि और पेंशन निधि।

41. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य निधि हो। 1925 का 19

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद।

42. यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन।

43. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियम के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गई है, वहां ऐसी समितियां, अन्यथा उपबंधित के सिवाय, संबद्ध प्राधिकारी के सदस्यों और ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, से मिलकर बनेगी जिसे प्राधिकारी प्रत्येक मामले में ठीक समझे।

आकस्मिक रिक्तियों को भरा जाना।

44. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों में (पदेन सदस्यों से भिन्न) सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा भरी जाएंगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस शेष अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

45. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों के बीच कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

46. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होंगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

47. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में है या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाने पर, उस दशा में, जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी। 1872 का 1

कठिनाई को दूर करने की शक्ति।

48. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के

उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

49. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनिबम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो, तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों या उनमें से किसी को उस तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से पूर्वतर न हों, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति भी होगी, किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा, जिससे कि किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू हो, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

संक्रमणकालीन उपबंध।

50. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों पर, जो ठीक समझी जाएं, नियुक्त किए जाएंगे और उक्त अधिकारी पांच वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद धारण करेगा;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम वित्त अधिकारी, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;

(ग) प्रथम सभा और प्रथम कार्य परिषद् में क्रमश: इकतीस और ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(घ) प्रथम महाविद्यालय विकास परिषद् में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे;

(ङ) प्रथम विद्या परिषद् में इक्कीस से अनधिक सदस्य होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे:

परंतु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकारियों में कोई रिक्ति होती है तो वह केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती तो, पद धारण करता।

अनुसूची

(धारा 31 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति।

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के विद्या संबंधी या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी:

परंतु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मंगा सकेगा।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए, पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परंतु, कुलाधिपति अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

कुलपति।

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन यथागठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

परंतु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह नया पैनल मंगा सकेगा।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती समिति का संयोजक होगा:

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य, विश्वविद्यालय का कर्मचारी या कार्य परिषद्, विद्या परिषद् का सदस्य या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य अथवा विश्वविद्यालय से सहबद्ध किसी संस्था से जुड़ा नहीं होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता:

परंतु यह और कि कुलाध्यक्ष किसी भी कुलपति को, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, यह निदेश दे सकेगा कि वह कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा।

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से 25,000 रु० (नियत) मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के अनुरक्षण की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा। वह विश्वविद्यालय की कार का निःशुल्क उपयोग करने का हकदार होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा, जो कार्य परिषद् द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर नियत किए जाएं:

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे या किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही या उससे सहबद्ध महाविद्यालय या किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में, उसी दर से अभिदाय करेगा, जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था:

परंतु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति ऐसी दरों से जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते का हकदार होगा;

(iv) कुलपति किसी कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या छोड़ता है तो छुट्टी को अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्ध-वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा:

परंतु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तब अर्ध-वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा शोध्य अर्ध-वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी।

(6) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तो ज्येष्ठतम प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा:

परंतु यदि प्रतिकुलपति, उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पदग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य।

3. (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं ऐसी शक्तियों का किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(6) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद्, योजना बोर्ड और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

प्रतिकुलपति।

4. (1) प्रत्येक प्रतिकुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी:

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जाती, वहां उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा, जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्त करेगा या कुलपति से कार्य परिषद् के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा:

परन्तु यह और कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर किसी आचार्य को, आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त, प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी, जो कार्य परिषद् विनिश्चित करे, किन्तु किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी या कुलपति की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो:

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति किसी भी दशा में पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु यह भी प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (6) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति या विद्यमान कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता:

परंतु यह भी कि जब कुलपति का पद रिक्त हो जाता है और कुलपति के कर्तव्यों का पालन करने के लिए कोई प्रतिकुलपति नहीं है, तो कार्य परिषद् एक प्रतिकुलपति की नियुक्ति कर सकेगी और इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रतिकुलपति जैसे ही कुलपति की नियुक्ति होती है और वह अपना पद धारण कर लेता है, यथाशीघ्र, उस रूप में पद पर नहीं रहेगा।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा, जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन भी करेगा, जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्योयाजित किए जाएं।

संकायाध्यक्ष।

5. (1) किसी संकाय के प्रत्येक अध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस संकाय के आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु संकायाध्यक्ष बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद पर नहीं रहेगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी समय किसी संकाय में कोई आचार्य नहीं है, तो कुलपति या इस निमित्त कुलपति द्वारा प्राधिकृत कोई संकायाध्यक्ष उस संकाय के अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(3) संकायाध्यक्ष, संकाय का अध्यक्ष होगा और संकाय में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, संकाय की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

कुलसचिव। 6. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) कुलसचिव की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु यह और कि कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त हो या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी, जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जांच के लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और महाविद्यालय विकास परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु वह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उन प्राधिकारियों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् तथा उन प्राधिकारियों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) कुलाध्यक्ष और कुलाधिपति को, विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे, जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी समय-समय पर कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए या जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं।

वित्त अधिकारी।

7. (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा, विहित की जाएं:

परन्तु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु यह और कि वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब तक वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं के उपस्कर तथा उपभोज्य अन्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय तथा अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी मांगेगा तो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

परीक्षा नियंत्रक।

8. (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा, विहित की जाएं:

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा:

परन्तु यह और कि परीक्षा नियंत्रक, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता या एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, इनमें से जो भी पहले हो।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, तब उसके पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(5) परीक्षा नियंत्रक, अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में विश्वविद्यालय की परीक्षाएं करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष।

9. (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष,ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

सभा के अधिवेशन।

10. (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, उस दशा के सिवाय जब किसी वर्ष के संबंध में सभा ने कोई अन्य तारीख नियत की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्ववर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियों और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी।

(4) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, या यदि कोई कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा या यदि कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे।

(5) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति।

11. कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

12. (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की आमदनी और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनका उपलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं के निदेशकों के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना:

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हता के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार किए बिना नहीं की जाएगी;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों और संस्थाओं के निदेशकों को, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों का भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना;

(iv) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक इंतजाम करना;

(v) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(vi) विश्वविद्यालयों के वित्त, लेखाओं, विनिधानों संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ता नियुक्त करना, जितने वह ठीक समझे;

(vii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(viii) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत अनुपयोजित आय है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में, जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना, जिसमें ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति भी है;

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(x) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(xi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना;

(xii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xiii) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीसें, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, नियत करना;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xv) छात्राओं के आवासों और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक विशेष इंतजाम करना;

(xvi) अपनी किन्हीं शक्तियों को विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति, निदेशक, कुलसचिव या वित्त अधिकारी या ऐसे अन्य कर्मचारी या प्राधिकारी को या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को प्रत्यायोजित करना, जो वह उपयुक्त समझे;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और साधारण जनता के सदस्यों और संस्थाओं से दाता के नाम में या वांछित किसी व्यक्ति की याद में कम से कम एक करोड़ रुपए के अभिदाय से एक स्मारक स्थापित करने के लिए; दाता के नाम में या वांछित किसी व्यक्ति की याद में एक करोड़ रुपए से अन्यून के प्रतिष्ठानों को सृजित करने; और दाता के नाम में या वांछित किसी व्यक्ति की याद में एक करोड़ रुपए से अन्यून तक के किसी भवन या कांपलैक्स की लागत को वहन करने के लिए सम्यक् अभिस्वीकृति सहित संदान प्राप्त करना;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना; और

(xix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति।

13. विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी।

विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य।

14. इस अधिनियम के उपबंधों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) सभा या कार्य परिषद् द्वारा निर्दिष्ट या प्रत्यायोजित किसी विषय पर रिपोर्ट करना;

(ख) विश्वविद्यालय में दर्ज व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों के शिक्षण और परीक्षा के लिए अध्यादेशों के माध्यम से इंतजाम करना;

(ग) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान का संवर्धन करना और समय-समय पर ऐसे अनुसंधान पर रिपोर्टों की अपेक्षा करना;

(घ) संकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;

(ङ) विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए समिति नियुक्त करना;

(च) डिप्लोमाओं या उपाधियों और अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं को मान्यता देना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमाओं और उपाधियों के संबंध में उन्हें समतुल्य अवधारित करना;

(छ) कार्य परिषद् द्वारा स्वीकृत किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्तियां तथा अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा की समय, रीति और शर्तों को नियत करना और उन्हें प्रदत्त करना;

(ज) परीक्षकों के नियुक्ति की बाबत कार्य परिषद् को सिफारिशें करना और यदि आवश्यक हो, उनको हटाने तथा उनकी फीस, उपलब्धियों और यात्रा तथा अन्य व्यय को नियत करना;

(झ) परीक्षाओं के संचालन के लिए इंतजाम करना और उन्हें आयोजित करने के लिए तारीखें नियत करना;

(ञ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम की घोषणा करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों को नियुक्त करना और डिग्रियों, सम्मानों, डिप्लोमाओं, उपाधि और सम्मान चिह्न प्रदत्त करना या देना;

(ट) वृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पदक और पुरस्कार देना तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार, जो पुरस्कारों से सहबद्ध हों, अन्य पुरस्कार देना;

(ठ) विहित या सिफारिश की गई पाठ्य पुस्तकों की सूची प्रकाशित करना और पाठ्यक्रम या विहित अध्ययन पाठ्यक्रम प्रकाशित करना;

(ड) ऐसे प्ररूप और रजिस्टर तैयार करना, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(ढ) शैक्षणिक विषयों के संबंध में सभी ऐसे कर्तव्य करना और ऐसे अन्य कार्य करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों को समुचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

संकाय और विभाग।

15. (1) विश्वविद्यालय में उतने संकाय होंगे, जितने परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) प्रत्येक संकाय का एक संकाय बोर्ड होगा और प्रथम संकाय बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) संकाय बोर्ड की संरचना, शक्तियां और कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे।

(4) संकाय बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी।

(5) (क) प्रत्येक संकाय में उतने विभाग होंगे, जितने अध्यादेशों द्वारा उसे सौंपे जाएं:

परंतु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, उतने अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएंगे, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) विभाग के शिक्षक;

(ii) विभाग में अनुसंधान का संचालन करने वाले व्यक्ति;

(iii) विद्यापीठ का अध्यक्ष;

(iv) विभाग से संबद्ध मानद आचार्य, यदि कोई हो; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों।

16. (1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी। अध्ययन बोर्ड

(3) विद्या परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन रहते हुए अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना होगा—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रमों के लिए, जिसमें अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों के नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय:

परंतु अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पश्चात् की तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा।

17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:— वित्त समिति।

(i) कुलपति:

(ii) प्रतिकुलपति;

(iii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति;

(iv) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य होगा; और

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके पांच सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएंगी।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होगी (जिसके अंतर्गत उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समिति।

18. (1) आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे।

सारणी

1	2
आचार्य	(i) संकायाध्यक्ष। (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह आचार्य है। (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध है, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
उपाचार्य/प्राध्यापक	(i) विभाग का अध्यक्ष। (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य। (iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे उपाचार्य या प्राध्यापक का संबंध है, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य। (ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो, जो कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे। (ii) एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो, जो परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
विश्वविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो।

टिप्पण 1—जब नियुक्ति अंतर अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो तब परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा।

टिप्पण 2—कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य, उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा, जिसके लिए चयन किया जा रहा है और कुलपति, किसी आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति के अधिवेशन बुलाएगा और अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति का अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों के पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक—

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग न लें; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग न लें; और

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी।

(5) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(6) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी—

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें संबद्ध संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिऐं अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में तब तक नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

नियुक्ति का विशेष ढंग।

19. (1) परिनियम 18 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में आचार्य या कोई अन्य समतुल्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को नियुक्त कर सकेगी।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति।

20. कार्य परिषद् परिनियम 18 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, एक नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगी।

मान्यता प्राप्त शिक्षक।

21. (1) मान्यताप्राप्त शिक्षकों की अर्हताएं वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(2) शिक्षकों की मान्यता के लिए सभी आवेदन ऐसी रीति से किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएं।

(3) अध्यादेशों में इस प्रयोजन के लिए अधिकथित रीति से गठित चयन समिति की सिफारिश के बिना कोई शिक्षक मान्यताप्राप्त शिक्षक नहीं होगा।

(4) किसी शिक्षक की मान्यता की अवधि इस निमित्त बनाए गए अध्यादेशों द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) विद्या परिषद्, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित एक विशेष संकल्प द्वारा शिक्षक की मान्यता वापस ले सकेगी:

परंतु ऐसा संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक इस आशय की लिखित सूचना कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए, उस संबद्ध व्यक्ति को, उससे सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कारण बताने की अपेक्षा करते हुए नहीं दे दी जाती और जब तक विद्या परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करें, विचार नहीं कर लिया जाता है।

समितियां।

22. (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी स्थायी या विशेष समितियां स्थापित कर सकेगा, जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी, जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किंतु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि के अधीन होगी।

शिक्षकों आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

23. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की उपलब्धियां वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्ररूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता।

24. (1) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उपलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

ज्येष्ठता सूची।

25. (1) जब कभी इन परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसकी श्रेणी में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट श्रेणी में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना।

26. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था:

परंतु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले में परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलबंन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है:

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास का वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा:

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से ही प्रभावी होगा जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधि।

27. (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी:

परंतु आपातस्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी।

(2) कार्य परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को वापस ले सकेगी।

उपाधियों आदि का वापस लिया जाना।

28. कार्य परिषद् उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परंतु इस आशय का कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और जब तक कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

29. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति, खंड (1) में निर्दिष्ट अपनी सभी शक्तियों का किसी प्रतिकुलपति को जो वह उपयुक्त समझे और ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग या संकाय में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे ऐसी रकम के जुर्माने से दंडित किया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी संकाय द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों, संकायाध्यक्षों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, संकायों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो वे उसमें महाविद्यालयों, संस्थाओं, संकायों और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक समझें।

(5) कुलपति, प्राचार्यों और खंड (4) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकेंगे, जो वे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

महाविद्यालय आदि के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना।

30. ऐसे महाविद्यालय या संस्था के बारे में, जो विश्वविद्यालय द्वारा नहीं चलाई जाती है, अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था के प्राचार्य में निहित होंगी।

महाविद्यालय आदि को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना।

31. (1) विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय के ऐसे विशेषाधिकार दिए जा सकेंगे, जो कार्य परिषद् और महाविद्यालय विकास परिषद् निम्नलिखित शर्तों पर विनिश्चित करे, अर्थात्:—

(i) प्रत्येक ऐसे महाविद्यालय या संस्था का नियमित रूप से गठित एक शासी निकाय होगा, जिसमें कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित पन्द्रह से अनधिक व्यक्ति होंगे, तथा जिनमें, अन्य व्यक्तियों सहित कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक और अध्यापन कर्मचारिवृंद के तीन प्रतिनिधि होंगे, जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य होगा। शासी निकाय के सदस्यों की नियुक्ति और महाविद्यालय या संस्था के प्रबंध पर प्रभाव डालने वाले अन्य मामलों के लिए प्रक्रिया अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी:

परंतु सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं की दशा में उक्त शर्त लागू नहीं होगी, तथापि उनकी एक सलाहकार समिति होगी, जिसमें पन्द्रह से अनधिक व्यक्ति होंगे तथा

जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ, तीन शिक्षक होंगे जिनमें से एक महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो शिक्षक होंगे;

(ii) प्रत्येक ऐसा महाविद्यालय या ऐसी संस्था निम्नलिखित मामलों में कार्य परिषद् और महाविद्यालय विकास परिषद् का समाधान करेगी, अर्थात्:—

(क) उसकी वास-सुविधा की तथा अध्यापन के लिए उपस्कर की उपयुक्तता और पर्याप्तता;

(ख) अध्यापन कर्मचारिवृंद की अर्हताएं तथा उनकी पर्याप्तता और उनकी सेवा की शर्तें;

(ग) छात्रों के निवास, कल्याण, अनुशासन और पर्यवेक्षण की व्यवस्था;

(घ) महाविद्यालय या संस्था को निरंतर चलाने के लिए की गई वित्तीय व्यवस्था की पर्याप्तता; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले, जो विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक हों;

(iii) विद्या परिषद् की सिफारिश के बिना किसी भी महाविद्यालय या संस्था को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार नहीं दिए जाएंगे जो विद्या परिषद् द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी;

(iv) विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार प्राप्त करने के इच्छुक महाविद्यालयों और संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना कुलसचिव को इस प्रकार दें ताकि वह उस वर्ष से, जिससे आवेदित अनुज्ञा प्रभावी होनी है, पूर्ववर्ती 15 अगस्त तक उनके पास पहुंच जाएं;

(v) महाविद्यालय या संस्था, कार्य परिषद् और महाविद्यालय विकास परिषद् और विद्या परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसे किसी विषय या पाठ्यक्रम में शिक्षण देना निलंबित नहीं करेगी, जिसका अध्यापन करने के लिए वह प्राधिकृत है और जिसका वह अध्यापन करती है।

(2) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार प्राप्त महाविद्यालयों या संस्थाओं में अध्यापन कर्मचारिवृंद और प्राचार्यों की नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से की जाएगी:

परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था के प्रशासनिक तथा अन्य अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाएं:

परंतु इस खंड की कोई बात सरकार द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं को लागू नहीं होंगी।

(4) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारप्राप्त प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था का निरीक्षण विद्या परिषद् द्वारा स्थापित समिति हर दो शैक्षणिक वर्षों में कम से कम एक बार करेगी और इस समिति की

रिपोर्ट विद्या परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी जो उसे अपनी ऐसी सिफारिशों के साथ, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय विकास परिषद् और कार्य परिषद् को भेजेगी।

(5) रिपोर्ट तथा विद्या परिषद् की सिफारिशों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात् महाविद्यालय विकास परिषद् और कार्य परिषद् रिपोर्ट की एक प्रति उस पर अपनी टिप्पणियों सहित, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को यथोचित कार्रवाई के लिए भेजेगी।

(6) कार्य परिषद्, महाविद्यालय विकास परिषद् और विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् किसी महाविद्यालय या संस्था को दिए गए किन्हीं विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगी यदि किसी भी समय उसका यह विचार है कि महाविद्यालय या संस्था उन शर्तों में से किन्हीं को पूरा नहीं कर रही है जिनके आधार पर महाविद्यालय या संस्था को ऐसे विशेषाधिकार दिए गए थे:

परंतु किन्हीं विशेषाधिकारों को इस प्रकार वापस लेने के पहले संबंधित महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को कार्य परिषद् के समक्ष यह अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा कि ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

(7) खंड (1) में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों द्वारा,—

(i) ऐसी अन्य शर्तें, जो आवश्यक समझी जाएं;

(ii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को महाविद्यालयों तथा संस्थाओं को देने और इन विशेषाधिकारों को वापस लेने से संबंधित प्रक्रिया,

विहित की जा सकेंगी।

दीक्षांत समारोह।

32. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष।

33. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है वहां उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र।

34. सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही पदत्याग प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हता।

35. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा यदि—

(i) वह विकृतचित्त है; या

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त।

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता।

37. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य की हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, केवल तब तक ऐसा पद या सदस्यता धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

छात्र परिषद्।

38. (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे—

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो छात्र परिषद् का अध्यक्ष होगा;

(ii) बीस छात्र जो विद्या परिषद् द्वारा अध्ययन, खेलकूद और पाठ्येतर क्रियाकलापों में प्रतिभा के आधार पर नामनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(iii) छात्रों के उतने निर्वाचित प्रतिनिधि, जितने विद्या परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु विश्वविद्यालय के किसी छात्र को यदि अध्यक्ष ऐसा अनुज्ञात करे तो विश्वविद्यालय से संबंधित किसी विषय को परिषद् के समक्ष लाने का अधिकार होगा और उसे किसी भी अधिवेशन में चर्चा में भाग लेने का उस समय अधिकार होगा, जब उस विषय के बारे में विचार किया जाए।

(2) अध्ययन, छात्र कल्याण कार्यक्रमों और विश्वविद्यालय के साधारण कार्यकरण से संबंधित महत्व के अन्य विषयों के बारे में विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को सुझाव देना छात्र परिषद् के कृत्य होंगे और ऐसे सुझाव सर्वसम्मति से दिए जाएंगे।

(3) छात्र परिषद् शैक्षणिक वर्ष में कम-से-कम एक बार अधिमानत: उस वर्ष के प्रारंभ में अपना अधिवेशन करेगी।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे।

39. (1) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 32 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के बारे में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश, उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(7) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय को, अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर किसी ऐसे अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित करने के लिए निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासाध्यशीघ्र कार्य परिषद् को प्रस्तावित अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा।

(8) कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले सकेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:— विनियम।

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, उस प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

41. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी कोई शक्ति, अपने या उसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा। शक्तियों का प्रत्यायोजन।

सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 53)

[20 दिसम्बर, 2007]

भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघ के
सशस्त्र बल के गठन और विनियमन तथा उनसे
संबंधित विषयों का उपबंध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में, ''सक्रिय ड्यूटी'' से बल के सदस्य के रूप में उसकी उस अवधि के दौरान की जिसमें वह व्यक्ति बल के किसी ऐसे यूनिट से,—

(i) जो किसी शत्रु के विरुद्ध संक्रियाओं में लगा हुआ है; या

(ii) जो भारत की सीमाओं पर पिकेट की संक्रियाएं कर रहा है अथवा पेट्रोल (गश्त) या कोई अन्य रक्षा ड्यूटी करने में लगा हुआ है,

संलग्न है या उसका भाग है, ड्यूटी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी ऐसी अवधि के दौरान की गई ड्यूटी है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, आदेश द्वारा, किसी ऐसे क्षेत्र के प्रति निर्देश से, जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग, जो इस अधिनियम के अधीन है, सेवा कर रहा हो, सक्रिय ड्यूटी की अवधि घोषित की गई है;

(ख) ''बटालियन'' से बल की वह यूनिट अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बटालियन के रूप में गठित की जाती है;

(ग) ''सिविल अपराध'' से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो दंड न्यायालय द्वारा विचारणीय है;

(घ) ''सिविल कारागार'' से ऐसी जेल या स्थान अभिप्रेत है जिसका किसी आपराधिक कैदी के निरोध के लिए कारागार अधिनियम, 1894 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रयोग किया जाता है; 1894 का 9.

(ङ) ''कमान आफिसर'' से ऐसा कोई कमांडेन्ट या कोई आफिसर अभिप्रेत है जो उस यूनिट या बल के किसी ऐसे पृथक् प्रभाग का तत्समय समादेशन कर रहा है जिससे ऐसा व्यक्ति संबंधित है या संलग्न है और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन कर रहा है;

(च) ''दंड न्यायालय'' से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन गठित भारत के किसी भाग में का मामूली दंड न्यायालय अभिप्रेत है; 1974 का 2

(छ) ''उपमहानिदेशक'' और ''अपर उपमहानिदेशक'' से धारा 5 के अधीन नियुक्त बल का क्रमशः कोई उपमहानिदेशक और अपर उपमहानिदेशक अभिप्रेत है;

(ज) ''महानिदेशक'' और ''अपर महानिदेशक'' से धारा 5 के अधीन नियुक्त बल का क्रमशः कोई महानिदेशक और अपर महानिदेशक अभिप्रेत है;

(झ) ''शत्रु'' के अंतर्गत ऐसे सभी सैन्य विद्रोही, सायुध बागी, सायुध बलवाकारी, जल दस्यु आतंकवादी और ऐसा कोई सशस्त्र व्यक्ति भी है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई करना किसी ऐसे व्यक्ति का कर्तव्य है जो इस अधिनियम के अधीन है;

(ञ) ''अभ्यावेशित व्यक्ति'' से इस अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित कोई अवर आफिसर या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) ''बल'' से सशस्त्र सीमा बल अभिप्रेत है;

(ठ) ''बल न्यायालय'' से धारा 76 में निर्दिष्ट न्यायालय अभिप्रेत है;

(ड) ''बल अभिरक्षा'' से धारा 69 के अधीन बल के किसी सदस्य की गिरफ्तारी या परिरोध अभिप्रेत है;

(ढ) ''महानिरीक्षक'' से धारा 5 के अधीन नियुक्त बल का महानिरीक्षक अभिप्रेत है;

(ण) ''जज अटर्नी जनरल'', ''अपर जज अटर्नी जनरल'', ''उप जज अटर्नी जनरल'' और ''जज अटर्नी'' से धारा 95 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बल का जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी अभिप्रेत हैं;

(त) "बल का सदस्य" से कोई आफिसर, कोई अधीनस्थ आफिसर, कोई अवर आफिसर या अन्य अभ्यावेशित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(थ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(द) "अपराध" से इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई कार्य या लोप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई सिविल अपराध भी है;

(ध) "आफिसर" से बल के आफिसर के रूप में नियुक्त या वेतन पाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अंतर्गत कोई अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर नहीं है;

(न) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(प) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई नियम अभिप्रेत है;

(फ) "अधीनस्थ आफिसर" से बल के सूबेदार मेजर या निरीक्षक या उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक के रूप में नियुक्त या वेतन पाने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ब) "वरिष्ठ आफिसर" से, जब वह उस व्यक्ति के संबंध में प्रयुक्त हो जो इस अधिनियम के अधीन है, अभिप्रेत है—

(i) बल का कोई सदस्य, जिसके सामादेश के अधीन नियमों के अनुसार तत्समय वह व्यक्ति है;

(ii) उस व्यक्ति से उच्चतर रैंक या वर्ग का अथवा एक ही वर्ग में उच्चतर ग्रेड का कोई आफिसर और जब ऐसा व्यक्ति आफिसर नहीं है तब इसके अंतर्गत उच्चतर रैंक, वर्ग या ग्रेड का कोई अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर;

(भ) "अवर आफिसर" से बल का हैड कांस्टेबल अभिप्रेत है;

(म) "यूनिट" के अंतर्गत, —

(i) बल के आफिसरों और अन्य सदस्यों का ऐसा कोई निकाय जिसके लिए कोई पृथक् प्राधिकृत स्थापन विद्यमान है;

(ii) ऐसे व्यक्तियों का जो इस अधिनियम के अधीन है, कोई पृथक् निकाय, जो किसी सेवा में नियोजित है और पूर्वोक्त किसी यूनिट से संलग्न नहीं है;

(iii) व्यक्तियों का ऐसा कोई अन्य पृथक् निकाय, जो ऐसे व्यक्तियों से जो इस अधिनियम के अधीन है, पूर्णत: या भागत: गठित है और केन्द्रीय सरकार द्वारा यूनिट के रूप में विनिर्दिष्ट है।

(2) उन सभी शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भारतीय दंड संहिता, सेना अधिनियम, 1950 या राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस संहिता या उन अधिनियमों में हैं।

1860 का 45
1950 का 46
1986 का 47

(3) इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के, जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है, प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति निर्देश हैं।

व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है।

3. (1) बल में (चाहे प्रतिनियुक्ति पर या किसी अन्य रीति से) नियुक्त निम्नलिखित व्यक्ति, चाहे वे कहीं भी हों, इस अधिनियम के अधीन होंगे, अर्थात्:—

(क) आफिसर और अधीनस्थ आफिसर; और

(ख) अवर आफिसर और इस अधिनियम के अधीन अभ्यावेशित अन्य व्यक्ति।

(2) प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, इस प्रकार तब तक अधीन बना रहेगा जब तक कि वह इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुसार बल से संप्रत्यावर्तित नहीं कर दिया जाता है, सेवा से निवृत्त नहीं हो जाता है, निर्मुक्त, उन्मोचित या पदच्युत नहीं कर दिया जाता है या हटा नहीं दिया जाता है।

अध्याय 2

बल का गठन और बल के सदस्यों की सेवा की शर्तें

बल का गठन।

4. (1) संघ का एक सशस्त्र बल होगा जिसका नाम सशस्त्र सीमा बल होगा और जो भारत की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बल का गठन ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए और बल के सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

नियंत्रण, निदेशन, आदि।

5. (1) बल का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा और वही उसका प्रयोग करेगी और उसके तथा इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बल का समादेशन और अधीक्षण ऐसे आफिसर में निहित होगा जिसे केन्द्रीय सरकार बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त करे।

(2) इस अधिनियम के अधीन महानिदेशक के कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी सहायता करने के लिए उतने अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, अपर उपमहानिरीक्षक, कमांडेंट और अन्य आफिसर होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे।

अभ्यावेशन।

6. बल में अभ्यावेशित किए जाने वाले व्यक्ति, अभ्यावेशन का ढंग और अभ्यावेशन की प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

भारत के बाहर सेवा करने का दायित्व।

7. बल का प्रत्येक सदस्य भारत के किसी भाग में तथा भारत के बाहर भी, सेवा करने के दायित्व के अधीन होगा।

पद त्याग और पद से अलग होना।

8. विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, बल के किसी सदस्य को,—

(क) उस अवधि के दौरान, जिसके लिए वह वचनबद्ध है, अपने पद का त्याग करने की; या

(ख) अपने पद के सभी या किन्हीं कर्तव्यों से अलग होने की,

स्वतंत्रता नहीं होगी।

अधिनियम के अधीन सेवा की अवधि।

9. प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा सेवा की समाप्ति।

10. इस अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को सेवा से पदच्युत कर सकेगी या हटा सकेगी।

महानिदेशक और अन्य आफिसरों द्वारा पदच्युत किया जाना, हटाया जाना या अवनत किया जाना।

11. (1) महानिदेशक या कोई अपर महानिदेशक या महानिरीक्षक इस अधिनियम अधीन के किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आफिसर नहीं है, सेवा से पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा या निम्नतर ग्रेड या रैंक में अवनत कर सकेगा।

(2) कोई आफिसर, जो उपमहानिरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है या कोई विहित आफिसर अपने समादेश के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे रैंक का आफिसर या अधीनस्थ आफिसर नहीं है जो विहित किया जाए, सेवा से पदच्युत कर सकेगा या हटा सकेगा।

(3) उपधारा (2) में वर्णित कोई आफिसर अपने समादेश के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जो आफिसर या अधीनस्थ आफिसर नहीं है, निम्नतर ग्रेड या रैंक में अवनत कर सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग, इस अधिनियम और नियमों के अधीन रहते हुए, किया जाएगा।

सेवा की समाप्ति का प्रमाणपत्र।

12. किसी अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर या अन्य अभ्यावेशित व्यक्ति को, जिसे सेवा से निवृत्त, उन्मोचित या निर्मुक्त कर दिया गया है या हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है उस आफिसर द्वारा, जिसके समादेश के अधीन वह है, हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा जिसमें निम्नलिखित उपवर्णित होंगे, अर्थात्:—

(क) उसकी सेवा को समाप्त करने वाला प्राधिकारी;

(ख) ऐसी समाप्ति का कारण; और

(ग) बल में उसकी सेवा की पूर्ण अवधि।

संगम बनाने, वाक् स्वातंत्र्य आदि के अधिकार के संबंध में निर्बन्धन।

13. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, केन्द्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना,—

(क) किसी व्यवसाय संघ, श्रमिक संघ या राजनीतिक संगम का अथवा व्यवसाय संघों, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगमों के किसी वर्ग या सदस्य और उससे किसी भी रूप में सहयोजित नहीं होगा; या

(ख) किसी सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन का, जिसे बल के भाग के रूप में मान्यताप्राप्त नहीं है या जो केवल सामाजिक, आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक स्वरूप का नहीं है, सदस्य और उससे किसी भी रूप में सहयोजित नहीं होगा; या

(ग) प्रेस से न तो पत्र-व्यवहार करेगा और न कोई पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज प्रकाशित करेगा, न प्रकाशित कराएगा, किन्तु उस दशा में ऐसा कर सकेगा जबकि ऐसा पत्र-व्यवहार या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के सद्भावपूर्वक निर्वहन के लिए हैं या केवल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का है या विहित प्रकृति का है।

स्पष्टीकरण—यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि इस उपधारा के खंड (ख) के अधीन कोई सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन केवल सामाजिक आमोद-प्रमोदात्मक या धार्मिक स्वरूप का है या नहीं तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, ऐसे किसी अधिवेशन में न तो भाग लेगा और न उसे संबोधित करेगा और न ऐसे किसी प्रदर्शन में भाग लेगा, जो किन्हीं राजनीतिक प्रयोजनों से या ऐसे अन्य प्रयोजनों से जो विहित किए जाएं, व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा, आयोजित किया गया है।

आफिसरों से भिन्न व्यक्तियों की शिकायतों का प्रतितोष।

14. (1) आफिसर से भिन्न कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है और जो यह समझता है कि किसी वरिष्ठ या अन्य आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है, उस आफिसर से, जिसके समादेश के अधीन वह सेवा कर रहा है, परिवाद कर सकेगा।

(2) जब वह आफिसर, जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, ऐसा आफिसर है जिससे कोई परिवाद उपधारा (1) के अधीन किया जाना चाहिए तब व्यथित व्यक्ति उस आफिसर के अगले वरिष्ठ आफिसर से परिवाद कर सकेगा।

(3) प्रत्येक आफिसर, जिसे कोई ऐसा परिवाद प्राप्त हो, परिवादी को पूरा प्रतितोष देने के लिए यथासंभव पूर्ण अन्वेषण करेगा या जब आवश्यक हो परिवाद वरिष्ठ प्राधिकारी को निर्देशित करेगा।

(4) महानिदेशक पूर्वगामी उपधाराओं में से किसी के अधीन किए गए किसी विनिश्चय को पुनरीक्षित कर सकेगा किन्तु, उसके अधीन रहते हुए, ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा।

आफिसरों की शिकायतों का प्रतितोष।

15. कोई आफिसर, जो यह समझता है कि उसके कमान आफिसर या किसी अन्य वरिष्ठ आफिसर द्वारा उसके साथ अन्याय किया गया है और जिसको, अपने कमान आफिसर या ऐसे अन्य वरिष्ठ आफिसर से सम्यक् आवेदन करने पर, ऐसा प्रतितोष प्राप्त नहीं होता है जिसका वह स्वयं को हकदार समझता है, वह महानिदेशक या केन्द्रीय सरकार को उचित माध्यम से परिवाद कर सकेगा।

अध्याय 3

अपराध

शत्रु से संबंधित और मृत्यु से दंडनीय अपराध।

16. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) किसी ऐसे पदस्थान, स्थान या गारद को जो उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया है या जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है, लज्जास्पद रूप से परित्यक्त या समर्पित करेगा; या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम या सेना, नौसेना, वायुसेना से या संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन है, शत्रु के विरुद्ध कार्य करने से प्रवरित रहने के लिए या ऐसे व्यक्ति को शत्रु के विरुद्ध कार्य करने से निरुत्साहित करने के लिए विवश या उत्प्रेरित करने के लिए किन्हीं साधनों का साशय उपयोग करेगा; या

(ग) शत्रु की उपस्थिति में अपने आयुधों, गोलाबारूद, औजारों या उपस्करों को लज्जास्पद रूप से संत्यक्त करेगा या ऐसी रीति से कदाचार करेगा जिससे कायरता दर्शित हो; या

(घ) शत्रु, आतंकवादी या किसी ऐसे व्यक्ति से, जो संघ के विरुद्ध उद्यतायुध है, विश्वासघातपूर्वक वार्ताचार करेगा या उसे आसूचना देगा; या

(ङ) धन, आयुध, गोलाबारूद, सामान या प्रदाय से या किसी भी अन्य रीति से शत्रु या आतंकवादी की प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहायता करेगा; या

(च) शत्रु या आतंकवादी के विरुद्ध सक्रिय संक्रिया के दौरान संघर्ष के समय, कैंप में, क्वार्टरों में मिथ्या एलार्म साशय होने देगा अथवा ऐसी रिपोर्ट जो एलार्म या नैराश्य पैदा करने के लिए प्रकल्पित हो, फैलाएगा या फैलवाएगा; या

(छ) संघर्ष के समय नियमित रूप से अवमुक्त हुए बिना या छुट्टी के बिना अपने कमान आफिसर या अन्य वरिष्ठ आफिसर को या अपने पदस्थान, गारद, पिकेट, पेट्रोल या दल को छोड़ेगा; या

(ज) शत्रु द्वारा पकड़े जाने पर या युद्ध कैदी बनाए जाने पर स्वेच्छा से शत्रु पक्ष में सेवा करेगा या शत्रु की सहायता करेगा; या

(झ) ऐसे शत्रु को जो कैदी नहीं है, जानते हुए संश्रय देगा या उसका संरक्षण करेगा; या

(ञ) शत्रु के विरुद्ध सक्रिय संक्रिया के समय या एलार्म के समय संतरी होते हुए अपने पदस्थान पर सो जाएगा या नशे में होगा; या

(ट) जानते हुए कोई ऐसा कार्य करेगा जो बल की या भारत के सैनिक, नौसैनिक या वायु-सैनिक बलों की या उनसे सहयोग करने वाले किन्हीं बलों की या ऐसे बलों के किसी भाग की सफलता को संकट में डालने के लिए प्रकल्पित हो,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर मृत्यु दंड या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के लिए दायित्व के अधीन होगा।

शत्रु से संबंधित अपराध, जो मृत्यु से दंडनीय नहीं है।

17. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) सम्यक् पूर्वावधानी के अभाव से या आदेशों की अवज्ञा या कर्तव्य की जानबूझकर उपेक्षा के कारण कैदी बना लिया जाएगा या शत्रु द्वारा पकड़ लिया जाएगा या कैदी बना लिए जाने पर या इस प्रकार पकड़े जाने पर उस समय, जब वह अपनी सेवा पर वापस आ जाने में समर्थ है, ऐसा करने में असफल रहेगा; या

(ख) सम्यक् प्राधिकार के बिना शत्रु के साथ या ऐसे व्यक्ति के साथ, जो शत्रु से मिला हुआ है, वार्ताचार करेगा या उसको आसूचना देगा या ऐसे किसी वार्ताचार या आसूचना का ज्ञान प्राप्त होने पर उसे तुरन्त अपने कमान आफिसर या अन्य वरिष्ठ आफिसर से प्रकट करने का जानबूझकर लोप करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

18. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:— अन्य समयों की अपेक्षा सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए अधिक कठोरता से दंडनीय अपराध।

(क) किसी संरक्षण गारद का अतिक्रमण करेगा या किसी संतरी का अतिक्रमण करेगा या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा; या

(ख) लूट-पांट की तलाश में किसी गृह या अन्य स्थान में अनधिकृत प्रवेश करेगा; या

(ग) संतरी होते हुए अपने पदस्थान पर सो जाएगा या नशे में होगा; या

(घ) अपने वरिष्ठ आफिसर के आदेशों के बिना अपनी गारद, पिकेट, पेट्रोल या पदस्थान को छोड़ेगा; या

(ङ) कैंप में या क्वार्टरों में मिथ्या एलार्म साशय या उपेक्षा से होने देगा या ऐसी रिपोर्ट, जो अनावश्यक एलार्म या नैराश्य पैदा करने के लिए प्रकल्पित हो, फैलाएगा या फैलवाएगा; या

(च) पैरोल, संकेत-शब्द या प्रतिसंकेत किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसे जानने का हकदार नहीं है, बताएगा या जो पैरोल, संकेत-शब्द या प्रतिसंकेत उसे बताया गया है उससे भिन्न पैरोल, संकेत-शब्द या प्रतिसंकेत जानते हुए देगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर,—

(i) उस दशा में जिसमें वह ऐसा कोई अपराध सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए करेगा, कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा; और

(ii) उस दशा में जिसमें वह ऐसा कोई अपराध सक्रिय ड्यूटी पर न होते हुए करेगा, कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

19. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:— विद्रोह।

(क) बल में या भारत के सैनिक, नौसैनिक या वायु-सैनिक बलों में या उनसे सहयोग करने वाले किन्हीं बलों में विद्रोह आरंभ करेगा, उद्दीप्त करेगा, कारित करेगा या कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ षड्यंत्र करेगा; या

(ख) ऐसे किसी विद्रोह में सम्मिलित होगा; या

(ग) ऐसे किसी विद्रोह में उपस्थित होते हुए, उसे दबाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास नहीं करेगा;

(घ) यह जानते हुए या इस बात का विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा कोई विद्रोह या ऐसा विद्रोह करने का आशय या ऐसा कोई षड्यंत्र अस्तित्व में है, उसकी जानकारी अपने कमान आफिसर या अन्य वरिष्ठ आफिसर को अविलंब नहीं देगा; या

(ङ) बल के या भारत के सैनिक, नौसैनिक या वायु-सैनिक के या उनसे सहयोग करने वाले किन्हीं बलों के किसी व्यक्ति को उसके कर्तव्य से या संघ के प्रति उसकी राजनिष्ठा से विचलित करने का प्रयास करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर मृत्यु दंड या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

20. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, सेवा का अभित्यजन करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर— अभित्यजन और अभित्यजन में सहायता करना।

(क) उस दशा में जिसमें वह ऐसा अपराध सक्रिय ड्यूटी पर रहते हुए करेगा या सक्रिय ड्यूटी पर जाने के आदेश के अधीन होते हुए करेगा, मृत्यु दंड या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा; और

(ख) उस दशा में जिसमें वह ऐसा अपराध किन्हीं अन्य परिस्थितियों में करेगा, कारावास जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, जानते हुए ऐसे किसी अभित्यजक को संश्रय देगा, बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, ऐसे किसी व्यक्ति के, जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी अभित्यजन का या अभित्यजन के प्रयत्न का संज्ञान रखते हुए तत्काल अपने या किसी अन्य वरिष्ठ आफिसर को सूचना नहीं देगा या ऐसे व्यक्ति को पकड़वाने के लिए अपनी शक्ति में की कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

(4) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति अभित्यजन करेगा—

(क) यदि वह अपने यूनिट या कर्तव्य स्थान से किसी भी समय ऐसे यूनिट या स्थान को वापस रिपोर्ट न करने के आशय से अनुपस्थित रहेगा या जो किसी भी समय और किन्हीं परिस्थितियों में जब वह अपने यूनिट या कर्तव्य स्थान से अनुपस्थित हो, ऐसा कोई कार्य करेगा जो यह दर्शित करता है कि उसका ऐसे यूनिट या कर्तव्य स्थान को वापस रिपोर्ट न करने का आशय है;

(ख) यदि वह किसी सक्रिय ड्यूटी से बचने के आशय से छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहता है।

छुट्टी के बिना अनुपस्थिति।

21. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) छुट्टी बिना अपने को अनुपस्थित रखेगा; या

(ख) अपने को अनुदत्त छुट्टी के उपरांत पर्याप्त हेतुक के बिना अनुपस्थित रहेगा; या

(ग) अनुपस्थिति छुट्टी पर होते हुए और समुचित प्राधिकारी से यह जानकारी मिलने पर कि किसी बटालियन या उसके भाग को या बल की किसी अन्य यूनिट को, जिसका वह अंग है, सक्रिय ड्यूटी पर जाने का आदेश दे दिया गया है, काम पर अविलंब वापस आने में पर्याप्त हेतुक के बिना असफल रहेगा; या

(घ) परेड में या अभ्यास या ड्यूटी के लिए नियत स्थान पर नियत समय पर हाजिर होने में पर्याप्त हेतुक के बिना असफल रहेगा; या

(ङ) उस दौरान जब वह परेड में या प्रगमन पथ पर है, पर्याप्त हेतुक के बिना या अपने वरिष्ठ आफिसर से इजाजत लिए बिना परेड या प्रगमन पथ छोड़ेगा; या

(च) जब वह कैंप में या अन्यत्र है तब किसी साधारण, स्थानीय या अन्य आदेश द्वारा नियत किन्हीं परिसीमाओं से परे या किसी प्रतिषिद्ध स्थान में, पास के बिना या अपने वरिष्ठ आफिसर की लिखित इजाजत के बिना पाया जाएगा; या

(छ) जब उसे किसी स्कूल या प्रशिक्षण संस्था में हाजिर होने के लिए सम्यक् रूप से आदेश दिया गया है तब अपने वरिष्ठ आफिसर की इजाजत के बिना या सम्यक् हेतुक के बिना अपने को उससे अनुपस्थित रखेगा,

बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

22. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:— वरिष्ठ आफिसर पर आघात करना या उसे, धमकी देना।

(क) अपने वरिष्ठ आफिसर पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा; या

(ख) ऐसे आफिसर के प्रति धमकी भरी भाषा का प्रयोग करेगा; या

(ग) ऐसे आफिसर के प्रति अनधीनता द्योतक भाषा का प्रयोग करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर—

(i) उस दशा में जिसमें ऐसा आफिसर उस समय अपने पद का निष्पादन कर रहा है या उस दशा में जिसमें अपराध सक्रिय ड्यूटी पर किया जाता है, कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा; और

(ii) अन्य दशाओं में, कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा:

परन्तु खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अपराध की दशा में ऐसा कारावास पांच वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

23. (1) इस अधिनियम के अधीन का कोई व्यक्ति, जो अपने वरिष्ठ आफिसर द्वारा अपने पद के निष्पादन में स्वयं दिए गए किसी विधिपूर्ण समादेश को, चाहे वह मौखिक रूप से या लिखकर या संकेत द्वारा या अन्यथा दिया गया हो, ऐसी रीति से अवज्ञा करेगा, जिससे प्राधिकार का जानबूझकर किया गया तिरस्कार दर्शित होता है, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा। वरिष्ठ आफिसर के प्रति अवज्ञा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति, जो अपने वरिष्ठ आफिसर द्वारा दिए गए किसी विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करेगा, वह बल न्यायालय द्वारा, दोषसिद्धि पर–

(क) उस दशा में, जिसमें वह ऐसा अपराध सक्रिय ड्यूटी पर होते हुए करेगा, कारावास जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा; और

(ख) उस दशा में, जिसमें वह ऐसा अपराध सक्रिय ड्यूटी पर नहीं होते हुए करेगा, कारावास जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

24. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:— अनधीनता और बाधा।

(क) किसी झगड़े, दंगे या उपद्रव में संपृक्त होते हुए, किसी ऐसे आफिसर की, भले ही वह निम्नतर रैंक का हो, जो उसकी गिरफ्तारी का आदेश देता है, आज्ञा का पालन करने से इंकार करेगा अथवा ऐसे किसी आफिसर पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या हमला करेगा, जिसकी अभिरक्षा में उसे विधिपूर्वक रखा गया है, चाहे वह व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन हो या नहीं और चाहे वह उसका वरिष्ठ आफिसर हो या नहीं; या

(ग) ऐसे अनुरक्षक का प्रतिरोध करेगा, जिसका कर्तव्य उसे पकड़ना या अपने भारसाधन में लेना है; या

(घ) बैरकों, कैंप या क्वार्टरों में अनधिकृत रूप से निकलेगा; या

(ङ) किसी साधारण, स्थानीय या अन्य आदेश के पालन की उपेक्षा करेगा; या

(च) धारा 75 में निर्दिष्ट बल पुलिस के या उसकी ओर से विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी

व्यक्ति के समक्ष अड़चन डालेगा अथवा बल पुलिस या उसकी ओर से विधिपूर्वक कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के कर्तव्य के निष्पादन में उसकी सहायता की अपेक्षा किए जाने पर उससे इंकार करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि उन अपराधों की दशा में, जो खंड (घ) और खंड (ङ) में विनिर्दिष्ट है, दो वर्ष तक की, और उन अपराधों की दशा में, जो अन्य खंडों में विनिर्दिष्ट है, दस वर्ष तक की हो सकेगी या दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

अभ्यावेशन के समय मिथ्या जानकारी देना।

25. यदि किसी व्यक्ति के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन हो गया है, यह पता चलेगा कि उसने अपने अभ्यावेशन के समय अभ्यावेशन के लिए विहित प्ररूप में दिए गए किसी ऐसे प्रश्न की, जो अभ्यावेशन करने वाले उस आफिसर ने उससे पूछा था, जिसके समक्ष वह अभ्यावेशन के प्रयोजन के लिए हाजिर हुआ था, जानबूझकर मिथ्या जानकारी दी है, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

अशोभनीय आचरण।

26. कोई आफिसर या अधीनस्थ आफिसर, जो ऐसी रीति से व्यवहार करेगा जो उसके पद और उससे प्रत्याशित शील की दृष्टि से अशोभनीय है, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, पदच्युत किए जाने का दायी होगा या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

कलंकास्पद आचरण के कुछ प्रकार।

27. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) क्रूर, अशिष्ट या अप्राकृतिक प्रकार के किसी कलंकास्पद आचरण का दोषी होगा; या

(ख) कर्तव्य से बचने के लिए रोगी बन जाएगा या अपने में रोग या अंगशैथिल्य का ढोंग करेगा या अपने में उसे उत्पन्न करेगा या निरोग होने में साशय विलंब करेगा या अपने रोग या अंगशैथिल्य को गुरुतर बनाएगा; या

(ग) अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को सेवा के अयोग्य बनाने के आशय से अपने आपको या उस व्यक्ति को स्वेच्छा से उपहति कारित करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसे लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

अधीनस्थ के साथ बुरा बर्ताव करना।

28. कोई आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर, जो किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो इस अधिनियम के अधीन है, और जो रैंक या पद में उसके अधीनस्थ है, आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या उसके साथ अन्यथा बुरा बर्ताव करेगा, बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

मत्तता।

29. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, मत्तता की हालत में पाया जाएगा, चाहे वह ड्यूटी पर हो या नहीं, बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति मत्तता की हालत में समझा जाएगा, यदि वह एल्कोहल या किसी औषधि के अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ प्रभाव के कारण अपनी ड्यूटी या कोई ऐसी ड्यूटी सौंपे जाने के, जिसका पालन करने के लिए उससे कहा जाए, अयोग्य है या विच्छृंखल रीति से या ऐसी रीति से व्यवहार करता है, जिससे बल के अविश्वसनीय होने की संभावना है।

अभिरक्षा में से किसी व्यक्ति को निकल भागने देना।

30. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) उस दौरान, जब उसके समादेश में कोई गारद, पिकेट, पेट्रोल, टुकड़ी या चौकी है, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया है, उचित प्राधिकार के बिना, चाहे जानबूझकर या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, निर्मुक्त करेगा या किसी कैदी को या ऐसे सुपुर्द किए गए व्यक्ति को लेने से इंकार करेगा; या

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जो उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया है या जिसे रखना या जिस पर पहरा रखना उसका कर्तव्य है, जानबूझकर या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना निकल भागने देगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के अधीन होगा और उस दशा में जब उसने ऐसा कार्य जानबूझकर नहीं किया है, कारावास, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

गिरफ्तारी या परिरोध के संबंध में अनियमितता।

31. कोई व्यक्ति जो, इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) किसी गिरफ्तार या परिरुद्ध व्यक्ति को विचारण के लिए लाए बिना अनावश्यक रूप से निरुद्ध रखेगा या उसका मामला अन्वेषण के लिए उचित प्राधिकारी के समक्ष लाने में असफल रहेगा; या

(ख) किसी व्यक्ति को बल अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करके, ऐसी सुपुर्दगी के समय या यथासाध्य शीघ्र और किसी भी दशा में तत्पश्चात् अड़तालीस घंटे के भीतर उस आफिसर या अन्य व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सुपुर्द किया गया है, उस अपराध का, जिसका इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर आरोप है, लिखित और स्वहस्ताक्षरित वृत्तांत परिदत्त करने में युक्तियुक्त हेतुक के बिना असफल रहेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

अभिरक्षा से निकल भागना।

32. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, विधिपूर्ण अभिरक्षा में होते हुए निकल भागेगा या निकल भागने का प्रयत्न करेगा, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

संपत्ति संबंधी अपराध।

33. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) सरकार की या किसी बल मेस, बैंड या संस्था की या ऐसे किसी व्यक्ति की, जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी संपत्ति की चोरी करेगा; या

(ख) किसी ऐसी संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करेगा या अपने उपयोग के लिए संपरिवर्तन करेगा; या

(ग) ऐसी किसी संपत्ति की बाबत आपराधिक न्यासभंग करेगा; या

(घ) ऐसी किसी संपत्ति को, जिसकी बाबत खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन अपराधों में से कोई अपराध किया गया है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा अपराध किया गया है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा; या

(ङ) सरकार की किसी संपत्ति को, जो उसे सौंपी गई है, जानबूझकर नष्ट करेगा या उसको क्षति पहुंचाएगा; या

(च) कपट-वंचन करने के या किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष हानि पहुंचाने के आशय से कोई अन्य बात करेगा, तो वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

उद्दापन और आहरण।

34. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) उद्दापन करेगा; या

(ख) उचित प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति से धन, रसद या सेवा का आहरण करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास का, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

उपस्कर गायब कर देना।

35. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) किन्हीं आयुधों, गोलाबारूद, उपस्कर, उपकरणों, औजारों, कपड़ों या किसी अन्य वस्तु को, जो सरकार की संपत्ति होते हुए उसे अपने उपयोग के लिए दी गई है या उसे सौंपी गई है, गायब कर देगा या गायब कर देने में संपृक्त होगा; या

(ख) खंड (क) में वर्णित किसी वस्तु को उपेक्षा से गंवा देगा; या

(ग) अपने को अनुदत्त किसी पदक या अलंकरण को बेचेगा, गिरवी रखेगा, नष्ट करेगा या विरूपित करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास जिसकी अवधि खंड (क) में विनिर्दिष्ट अपराधों की दशा में, दस वर्ष तक की और अन्य खंडों में विनिर्दिष्ट अपराधों की दशा में, पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों में से प्रत्येक दशा में ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

संपत्ति आदि को क्षति।

36. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 35 के खंड (क) में वर्णित कोई संपत्ति या किसी बल मेस, बैंड या संस्था की या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो इस अधिनियम के अधीन है, कोई संपत्ति नष्ट करेगा या उसको क्षति पहुंचाएगा; या

(ख) कोई ऐसा कार्य करेगा, जिसके कारण अग्नि से सरकार की किसी संपत्ति को नुकसान होता है या वह नष्ट होती है; या

(ग) उसको सौंपे गए किसी जीवजंतु को मार देगा, क्षति पहुंचाएगा, गायब कर देगा या उससे बुरा बर्ताव करेगा या उसे गंवा देगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में, जिसमें उसने ऐसा कार्य जानबूझकर किया है, कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा, और उस दशा में, जिसमें उसने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य किया है, कारावास, जिसकी अवधि, पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

मिथ्या अभियोग लगाना।

37. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के अधीन है, कोई मिथ्या अभियोग, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए लगाएगा कि ऐसा अभियोग मिथ्या है; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के अधीन है, कोई परिवाद करने में कोई ऐसा कथन, जिससे ऐसे व्यक्ति के शील पर प्रभाव पड़ता है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए करेगा कि ऐसा कथन मिथ्या है या किन्हीं तात्त्विक तथ्यों को जानते हुए और जानबूझकर दबाएगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

शासकीय दस्तावेजों का मिथ्याकरण तथा मिथ्या घोषणाएं।

38. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) उसके द्वारा तैयार की गई या हस्ताक्षरित किसी ऐसी रिपोर्ट, विवरणी, सूची, प्रमाणपत्र,

पुस्तक या अन्य दस्तावेज में या उसकी विषय वस्तु में, जिसकी यथार्थता अभिनिश्चित करना उसका कर्तव्य है, कोई मिथ्या या कपटपूर्ण कथन जानते हुए करेगा या करने में संसर्गी होगा; या

(ख) कपट-वंचन करने के आशय से, खंड (क) में उल्लिखित वर्णन की किसी दस्तावेज में, कोई लोप जानते हुए करेगा या करने में संसर्गी होगा; या

(ग) जानते हुए और किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से या जानते हुए और कपट-वंचन करने के आशय से किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसे परिरक्षित रखना या प्रस्तुत करना उसका कर्तव्य है, दबा लेगा, विरूपित करेगा, परिवर्तित करेगा या उसे गायब कर देगा; या

(घ) जहां किसी बात की बाबत घोषणा करना उसका पदीय कर्तव्य है, वहां जानते हुए मिथ्या घोषणा करेगा; या

(ङ) ऐसा कथन करके, जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है, या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है अथवा किसी पुस्तक या अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करके या उसमें की मिथ्या प्रविष्टि का उपयोग करके, अथवा मिथ्या कथन अंतर्विष्ट करने वाली कोई दस्तावेज बनाकर अथवा कोई सही प्रविष्टि करने का या सही कथन अंतर्विष्ट करने वाली दस्तावेज बनाने का लोप करके, अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई पेंशन, भत्ता या अन्य फायदा या विशेषाधिकार अभिप्राप्त करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

रिक्त स्थान छोड़कर हस्ताक्षर करना और रिपोर्ट देने में असफल रहना।

39. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) वेतन, आयुध, गोलाबारूद, उपस्कर, कपड़े, प्रदाय या सामान में या सरकार की किसी संपत्ति से संबद्ध किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय किसी तात्त्विक भाग को, जिसके लिए उसका हस्ताक्षर प्रमाणक है, कपटपूर्वक रिक्त छोड़ देगा; या

(ख) ऐसी रिपोर्ट या विवरणी देने या भेजने से, जिसको देना या भेजना उसका कर्तव्य है, इंकार करेगा या ऐसा करने का लोप आपराधिक उपेक्षा से करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

बल न्यायालय के संबंध में अपराध।

40. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) किसी बल न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए सम्यक् रूप से समन या आदिष्ट किए जाने पर हाजिर होने में जानबूझकर या युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना व्यतिक्रम करेगा; या

(ख) ऐसी कोई शपथ लेने से या प्रतिज्ञान करने से इंकार करेगा, जिसके लिए जाने या किए जाने की अपेक्षा बल न्यायालय द्वारा वैध रूप से की गई है; या

(ग) अपनी शक्ति या नियंत्रण में की ऐसी कोई दस्तावेज पेश या परिदत्त करने से इंकार करेगा जिसके पेश या परिदत्त किए जाने की अपेक्षा बल न्यायालय द्वारा वैध रूप से की गई है; या

(घ) जब वह साक्षी है तब किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने से इंकार करेगा जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है; या

(ङ) अपमानजनक भाषा या धमकी भरी भाषा का प्रयोग करके, या बल न्यायालय की कार्यवाहियों में कोई विघ्न या विक्षोभ कारित करके न्यायालय के अवमान का दोषी है,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

मिथ्या साक्ष्य।

41. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी बल न्यायालय या अन्य न्यायालय के समक्ष, जो शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम है, सम्यक् रूप से शपथ लेकर या प्रतिज्ञान करके कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

वेतन का विधि-विरुद्धतया रोका जाना।

42. कोई आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर जो ऐसे व्यक्ति का, जो इस अधिनियम के अध्यधीन है वेतन प्राप्त करने के पश्चात् उसके शोध्य होने पर उसे विधिविरुद्धतया रोके रखेगा या देने से इंकार करेगा, वह, बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

सुव्यवस्था और अनुशासन का अतिक्रमण।

43. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, बल की सुव्यवस्था और अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले ऐसे कार्य या लोप का, जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं है, दोषी होगा, तो वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

प्रकीर्ण अपराध।

44. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा, अर्थात्:—

(क) किसी चौकी पर या प्रगमन पर समादेशन करते हुए और यह परिवाद प्राप्त होने पर कि उसके समादेश के अधीन किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पीटा है या उसके साथ अन्यथा बुरा बर्ताव किया है या उसे सताया है, या किसी मेले या बाजार में विघ्न डाला है या कोई बलवा या अतिचार किया है, क्षतिग्रस्त व्यक्ति की सम्यक् हानिपूर्ति करने में या मामले की रिपोर्ट उचित प्राधिकारी को करने में असफल रहेगा; या

(ख) किसी उपासना स्थल को अपवित्र करके या अन्यथा किसी व्यक्ति के धर्म का साशय अपमान करेगा या उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा; या

(ग) आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के किए जाने की दशा में कोई कार्य करेगा; या

(घ) अधीनस्थ आफिसर के रैंक से नीचे का होते हुए, जब वह ड्यूटी पर न हो, तब कैंप में या उसके आसपास अथवा किसी नगर या बाजार में या उसके आसपास या किसी नगर या बाजार को जाते हुए या उससे वापस आते हुए, कोई राइफल, तलवार या अन्य आक्रामक शस्त्र उचित प्राधिकार के बिना ले जाते हुए देखा जाएगा; या

(ङ) किसी व्यक्ति के अभ्यावेदन या सेवा में किसी व्यक्ति के लिए अनुपस्थिति छुट्टी, प्रोन्नति या कोई अन्य फायदा या अनुग्रह उपाप्त कराने के लिए हेतु या इनाम के रूप में कोई पारितोषण अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: प्रतिगृहीत करेगा या अभिप्राप्त करेगा या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होगा या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करेगा; या

(च) उस देश में, जिसमें वह सेवा कर रहा है, किसी वासी या निवासी की संपत्ति या उसके शरीर के विरुद्ध कोई अपराध करेगा,

वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

प्रयत्न।

45. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, धारा 16 से 44 में (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) विनिर्दिष्ट अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा और ऐसा प्रयत्न करने में उस अपराध के किए जाने की दशा में कोई कार्य करेगा, उस दशा में जिसमें ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर,—

(क) यदि किए जाने के लिए प्रयत्नित अपराध मृत्यु से दंडनीय है तो कारावास, जिसकी अवधि

चौदह वर्ष तक हो सकेगी या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा; और

(ख) यदि किए जाने के लिए प्रयत्नित अपराध कारावास से दंडनीय है तो कारावास, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि की आधी तक हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

किए गए अपराधों का दुष्प्रेरण।

46. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, धारा 16 से धारा 44 में (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में जिसमें दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया गया है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

मृत्यु से दंडनीय ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण जो नहीं किए गए हैं।

47. कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन है, धारा 16, धारा 19 और धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन मृत्यु से दंडनीय अपराधों में से किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में जिसमें वह अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, कारावास, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

कारावास से दंडनीय ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण जो नहीं किए गए हैं।

48. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, धारा 16 से धारा 44 में (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) विनिर्दिष्ट और कारावास से दंडनीय अपराधों में से किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह बल न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर, उस दशा में जिसमें वह अपराध ऐसे दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप नहीं किया गया है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस अधिनियम द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, कारावास, जिसकी अवधि उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि की आधी तक हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड, जो अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

सिविल अपराध।

49. धारा 50 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, भारत में या भारत से परे किसी स्थान पर कोई सिविल अपराध करेगा, वह इस अधिनियम के विरुद्ध अपराध का दोषी समझा जाएगा और यदि वह अपराध इस धारा के अधीन उस पर आरोपित किया जाता है तो वह बल न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के दायित्व के अधीन होगा और दोषसिद्धि पर निम्नलिखित रूप से दंडनीय होगा, अर्थात्:—

(क) यदि अपराध ऐसा है जो भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन मृत्यु से दंडनीय है तो वह कोई ऐसा दंड, जो उस अपराध के लिए पूर्वोक्त विधि द्वारा समनुदिष्ट किया गया है, और ऐसा लघुतर दंड, जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में, वह कोई ऐसा दंड, जो उस अपराध के लिए भारत में प्रवृत्त विधि द्वारा समनुदिष्ट किया गया है, या कारावास, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या ऐसा लघुतर दंड जो इस अधिनियम में वर्णित है, भोगने के दायित्व के अधीन होगा।

सिविल अपराध जो बल न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं।

50. कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो इस अधिनियम के अधीन नहीं है, हत्या का या हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का या ऐसे व्यक्ति से बलात्संग करने का अपराध करेगा, वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी नहीं समझा जाएगा और बल न्यायालय द्वारा उसका विचारण तभी किया जाएगा जब वह उक्त अपराधों में से कोई अपराध,—

(क) सक्रिय ड्यूटी पर रहते समय करता है; या

(ख) भारत के बाहर किसी स्थान पर करता है; या

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किसी स्थान पर करता है।

अध्याय 4

दंड

बल न्यायालयों द्वारा दंड।

51. (1) ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो बल न्यायालयों द्वारा सिद्धदोष ठहराए गए हैं, किए गए अपराधों के बारे में दंड निम्नलिखित मापमान के अनुसार दिए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) मृत्यु;

(ख) कारावास, जो आजीवन या किसी अन्य लघुतर अवधि का हो सकेगा, किंतु इसके अंतर्गत बल की अभिरक्षा में तीन मास से अनधिक अवधि का कारावास नहीं है;

(ग) सेवा से पदच्युति या हटाया जाना;

(घ) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(ङ) बल की अभिरक्षा में तीन मास से अनधिक अवधि का कारावास;

(च) अवर आफिसर की दशा में, सामान्य सैनिक श्रेणी में या निम्नतर रैंक या श्रेणी में या उनके रैंक की सूची में किसी निम्नतर स्थान पर अवनति;

(छ) किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर की दशा में अगले निम्नतर रैंक में अवनति:

परन्तु किसी आफिसर को ऐसे रैंक में अवनत नहीं किया जाएगा जो उस रैंक से निम्नतर है जिसमें उसे आरंभ में नियुक्त किया गया था;

(ज) रैंक में की ज्येष्ठता का समपहरण और संपूर्ण सेवाकाल का या उसके किसी भाग का इसलिए समपहरण कि वह प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए गिना जाए;

(झ) सेवाकाल का इसलिए समपहरण कि वह वेतनवृद्धि या पेंशन के प्रयोजन के लिए न गिना जाए;

(ञ) सिविल अपराधों की बाबत जुर्माना;

(ट) तीव्र घिग्दंड या घिग्दंड, किंतु अवर आफिसर के रैंक से नीचे के व्यक्तियों को नहीं;

(ठ) सक्रिय ड्यूटी के दौरान किए गए किसी अपराध के लिए तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए वेतन और भत्तों का समपहरण;

(ड) सेवा से पदच्युति से दंडित व्यक्ति की दशा में वेतन और भत्तों की सभी बकाया और अन्य लोक धन का समपहरण, जो ऐसी पदच्युति के समय उसको शोध्य हों;

(ढ) वेतन और भत्तों का तब तक के लिए रोक दिया जाना जब तक उस साबित हुई हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति न हो जाए जो उस अपराध के कारण हुआ है जिसके लिए वह सिद्धदोष ठहराया गया है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक दंड उपरोक्त मापमान में अपने पूर्ववर्ती प्रत्येक दंड से कोटि में निम्नतर समझा जाएगा।

बल न्यायालयों द्वारा आनुकल्पिक दंड।

52. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बल न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, धारा 16 से धारा 48 में (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी अपराध को सिद्धदोष ठहराए जाने पर, या तो वह विशिष्ट दंड जिससे उस अपराध के दंडनीय होने का कथन उक्त धाराओं में है या उसके बदले में धारा 51 में दिए गए मापमान में का कोई निम्नतर दंड, अपराध की प्रकृति और मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अधिनिर्णीत कर सकेगा।

दंडों का संयोजन।

53. बल न्यायालय, किसी अन्य दंड के अतिरिक्त या उसके बिना, धारा 51 की उपधारा (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट दंड या उस उपधारा के खंड (च) से खंड (ढ) में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा।

सक्रिय ड्यूटी पर सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्ति का बल में प्रतिधारण।

54. जब किसी अध्यावेशित व्यक्ति को उस समय के दौरान जब वह सक्रिय ड्यूटी पर है, बल न्यायालय द्वारा पदच्युति सहित या रहित कारावास का दंडादेश दिया गया हो, तब विहित आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को सामान्य सैनिक श्रेणी में सेवा करने के लिए प्रतिधृत रखा जाए और ऐसी सेवा उसके कारावास की अवधि के भाग के रूप में गिनी जाएगी।

बल न्यायालयों द्वारा दंडित किए जाने से अन्यथा दंडित किया जाना।

55. ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो इस अधिनियम के अधीन है, किए गए अपराधों के बारे में दंड, बल न्यायालय के मध्यक्षेप के बिना, धारा 56, धारा 58 और धारा 59 में कथित रीति से भी दिए जा सकेंगे।

लघु दंड।

56. (1) धारा 57 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कमांडेंट के रैंक का या उससे ऊपर के रैंक का कोई कमान आफिसर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो किसी आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न है और जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित एक या अधिक दंड विहित विस्तार तक अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) बल अभिरक्षा में अट्ठाईस दिन तक का कारावास;

(ख) अट्ठाईस दिन तक का निरोध;

(ग) अट्ठाईस दिन तक का लाइन्स का परिरोध,

(घ) अतिरिक्त पहरा या ड्यूटी;

(ङ) किसी विशेष पद से या विशेष उपलब्धियों या किसी कार्यकारी रैंक से वंचित करना;

(च) तीव्र धिग्दंड या धिग्दंड;

(छ) किसी एक मास में चौदह दिन के वेतन तक का जुर्माना;

(ज) उसके वेतन और भत्तों में से ऐसी राशि की कटौती जो उसके द्वारा किसी अपराध के, जिसके लिए उसे दंडित किया गया है, किए जाने से हुई किसी हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है।

(2) यदि बल के किसी यूनिट, प्रशिक्षण केन्द्र या अन्य स्थापन का समादेशन द्वितीय कमान आफिसर या उपकमांडेंट के रैंक के किसी आफिसर द्वारा अस्थायी रूप में किया जा रहा है तो ऐसे आफिसर को उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी कमान आफिसर की पूर्ण शक्ति प्राप्त होगी।

(3) धारा 57 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी या टुकड़ी या चौकी का समादेशन करने वाले उपकमांडेंट या सहायक कमांडेंट को किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न है और जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, कार्यवाही करने की और उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (घ) और खंड (ज) में विनिर्दिष्ट एक या अधिक दंड विहित विस्तार तक अधिनिर्णीत करने की शक्ति होगी परन्तु खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में से प्रत्येक के अधीन अधिनिर्णीत दंड की अधिकतम सीमा चौदह दिन से अधिक नहीं होगी।

(4) किसी ऐसे अधीनस्थ आफिसर को जो उप-निरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है और जो किसी टुकड़ी या चौकी का समादेशन कर रहा है, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर से भिन्न है और जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, कार्यवाही करने की और उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन विनिर्दिष्ट एक या अधिक दंड विहित विस्तार तक अधिनिर्णीत करने की शक्ति होगी परन्तु खंड (ग) के अधीन अधिनिर्णीत दंड की अधिकतम सीमा चौदह दिन से अधिक नहीं होगी।

धारा 56 के अधीन दंड की परिसीमा।

57. (1) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट दो या अधिक दंड के अधिनिर्णयन की दशा में खंड (ग) या खंड (घ) में विनिर्दिष्ट दंड खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट दंड के पूरा होने पर ही प्रभावशील होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट दो या अधिक दंड संयुक्तत: अधिनिर्णीत किए गए हों अथवा तब अधिनिर्णीत किए गए हों जब वह उक्त एक या अधिक दंड पहले से ही भोग रहा हो, तब ऐसे दंड का संपूर्ण विस्तार कुल मिलाकर बयालीस दिन से अधिक नहीं होगा।

(3) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) में विनिर्दिष्ट दंड किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनिर्णीत नहीं किए जाएंगे जो अवर आफिसर के रैंक का है या जो उस अपराध के किए जाने के समय, जिसके लिए उसे दंडित किया जाए, ऐसे रैंक का था।

(4) धारा 56 की उपधारा (1) के खंड (च) में विनिर्दिष्ट दंड अवर आफिसर के रैंक के नीचे से किसी व्यक्ति को अधिनिर्णीत नहीं किया जाएगा।

महानिरीक्षक और अन्य आफिसरों द्वारा कमांडेंट के रैंक के या उनसे नीचे के रैंक के व्यक्तियों को दंडित किया जाना।

58. (1) ऐसा आफिसर, जो महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है, कमांडेंट के रैंक के या कमांडेंट के रैंक से नीचे के किसी ऐसे आफिसर के विरुद्ध जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और निम्नलिखित एक या अधिक दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) ज्येष्ठता का समपहरण या उनमें से किसी ऐसे आफिसर की दशा में, जिसकी प्रोन्नति सेवाकाल की लंबाई पर निर्भर है, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के सेवाकाल का इसलिए समपहरण कि वह प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न गिना जाए, किंतु यह बात दंड अधिनिर्णीत किए जाने के पूर्व अभियुक्त के यह निर्वाचन करने के अधिकार के अधीन होगी कि उसका विचारण, बल न्यायालय द्वारा किया जाएगा;

(ख) तीव्र धिग्दंड या धिग्दंड;

(ग) उसके वेतन और भत्ते में से ऐसी राशि की कटौती जो किसी ऐसी साबित हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है जो उस अपराध के कारण हुआ है जिसके लिए वह सिद्धदोष ठहराया गया है।

(2) कोई आफिसर जो अपर उप महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो सूबेदार मेजर या निरीक्षक के रैंक या उसके नीचे के रैंक का है और जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित एक या अधिक दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) ज्येष्ठता का समपहरण या उनमें से किसी ऐसे आफिसर की दशा में जिसकी प्रोन्नति सेवाकाल की लंबाई पर निर्भर है, एक वर्ष से अनधिक की अवधि के सेवाकाल का इसलिए समपहरण कि वह प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए न गिना जाए, किंतु यह बात दंड अधिनिर्णीत किए जाने के पूर्व अभियुक्त के यह निर्वाचन करने के अधिकार के अधीन होगी कि उसका विचारण बल न्यायालय द्वारा किया जाए;

(ख) तीव्र धिग्दंड या धिग्दंड;

(ग) उसके वेतन और भत्ते में से ऐसी राशि की कटौती जो किसी ऐसी साबित हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है जो उस अपराध के कारण हुआ है जिसके लिए वह सिद्धदोष ठहराया गया है।

(3) कोई आफिसर जो कमांडेट के रैंक से नीचे का नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो सूबेदार मेजर या निरीक्षक के रैंक या उसके नीचे के रैंक का है और जिस पर इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप है, विहित रीति से कार्यवाही कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित एक या दोनों दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा, अर्थात्:—

(क) तीव्र धिग्दंड या धिग्दंड;

(ख) उसके वेतन और भत्ते में से ऐसी राशि की कटौती जो किसी ऐसी साबित हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित है जो उस अपराध के कारण हुआ है जिसके लिए वह सिद्धदोष ठहराया गया है।

दंडादेश का रद्दकरण, फेरफार या विप्रेषण।

59. (1) ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें दंड धारा 58 के अधीन अधिनिर्णीत किया गया है, दंड अधिनिर्णीत करने वाले आफिसर द्वारा कार्यवाहियों की प्रमाणित सत्य प्रतियां विहित वरिष्ठ प्राधिकारी को विहित रीति से भेजी जाएंगी जो यदि उसे यह प्रतीत होता है कि अधिनिर्णीत दंड अवैध, अनुचित या अत्यधिक है तो वह उस दंड को रद्द,

परिवर्तित या उसको विप्रेषित कर सकेगा और ऐसा अन्य निदेश दे सकेगा, जो उस मामले की परिस्थितियों में समुचित हों।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, "वरिष्ठ प्राधिकारी" से अभिप्रेत है,—

(क) कोई ऐसा आफिसर जो दंड अधिनिर्णीत करने वाले आफिसर से समादेश में वरिष्ठ है;

(ख) महानिदेशक द्वारा अधिनिर्णीत दंड की दशा में, केन्द्रीय सरकार।

सामूहिक जुर्माने।

60. (1) जब कभी कोई शस्त्र या शस्त्र का भाग या गोलाबारूद, जो किसी यूनिट के उपस्कर का भाग है, खो जाता है या चोरी हो जाता है, तब ऐसा कमान आफिसर, जो उस यूनिट के कमांडेंट के रैंक से नीचे का नहीं है, ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे और नियमों के अधीन रहते हुए, अधीनस्थ आफिसरों, अवर आफिसरों और ऐसे यूनिट के जवानों पर या उनमें से उतनों पर, जितने उसके निर्णय में ऐसे खो जाने या चोरी के लिए उत्तरदायी ठहराए जाने चाहिए, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

(2) ऐसा जुर्माना उन व्यक्तियों के, जिन पर वह पड़ता है, वेतन की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

अध्याय 5

वेतन और भत्तों में से कटौतियां

इस अधिनियम के अधीन के व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में से कटौतियां।

61. (1) किसी आफिसर के वेतन और भत्तों में से निम्नलिखित कटौतियां की जा सकेंगी, अर्थात्:—

(क) ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिस दिन वह छुट्टी बिना अनुपस्थित रहता है, आफिसर को शोध्य सभी वेतन और भत्ते तब के सिवाय जब उस महानिदेशक को जिसके अधीन वह उस समय सेवा कर रहा है कोई समाधानप्रद स्पष्टीकरण दे दिया गया है और वह उसके द्वारा स्वीकार किया गया है;

(ख) ऐसे प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते जिस दिन वह ऐसे अपराध के आरोप पर अभिरक्षा में है जिस अपराध के लिए, तत्पश्चात् किसी दंड न्यायालय या बल न्यायालय द्वारा या आफिसर द्वारा जो धारा 58 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, सिद्धदोष ठहराया जाता है;

(ग) इस अधिनियम के अधीन के किसी व्यक्ति के ऐसे वेतन की जो उसने विधिविरुद्धतया प्रतिधृत कर रखा है या जिसे संदाय करने से उसने विधिविरुद्धतया इंकार कर दिया है, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि;

(घ) किसी अपराध के किए जाने से हुए किन्हीं व्ययों, हानि, नुकसान या नाश के लिए ऐसे प्रतिकर की, जो उस बल न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है या किसी ऐसे आफिसर द्वारा जो धारा 58 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, अवधारित किया जाए, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि;

(ङ) वे सभी वेतन और भत्ते जिनका आदेश बल न्यायालय द्वारा किया गया हो;

(च) किसी दंड न्यायालय द्वारा या किसी बल न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत जुर्माने के संदाय के लिए अपेक्षित कोई राशि;

(छ) लोक-संपत्ति या बल-संपत्ति की किसी ऐसी हानि, नुकसान या नाश के जिसकी बाबत उस महानिरीक्षक को, जिसके अधीन आफिसर उस समय सेवा कर रहा है, सम्यक् अन्वेषण के पश्चात् यह प्रतीत होता है कि वह उस आफिसर के सदोष कार्य से या उपेक्षा से घटित हुआ है, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि;

(ज) केन्द्रीय सरकार के आदेश से समपहृत सभी वेतन और भत्ते, यदि महानिदेशक द्वारा उस निमित्त गठित जांच न्यायालय का यह निष्कर्ष हो कि वह आफिसर शत्रु से जा मिला था या जब वह शत्रु के हाथ में था तब उसने शत्रु की ओर से या शत्रु के आदेशों के अधीन सेवा की थी या उसने किसी रीति से शत्रु की सहायता की थी या सम्यक् पूर्वावधानी न बरत कर या आदेशों की अवज्ञा या कर्तव्य की जानबूझकर

उपेक्षा करके उसने स्वयं को शत्रु द्वारा कैदी बना लिए जाने दिया था या शत्रु द्वारा कैदी बना लिए जाने पर तब जब उसके लिए अपनी सेवा पर वापस आ जाना संभव था, वह ऐसा करने में असफल रहा था;

(झ) केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या उसकी धर्मज संतान या अधर्मज संतान या सौतेली संतान के भरण-पोषण के लिए दिए जाने के लिए या उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या संतान को दी गई सहायता के खर्चे हेतु दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई राशि।

(2) धारा 63 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति के जो इस अधिनियम के अधीन है और जो किसी ऐसे आफिसर से भिन्न है, वेतन और भत्तों में से निम्नलिखित कटौतियां की जा सकेंगी, अर्थात्:—

(क) अभित्यजन या छुट्टी बिना या युद्ध कैदी होने के कारण अनुपस्थिति के प्रत्येक दिन के लिए तब के सिवाय जब उसके कमान आफिसर को समाधानप्रद स्पष्टीकरण दे दिया गया है और वह उसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, तथा किसी दंड न्यायालय, बल न्यायालय या किसी ऐसे आफिसर द्वारा जो धारा 56 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, अधिनिर्णीत कारावास के प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते;

(ख) ऐसे प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते जिस दिन वह किसी ऐसे अपराध के आरोप पर, जिसके लिए वह तत्पश्चात् किसी दंड न्यायालय या बल न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया जाता है, या छुट्टी बिना अनुपस्थिति के ऐसे आरोप पर, जिसके लिए तत्पश्चात् उसे किसी ऐसे आफिसर द्वारा जो धारा 56 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, कारावास अधिनिर्णीत किया जाता है, अभिरक्षा में है;

(ग) ऐसे प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते जिस दिन वह ऐसी रुग्णता के कारण अस्पताल में रहा है जिसकी बाबत उसकी परिचर्या करने वाले चिकित्सा आफिसर द्वारा यह प्रमाणपत्र दिया गया है कि वह उसके द्वारा किए गए इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध से कारित हुई है;

(घ) ऐसे प्रत्येक दिन के लिए सभी वेतन और भत्ते जिस दिन वह ऐसी रुग्णता के कारण अस्पताल में रहा है जिसकी बाबत उसकी परिचर्या करने वाले चिकित्सा आफिसर द्वारा यह प्रमाणपत्र दिया गया है कि वह उसके अपने अवचार या प्रज्ञाहीनता से कारित हुई है, उतनी राशि जितनी महानिदेशक के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ङ) वे सभी वेतन और भत्ते जिनके समपहरण या रोक दिए जाने का आदेश भी बल न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे आफिसर द्वारा दिया गया है जो धारा 56 और धारा 58 में से किसी के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है;

(च) शत्रु से उसका उद्धार किए जाने के और सेवा से उसकी ऐसी पदच्युति के, जो शत्रु द्वारा उसके कैदी बनाए जाने के समय के या शत्रु के हाथ में रहने के दौरान उसके आचरण के परिणामस्वरूप हुई है, बीच के प्रत्येक दिन के सभी वेतन और भत्ते;

(छ) केन्द्रीय सरकार को अथवा बल के किसी भवन या संपत्ति या किसी प्राइवेट निधि को उसके द्वारा कारित व्ययों, हानि, नुकसान या नाश के लिए ऐसे प्रतिकर की, जो उसके कमान आफिसर द्वारा अधिनिर्णीत किया जाए, प्रतिपूर्ति के लिए अपेक्षित कोई राशि;

(ज) किसी दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसे बल न्यायालय द्वारा जो धारा 49 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा है या किसी ऐसे आफिसर द्वारा जो धारा 56 और धारा 60 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, अधिनिर्णीत जुर्माने के संदाय के लिए अपेक्षित कोई राशि;

(झ) केन्द्रीय सरकार या किसी विहित आफिसर के आदेश द्वारा उसकी पत्नी या उसकी धर्मज संतान या अधर्मज संतान या सौतेली संतान के भरण-पोषण के लिए दी जाने के लिए या उक्त सरकार द्वारा उक्त पत्नी या संतान को दी गई सहायता के खर्चे हेतु दिए जाने के लिए अपेक्षित कोई राशि।

(3) इस धारा के अधीन अनुपस्थिति या अभिरक्षा के समय की संगणना के लिए—

(क) किसी भी व्यक्ति को एक दिन के लिए अनुपस्थित या अभिरक्षा में तब तक नहीं माना जाएगा

जब तक कि अनुपस्थिति या अभिरक्षा, चाहे पूर्णत: एक दिन में या भागत: एक दिन में और भागत: किसी अन्य दिन में, लगातार छह या अधिक घंटों तक न रही हो;

(ख) एक दिन से कम की अनुपस्थिति या अभिरक्षा को एक दिन की अनुपस्थिति या अभिरक्षा गिना जा सकेगा यदि ऐसी अनुपस्थिति या अभिरक्षा ने उस अनुपस्थित व्यक्ति को बल के सदस्य के रूप में किसी ऐसे कर्तव्य की पूर्ति करने से निवारित किया है जो इसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति पर डाला गया है;

(ग) लगातार बारह या अधिक घंटों की अनुपस्थिति या अभिरक्षा को उस प्रत्येक पूरे दिन की अनुपस्थिति या अभिरक्षा गिना जा सकेगा जिसके किसी प्रभाग के दौरान वह व्यक्ति अनुपस्थित था या अभिरक्षा में रहा था;

(घ) अनुपस्थिति या कारावास की अवधि को जो मध्य रात्रि के पूर्व प्रारंभ होती है और उसके पश्चात् समाप्त होती है, एक दिन के रूप में गिना जा सकेगा।

विचारण के दौरान वेतन और भत्ते।

62. इस अधिनियम के अधीन के किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी अपराध के आरोप पर अभिरक्षा में है या ड्यूटी से निलंबित है, विहित आफिसर यह निदेश दे सकेगा कि धारा 61 की उपधारा (1) के खंड (ख) और उपधारा (2) के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, ऐसे व्यक्ति के पूरे वेतन और भत्ते या उनके कोई भाग उस आरोप के, जो उसके विरुद्ध है, विचारण का परिणाम लंबित रहने तक, विधारित रखे जाएं।

कतिपय कटौतियों की परिसीमा।

63. किसी व्यक्ति के वेतन और भत्तों में से धारा 61 की उपधारा (2) के खंड (ङ) और खंड (छ) से खंड (झ) के अधीन की गई कुल कटौतियां तब के सिवाय जब कि वह पदच्युति या पद से हटाए जाने से दंडादिष्ट किया गया हो, किसी एक मास में उसके उस मास के वेतन और भत्तों के आधे से अधिक नहीं होंगी।

किसी व्यक्ति को शोध्य लोक धन में से कटौती।

64. किसी व्यक्ति के वेतन और भत्तों में से कटौती के लिए इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत कोई राशि, उसे वसूल करने के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पेंशन से भिन्न किसी ऐसे लोक धन में से काटी जा सकेगी, जो उसे शोध्य है।

युद्ध कैदी के आचरण की जांच के दौरान उसके वेतन और भत्ते।

65. जहां उस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के उस समय के आचरण की जांच, जब वह शत्रु द्वारा कैदी बनाया जा रहा था या जब वह शत्रु के हाथों में था, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन की जानी है वहां महानिदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई आफिसर यह आदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति के पूरे वेतन और भत्ते या उनके कोई भाग, उस जांच का परिणाम लंबित रहने तक, विधारित रखे जाएं।

कटौतियों का परिहार।

66. वेतन और भत्तों में से इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किसी कटौती का परिहार ऐसी रीति से और इतने विस्तार तक ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो समय-समय पर विहित किया जाए।

युद्ध कैदी की परिहार की गई कटौतियों तथा वेतन और भत्तों में से उसके आश्रितों के लिए उपबंध।

67. (1) इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी व्यक्तियों की दशा में, जो ऐसे युद्ध कैदी हैं जिनके वेतन और भत्ते धारा 61 की उपधारा (1) के खंड (ज) या उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन समपहृत किए गए हैं किंतु जिनकी बाबत धारा 66 के अधीन कोई परिहार किया गया है, केंद्रीय सरकार या महानिदेशक के लिए, जब केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे व्यक्तियों के किन्हीं आश्रितों के लिए वेतन और भत्तों के संबंध में उपबंध करे और उस दशा में वह परिहार ऐसे वेतन और भत्तों में से ऐसा करने के पश्चात् जो शेष रहे उतने को ही लागू समझा जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार या महानिदेशक के लिए, जब केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के, जो युद्ध कैदी है या लापता है, किसी आश्रित के लिए उसके वेतन और भत्तों के संबंध में उपबंध करे।

वह अवधि जिसके दौरान कोई व्यक्ति युद्ध कैदी समझा जाता है।

68. धारा 67 के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह जब तक उसके आचरण की ऐसी जांच जैसी धारा 65 में निर्दिष्ट है, समाप्त नहीं हो जाती तब तक और यदि वह ऐसे आचरण के परिणामस्वरूप, सेवा से पदच्युत किया जाता है तो ऐसे पदच्युत किए जाने की तारीख तक युद्ध कैदी बना रहा है।

अध्याय 6

गिरफ्तारी और विचारण के पूर्व कार्यवाहियां

अपराधियों की अभिरक्षा।

69. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, किसी वरिष्ठ आफिसर के आदेश से बल अभिरक्षा में लिया जा सकेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई आफिसर यह आदेश दे सकेगा कि किसी ऐसे अन्य आफिसर को, भले ही ऐसा अन्य आफिसर उच्चतर रैंक का हो, जो झगड़ा, दंगा या उपद्रव करने में लगा हो, बल अभिरक्षा में ले लिया जाए।

निरोध के संबंध में कमान आफिसर का कर्तव्य।

70. (1) प्रत्येक कमान आफिसर का यह कर्तव्य होगा कि इस बात की सतर्कता बरते कि जब उसके समादेश के अधीन के किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाया जाता है तब उस व्यक्ति को आरोप का अन्वेषण किए बिना, उस समय के पश्चात् जब उसको अभिरक्षा में सुपुर्द किए जाने की रिपोर्ट ऐसे आफिसर को की गई है, अड़तालीस घंटे से अधिक के लिए अभिरक्षा में तभी निरुद्ध रखा जाए जब उक्त अवधि के भीतर विहित प्रक्रिया में ऐसे अन्वेषण का किया जाना लोक सेवा की दृष्टि से उसे असाध्य प्रतीत होता है।

(2) कमान आफिसर ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के मामले की, जिसे अड़तालीस घंटे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है और ऐसे निरुद्ध रखे जाने के कारणों की रिपोर्ट अपने से ठीक उच्चतर आफिसर को या ऐसे अन्य आफिसर को देगा जिसको, उस व्यक्ति का जिस पर आरोप है, विचारण करने के लिए बल न्यायालय संयोजित करने का आवेदन किया जा सकेगा।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अड़तालीस घंटों की अवधि की गणना करने में, रविवार और अन्य लोक अवकाश के दिन अपवर्जित किए जाएंगे।

(4) वह रीति जिसमें और वह अवधि जिसके लिए किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले विचारण के लंबित रहने तक, बल अभिरक्षा में लिया जा सकेगा और निरुद्ध रखा जा सकेगा, वह होगी, जो विहित की जाए।

सुपुर्दगी और विचारण किए जाने के बीच का अंतराल।

71. ऐसे प्रत्येक मामले में, जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 69 में वर्णित है और सक्रिय ड्यूटी पर नहीं है, उसके विचारण के लिए बल न्यायालय संयोजित किए बिना, ऐसी अभिरक्षा में आठ दिन से दीर्घतर अवधि के लिए रहता है वहां उसके कमान आफिसर द्वारा विलंब का कारण देने वाली एक विशेष रिपोर्ट, विहित रीति से की जाएगी और ऐसी ही रिपोर्ट प्रत्येक आठ दिनों के अंतरालों पर तब तक भेजी जाएगी जब तक बल न्यायालय संयोजित न हो जाए या उस व्यक्ति को अभिरक्षा से निर्मुक्त न कर दिया जाए।

सिविल प्राधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी।

72. जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, किसी मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर की अधिकारिता के भीतर है तब वह मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर उस व्यक्ति के कमान आफिसर द्वारा या ऐसे आफिसर द्वारा, जिसे कमान आफिसर ने इस निमित्त प्राधिकृत किया है, हस्ताक्षरित उस आशय के लिखित आवेदन की प्राप्ति पर उस व्यक्ति के पकड़े जाने और बल अभिरक्षा में दिए जाने में सहायता करेगा।

अभित्याजकों को पकड़ना।

73. (1) जब कभी कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, अभित्यजन करता है तब उस यूनिट का, जिसका वह अंग है या जिससे वह संलग्न है, कमान आफिसर ऐसे अभित्यजन की जानकारी ऐसे सिविल प्राधिकारियों को देगा, जो उसकी राय में, अभित्याजक को पकड़ने में सहायता देने में समर्थ है; और तब वे प्राधिकारी उक्त अभित्याजक को पकड़ने के लिए उसी रीति से, कार्रवाई करेंगे मानो वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसे पकड़ने के लिए किसी मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट निकाला गया है और अभित्याजक को पकड़ लिए जाने पर उसे बल अभिरक्षा में देंगे।

(2) कोई भी पुलिस आफिसर किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से यह विश्वास है कि वह इस अधिनियम के अधीन है और अभित्याजक है या प्राधिकार के बिना यात्रा कर रहा है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकेगा और विधि के अनुसार बरते जाने के लिए उसे अविलम्ब निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष लाएगा।

छुट्टी बिना अनुपस्थित रहने की जांच।

74. (1) जब ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, सम्यक् प्राधिकार के बिना तीस दिन की अवधि के लिए ड्यूटी से अनुपस्थित रहा है तब एक जांच न्यायालय, यथासाध्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से नियुक्त किया जाएगा, जो विहित की जाए; और वह न्यायालय उस व्यक्ति की अनुपस्थिति के संबंध में और उसकी देख-रेख के लिए सौंपी गई सरकारी संपत्ति में या किन्हीं आयुधों, गोलाबारुद, उपस्कर, उपकरणों, कपड़ों या आवश्यक वस्तुओं में हुई कमी के, यदि कोई हो, बारे में जांच विहित रीति से दिलाई गई शपथ या कराए गए प्रतिज्ञान पर करेगा और यदि उसका इस तथ्य की बाबत समाधान हो जाता है कि अनुपस्थिति सम्यक् प्राधिकार या अन्य पर्याप्त हेतुक के बिना हुई है तो न्यायालय उस अनुपस्थिति और उसकी अवधि तथा उक्त कमी की, यदि कोई हो, घोषणा करेगा और उस यूनिट का, जिसका वह व्यक्ति अंग है या जिससे वह संलग्न है, कमान आफिसर उसे विहित रीति से लेखबद्ध करेगा।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे अनुपस्थित घोषित किया गया है, तत्पश्चात् अभ्यर्पण नहीं करता है या पकड़ा नहीं जाता है उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अभित्याजक समझा जाएगा।

बल पुलिस आफिसर।

75. (1) महानिदेशक या कोई विहित आफिसर उपधारा (2) और उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिए व्यक्तियों को (जिन्हें इस अधिनियम में बल पुलिस कहा गया है) नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति का कर्तव्य है, किसी अपराध के लिए परिरुद्ध व्यक्तियों को अपने भारसाधन में लेना, बल में सेवा करने वाले या उससे संलग्न व्यक्तियों में सुव्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना और उसके द्वारा उसका भंग किया जाना निवारित करना।

(3) धारा 69 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है और अपराध करता है या जिस पर किसी अपराध का आरोप है, विचारण के लिए किसी भी समय गिरफ्तार और निरुद्ध कर सकेगा तथा बल न्यायालय द्वारा या किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो धारा 56 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग कर रहा है, अधिनिर्णीत दंडादेश के अनुसरण में दंड को कार्यान्वित भी कर सकेगा किन्तु वह अपने प्राधिकार से कोई दंड नहीं देगा:

परंतु किसी आफिसर को किसी अन्य आफिसर के आदेश के बिना इस प्रकार गिरफ्तार या निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

अध्याय 7

बल न्यायालय

बल न्यायालयों के प्रकार।

76. इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बल न्यायालय तीन प्रकार के होंगे, अर्थात्:—

(क) जनरल बल न्यायालय;

(ख) पैटी बल न्यायालय; और

(ग) समरी बल न्यायालय,

जो विहित रीति में संयोजित किए जाएंगे।

जनरल बल न्यायालय संयोजित करने की शक्ति।

77. जनरल बल न्यायालय, केन्द्रीय सरकार द्वारा या महानिदेशक द्वारा या महानिदेशक के अधिपत्र द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी आफिसर द्वारा संयोजित किया जा सकेगा।

पैटी बल न्यायालय संयोजित करने की शक्ति।

78. पैटी बल न्यायालय, जनरल बल न्यायालय संयोजित करने की शक्ति रखने वाले आफिसर द्वारा या ऐसे किसी आफिसर के अधिपत्र द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए आफिसर द्वारा संयोजित किया जा सकेगा।

धारा 77 और धारा 78 के अधीन निकाले गए अधिपत्र।

79. धारा 77 या धारा 78 के अधीन निकाले गए अधिपत्र में ऐसे निर्बंधन, आरक्षण या शर्तें हो सकेंगी जिन्हें उसे निकालने वाला आफिसर ठीक समझे।

जनरल बल न्यायालय की संरचना।

80. जनरल बल न्यायालय कम से कम पांच आफिसरों से मिलकर बनेगा।

पैटी बल न्यायालय की संरचना।

81. पैटी बल न्यायालय कम से कम तीन आफिसरों से मिलकर बनेगा।

समरी बल न्यायालय।

82. (1) समरी बल न्यायालय किसी यूनिट के कमान आफिसर द्वारा अधिविष्ट किया जा सकेगा और वह न्यायालय अकेले उससे ही गठित होगा।

(2) कार्यवाहियों में दो अन्य ऐसे व्यक्ति आरंभ से अन्त तक हाजिर रहेंगे जो आफिसर या अधीनस्थ आफिसर या दोनों में से एक-एक होंगे और जिन्हें उस रूप में न तो शपथ दिलाई जाएगी और न प्रतिज्ञात कराया जाएगा।

बल न्यायालय का विघटन।

83. (1) यदि विचारण प्रारंभ होने के पश्चात् किसी बल न्यायालय में उन आफिसरों की संख्या, उस न्यूनतम संख्या से जो इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित है, कम हो जाती है तो उसे विघटित कर दिया जाएगा।

(2) यदि निष्कर्ष के पहले, यथास्थिति, संबंधित जज अटर्नी जनरल या उप जज अटर्नी जनरल या अपर जज अटर्नी जनरल की या अभियुक्त की रुग्णता के कारण विचारण चलते रहना असंभव हो जाता है तो बल न्यायालय को विघटित कर दिया जाएगा।

(3) यदि उस प्राधिकारी या आफिसर को जिसने बल न्यायालय संयोजित किया है यह प्रतीत होता है कि सेवा की अत्यावश्यकताओं या अनुशासनिक आवश्यकताओं ने उक्त बल न्यायालय का चालू रहना असंभव या असमीचीन बना दिया है तो वह ऐसे न्यायालय को विघटित कर सकेगा।

(4) जहां बल न्यायालय को इस धारा के अधीन विघटित कर दिया जाता है, वहां अभियुक्त का विचारण फिर से किया जा सकेगा।

जनरल बल न्यायालय की शक्तियां।

84. जनरल बल न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन है, ऐसे अपराध के लिए, जो उसके अधीन दंडनीय है, विचारण करने और उसके द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करने की शक्ति होगी।

पैटी बल न्यायालय की शक्तियां।

85. पैटी बल न्यायालय को आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति का जो इस अधिनियम के अधीन है, ऐसे किसी अपराध के लिए, जो उसके अधीन दंडनीय है, विचारण करने की तथा इस अधिनियम द्वारा अधिकृत कोई ऐसा दंडादेश पारित करने की, जो मृत्यु दंडादेश या दो वर्ष से अधिक के कारावास के दंडादेश से भिन्न है, शक्ति होगी।

समरी बल न्यायालय की शक्तियां।

86. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समरी बल न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का विचारण कर सकेगा।

(2) जब तुरन्त कार्रवाई के लिए गंभीर कारण नहीं है और अनुशासन का अहित किए बिना अभिकथित अपराधी के विचारण के लिए उस आफिसर को निदेश किया जा सकता है जो पैटी बल न्यायालय संयोजित करने के लिए सशक्त है तब समरी बल न्यायालय अधिविष्ट करने वाला कोई आफिसर, धारा 16, धारा 19 और धारा 49 में से किसी के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का या न्यायालय अधिविष्ट करने वाले आफिसर के विरुद्ध किसी अपराध का विचारण ऐसे निर्देश के बिना नहीं करेगा।

(3) समरी बल न्यायालय, आफिसर या अधीनस्थ आफिसर से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन है और जो न्यायालय को अधिविष्ट करने वाले आफिसर के समादेश के अधीन है।

(4) समरी बल न्यायालय, मृत्यु या उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट परिसीमा से अधिक की अवधि के कारावास के दंडादेश से भिन्न कोई भी ऐसा दंडादेश पारित कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन पारित किया जा सकता है।

(5) उपधारा (4) में निर्दिष्ट परिसीमा,—

(क) उस दशा में एक वर्ष होगी जिसमें बल न्यायालय को अधिविष्ट करने वाला आफिसर कोई ऐसा रैंक धारण करता है जो कमांडेंट के रैंक से नीचे का नहीं है;

(ख) किसी अन्य दशा में तीन मास की होगी।

द्वितीय विचारण का प्रतिषेध।

87. (1) जब किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी बल न्यायालय या दंड न्यायालय द्वारा किसी अपराध से दोष मुक्त किया गया है या उसके लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके बारे में धारा 56 या धारा 58 के अधीन कार्यवाही की गई है तब वह उसी अपराध के लिए बल न्यायालय द्वारा पुन: विचारण के किए जाने या उक्त धाराओं के अधीन पुन: कार्यवाही किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

(2) जब किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है किसी बल न्यायालय द्वारा किसी अपराध से दोषमुक्त किया गया है या उसके लिए सिद्धदोष ठहराया गया है उसके बारे में धारा 56 या धारा 58 के अधीन कार्यवाही की गई है तब वह उसी अपराध के लिए या उन्हीं तथ्यों पर किसी दंड न्यायालय द्वारा पुन: विचारण किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा।

विचारण के लिए परिसीमाकाल।

88. (1) उपधारा (2) में जैसा उपबंधित है, उसके सिवाय ऐसे किसी व्यक्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी अपराध के लिए बल न्यायालय द्वारा विचारण ऐसे अपराध की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रारम्भ नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंध अभित्यजन के अपराध के या धारा 19 में वर्णित किसी अपराध के विचारण को लागू नहीं होंगे।

(3) उपधारा (1) में वर्णित समय की अवधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा जो ऐसे व्यक्ति ने अपराध करने के पश्चात् गिरफ्तारी से बचने में व्यतीत किया है।

उस अपराधी का विचारण, आदि जो इस अधिनियम के अधीन नहीं रह जाता है।

89. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी व्यक्ति द्वारा उस समय किया गया था जब वह इस अधिनियम के अधीन था और अब वह इस प्रकार अधीन नहीं रह गया है वहां उसे बल अभिरक्षा में ऐसे ले लिया और रखा जा सकेगा तथा ऐसे अपराध के लिए उसका ऐसे विचारण और उसे ऐसे दंडित किया जा सकेगा मानो वह इस प्रकार अधीन बना रहा हो।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति का किसी अपराध के लिए विचारण तभी किया जाएगा जब उसका विचारण उसके इस अधिनियम के अधीन न रहने के पश्चात् छह मास के भीतर प्रारंभ हो जाए, अन्यथा नहीं:

परंतु इस उपधारा की कोई भी बात अभित्यजन के अपराध के लिए या धारा 19 में वर्णित किसी अपराध के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के विचारण को न तो लागू होगी और न ऐसे किसी अपराध का विचारण करने की दंड न्यायालय की अधिकारिता पर प्रभाव डालेगी जो ऐसे न्यायालय द्वारा तथा बल न्यायालय द्वारा भी विचारणीय है।

दंडादेश की अवधि के दौरान अधिनियम का लागू होना।

90. (1) जब किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, कोई बल न्यायालय कारावास का दंडादेश देता है तब यह अधिनियम उसके दंडादेश की अवधि के दौरान उसे लागू होगा, भले ही उसे बल से पदच्युत कर दिया गया हो या वह अन्यथा इस अधिनियम के अधीन नहीं रह गया हो और उसे ऐसे रखा, हटाया या कारावासित और दंडित किया जा सकेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन बना रहा हो।

(2) जब किसी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, बल न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है तब वह अधिनियम उसे तब तक लागू होगा जब तक कि वह दंडादेश कार्यान्वित नहीं कर दिया जाता है।

विचारण का स्थान, आदि।

91. (1) किसी ऐसे व्यक्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो इस अधिनियम के विरुद्ध कोई अपराध करता है, ऐसे अपराध के लिए उसका किसी भी स्थान पर विचारण किया जा सकेगा और उसे दंडित किया जा सकेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति, जिनके द्वारा किसी विचारण में अभियुक्त व्यक्ति की प्रतिरक्षा की जा सकेगी और उसमें ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी, विहित रूप में हो सकेगी।

दंड न्यायालय और बल न्यायालय में से किसी एक का चयन।

92. जब किसी अपराध के संबंध में दंड न्यायालय और बल न्यायालय में से प्रत्येक को अधिकारिता है तब यह विनिश्चय करना कि कार्यवाहियां किस न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाएं, उस महानिदेशक, अपर महानिदेशक या महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक के, जिसके समादेश में अभियुक्त व्यक्ति सेवा कर रहा है या ऐसे अन्य आफिसर के, जो विहित किया जाए, विवेकाधीन होगा और यदि वह आफिसर यह विनिश्चय करता है कि कार्यवाहियां बल न्यायालय के समक्ष संस्थित की जाएं तब वह निदेश देगा कि अभियुक्त व्यक्ति को बल अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाए, उसके विवेकाधीन होगा।

दंड न्यायालय की यह अपेक्षा करने की शक्ति कि अपराधी परिदत्त किया जाए।

93. (1) जब अधिकारिता रखने वाले दंड न्यायालय की यह राय है कि किसी अभिकथित अपराध के बारे में कार्यवाहियां उसी के समक्ष संस्थित की जानी चाहिएं तब वह, लिखित सूचना द्वारा, धारा 92 में निर्दिष्ट आफिसर से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपने विकल्प पर अपराध को विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए निकटतम मजिस्ट्रेट को परिदत्त कर दे या केन्द्रीय सरकार को निर्देश किए जाने तक कार्यवाहियों को मुल्तवी कर दे।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले में उक्त आफिसर या तो उस अध्यपेक्षा के अनुपालन में अपराधी को परिदत्त कर देगा या इस प्रश्न को कि कार्यवाहियां किस न्यायालय के समक्ष संस्थित की जानी हैं, केन्द्रीय सरकार के अवधारण के लिए तत्काल निर्देशित करेगा जिसका ऐसे निर्देश पर आदेश अंतिम होगा।

अध्याय 8

बल न्यायालयों की प्रक्रिया

पीठासीन आफिसर।

94. प्रत्येक जनरल बल न्यायालय या पैटी बल न्यायालय में ज्येष्ठ सदस्य पीठासीन आफिसर होगा।

जज अटर्नी।

95. (1) जज अटर्नी या उप जज अटर्नी जनरल या अपर जज अटर्नी जनरल या यदि ऐसा कोई आफिसर उपलब्ध नहीं है तो ऐसा कोई आफिसर, जो जज अटर्नी जनरल या ऐसे जज अटर्नी जनरल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी आफिसर द्वारा अनुमोदित किया जाए, प्रत्येक जनरल बल न्यायालय में हाजिर रहेगा और प्रत्येक पैटी बल न्यायालय में हाजिर रह सकेगा।

(2) जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी की भर्ती और सेवा की शर्तें यथा विहित होंगी।

आक्षेप।

96. (1) जनरल बल न्यायालय या पैटी बल न्यायालय द्वारा सभी विचारणों में, जैसे ही न्यायालय समवेत हो वैसे ही, पीठासीन आफिसर और सदस्यों के नाम अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे और तब उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह न्यायालयासीन किसी आफिसर द्वारा अपना विचारण किए जाने पर आक्षेप करता है।

(2) यदि अभियुक्त ऐसे किसी आफिसर के बारे में आक्षेप करता है तो उसका आक्षेप और उस पर उस आफिसर का, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, उत्तर भी सुना और अभिलिखित किया जाएगा और न्यायालय के बाकी आफिसर उस आक्षेप पर उस अधिकार की अनुपस्थिति में, जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, विनिश्चय करेंगे।

(3) यदि आक्षेप को मतदान करने के हकदार आफिसरों में से आधे या उससे अधिक आफिसरों के मतों द्वारा अनुज्ञात कर दिया जाता है तो आक्षेप को अनुज्ञात किया जाएगा और वह सदस्य जिसके बारे में आक्षेप किया गया है, निवृत्त हो जाएगा और उस रिक्ति को विहित रीति से किसी अन्य आफिसर से इस शर्त के अधीन रहते हुए भरा जाएगा कि अभियुक्त को उसके बारे में भी आक्षेप करने का वही अधिकार होगा।

(4) जब कोई आक्षेप नहीं किया गया है या जब आक्षेप किया गया है और वह अननुज्ञात कर दिया गया है या किसी आफिसर की रिक्ति उपधारा (3) के अधीन अन्य ऐसे आफिसर से भर दी गई है जिसके प्रति में कोई आक्षेप नहीं किया गया है या अनुज्ञात नहीं किया गया है, तब न्यायालय विचारण के लिए अग्रसर होगा।

सदस्यों, जज अटर्नी और साक्षियों को शपथ दिलाना।

97. (1) इसके पूर्व कि विचारण प्रारंभ हो, बल न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को और, यथास्थिति, जज अटर्नी या उप जज अटर्नी या अपर जज अटर्नी जनरल या धारा 95 के अधीन अनुमोदित आफिसर को विहित रीति से शपथ दिलाई जाएगी या उससे प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

(2) बल न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने वाले प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा विहित प्ररूप में सम्यक् रूप से उसे शपथ दिलाने या उससे प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां कि साक्षी बारह वर्ष से कम आयु का बालक है और बल न्यायालय की यह राय है कि यद्यपि साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है तथापि वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता।

सदस्यों द्वारा मतदान।

98. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए बल न्यायालय का प्रत्येक विनिश्चय स्पष्ट बहुमत से पारित किया जाएगा और जहां निष्कर्ष या दंडादेश के बारे में मत बराबर हैं वहां विनिश्चय अभियुक्त के पक्ष में होगा।

(2) जनरल बल न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश उस न्यायालय के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(3) आक्षेप या निष्कर्ष या दंडादेश के मामलों से भिन्न मामलों में पीठासीन आफिसर का निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

साक्ष्य के बारे में साधारण नियम।

1872 का 1

99. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बल न्यायालय के समक्ष की सभी कार्यवाहियों को लागू होगा।

न्यायिक अवेक्षा।

100. बल न्यायालय किसी ऐसी बात की न्यायिक अवेक्षा कर सकेगा जो बल के आफिसरों के रूप में सदस्यों के साधारण ज्ञान में होती है।

साक्षियों को समन करना।

101. (1) संयोजक आफिसर या बल न्यायालय का पीठासीन आफिसर या जज अटर्नी या, यथास्थिति, उप जज अटर्नी जनरल या अपर जज अटर्नी जनरल या धारा 95 के अधीन अनुमोदित आफिसर या अभियुक्त व्यक्ति का कमान आफिसर स्वहस्ताक्षरित समन द्वारा किसी व्यक्ति की, साक्ष्य देने के लिए या कोई दस्तावेज या अन्य वस्तु पेश करने के लिए ऐसे समय और स्थान पर जो समन में वर्णित किया जाए, हाजिरी की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) ऐसे साक्षी की दशा में, जो इस अधिनियम के या संघ के सशस्त्र बलों से संबंधित किसी अन्य अधिनियम के अधीन हैं, समन उसके कमान आफिसर को भेजा जाएगा और वह आफिसर उस समन की उस पर तदनुसार तामील करेगा।

(3) किसी अन्य साक्षी की दशा में, समन उस मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसकी अधिकारिता के भीतर वह है या निवास करता है और वह मजिस्ट्रेट समन को ऐसे कार्यान्वित करेगा मानो साक्षी से उस मजिस्ट्रेट के न्यायालय में आने की अपेक्षा की गई हो।

(4) जब किसी साक्षी से उसके कब्जे या शक्ति में की किसी विशिष्ट दस्तावेज या अन्य वस्तु को पेश करने की अपेक्षा की जाती है तब समन में युक्तियुक्त प्रमितता के साथ उसका वर्णन किया जाएगा।

पेश किए जाने से छूट प्राप्त दस्तावेज।

1872 का 1

102. (1) धारा 101 की कोई भी बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली अथवा डाक या तार प्राधिकारियों की अभिरक्षा में के किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय में ऐसी अभिरक्षा में की किसी दस्तावेज की किसी बल न्यायालय प्रयोजन के लिए आवश्यकता है तो ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करें, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय निर्दिष्ट करे।

(3) यदि किसी अन्य मजिस्ट्रेट की या किसी पुलिस आयुक्त या जिला पुलिस अधीक्षक की राय में किसी ऐसी दस्तावेज की ऐसे ही किसी प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, तो वह, यथास्थिति, डाक या तार प्राधिकारियों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे ऐसी दस्तावेज को तलाश कराए और उसे ऐसे किसी जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या उच्च न्यायालय के आदेश होने तक प्रतिधृत रखे।

साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन।

103. (1) जब कभी बल न्यायालय द्वारा किए जा रहे विचारण के अनुक्रम में, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि साक्षी की परीक्षा की जाए और ऐसे साक्षी की हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना, जितना मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगा, नहीं कराई जा सकती है तब ऐसे न्यायालय, जज अटर्नी जनरल को इस वास्ते संबोधित कर सकेगा कि उस साक्षी का साक्ष्य लेने के लिए कमीशन निकाला जाए।

(2) यदि जज अटर्नी जनरल आवश्यक समझता है तो वह साक्षी लेने के लिए किसी ऐसी महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी निवास करता है, कमीशन निकाल सकेगा।

(3) वह मजिस्ट्रेट, जिसके नाम कमीशन निकाला गया है या, यदि वह मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे तो, वह साक्षी को अपने समक्ष आने के लिए समन करेगा या उस स्थान पर जाएगा जहां साक्षी है और उसी रीति से उसका साक्ष्य लिखेगा और इस प्रयोजन के लिए उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो उसे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 1974 का 2
के अधीन वारन्ट मामलों के विचारण के लिए है।

(4) जब साक्षी किसी जनजाति क्षेत्र में या भारत से बाहर किसी स्थान पर निवास करता है, तब कमीशन उस रीति से निकाला जा सकेगा, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 23 में विनिर्दिष्ट है। 1974 का 2

साक्षी की कमीशन पर परीक्षा।

104. (1) किसी ऐसे मामले में, जिसमें धारा 103 के अधीन कमीशन निकाला गया है, अभियोजक और अभियुक्त व्यक्ति कोई ऐसे लिखित परिप्रश्न भेज सकेंगे, जिन्हें न्यायालय विवाद्यक से सुसंगत समझे और ऐसे कमीशन का निष्पादन करने वाला मजिस्ट्रेट ऐसे परिप्रश्नों पर साक्षी की परीक्षा करेगा।

(2) अभियोजक और अभियुक्त व्यक्ति, ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष काउंसेल की मार्फत या उस दशा के सिवाय जब अभियुक्त व्यक्ति अभिरक्षा में है, स्वयं उपसंजात हो सकेंगे और उक्त साक्षी की, यथास्थिति, परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा कर सकेंगे।

(3) धारा 103 के अधीन निकाले गए कमीशन के सम्यक् रूप से निष्पादित किए जाने के पश्चात् उसे उस साक्षी के अभिसाक्ष्य सहित, जिसकी उसके अधीन परीक्षा की गई है, जज अटर्नी जनरल को लौटा दिया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन लौटाए गए कमीशन और अभिसाक्ष्य की प्राप्ति पर, जज अटर्नी जनरल उसे उस न्यायालय को, जिसके निवेदन पर वह कमीशन निकाला गया था, यदि वह न्यायालय विघटित कर दिया गया है तो, अभियुक्त व्यक्ति के विचारण के लिए संयोजित किसी अन्य न्यायालय को अग्रेषित करेगा और कमीशन तत्संबंधी विवरणों और अभिसाक्ष्य, अभियोजक और अभियुक्त द्वारा निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और वे, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, मामले में अभियोजक द्वारा या अभियुक्त द्वारा साक्ष्य में पढ़े जा सकेंगे और न्यायालय की कार्यवाही के भाग होंगे।

(5) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें धारा 103 के अधीन कमीशन निकाला गया है, विचारण ऐसे विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित किया जा सकेगा जो कमीशन के निष्पादन और लौटाए जाने के लिए उचित रूप से पर्याप्त हो।

ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि, जिसका आरोप न लगाया गया हो।

105. वह व्यक्ति, जिस पर बल न्यायालय के समक्ष,—

(क) अभित्यजन का आरोप लगाया गया है, अभित्यजन करने का प्रयत्न करने या छुट्टी बिना अनुपस्थित होने का दोषी ठहराया जा सकेगा;

(ख) अभित्यजन करने का प्रयत्न करने का आरोप लगाया गया है, छुट्टी बिना अनुपस्थित होने का दोषी ठहराया जा सकेगा;

(ग) आपराधिक बल का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है, हमले का दोषी ठहराया जा सकेगा;

(घ) धमकी भरी भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है, अनधीनता द्योतक भाषा का प्रयोग करने का दोषी ठहराया जा सकेगा;

(ङ) धारा 33 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट अपराधों में से किसी एक का आरोप लगाया गया है, इन अपराधों में से किसी ऐसे अन्य अपराध का दोषी ठहराया जा सकेगा, जिसका उस पर आरोप लगाया जा सकता था;

(च) धारा 49 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का आरोप लगाया है किसी ऐसे अन्य अपराध का दोषी ठहराया जा सकेगा, जिसका वह उस दशा में दोषी ठहराया जा सकता था जब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध लागू होते;

1974 का 2

(छ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, अपराध के ऐसी परिस्थितियों में किए जाने का जिनमें अधिक कठोर दंड अन्तर्वलित है, सबूत न होने पर उसी अपराध के ऐसी परिस्थितियों में, जिनमें कम कठोर दंड अंतर्वलित हैं, किए जाने का दोषी ठहराया जा सकेगा;

(ज) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का आरोप लगाया गया है, उस अपराध के प्रयत्न का या दुष्प्रेरण का दोषी ठहराया जा सकेगा, भले ही प्रयत्न या दुष्प्रेरण का आरोप पृथक्तः न लगाया गया हो।

हस्ताक्षरों के बारे में उपधारणा।

106. इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्यवाही में ऐसे किसी आवेदन, प्रमाणपत्र, वारंट, उत्तर या अन्य दस्तावेज के बारे में, जिसका सरकार की सेवा में के किसी आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, पेश किए जाने पर जब तक यह तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि वह उस व्यक्ति द्वारा और उस हैसियत में सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित की गई है, जिसके द्वारा और जिस हैसियत में उसका हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है।

अभ्यावेशन पत्र।

107. (1) कोई अभ्यावेशन पत्र, जिसका किसी अभ्यावेशन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में इस बात का साक्ष्य होगा कि अभ्यावेशित व्यक्ति ने प्रश्नों के वही उत्तर दिए थे, जिनका उसके द्वारा दिया जाना उसमें व्यपदिष्ट है।

(2) ऐसे व्यक्ति का अभ्यावेशन, उसके मूल अभ्यावेशन पत्र या उसकी ऐसी प्रतिलिपि, जिसका अभ्यावेशन पत्र या सेवा अभिलेख को अभिरक्षा में रखने वाले आफिसर द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित होना तात्पर्यित है, पेश करके साबित किया जा सकेगा।

कुछ दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।

108. (1) बल के किसी यूनिट में किसी व्यक्ति के सेवा में होने या ऐसी यूनिट से किसी व्यक्ति की पदच्युति, हटाए जाने या उन्मोचन के संबंध में या किसी व्यक्ति की इन परिस्थितियों के बारे में कि उसने बल की किसी यूनिट में सेवा नहीं की है या वह उसका अंग नहीं है, कोई पत्र, विवरणी या अन्य दस्तावेज उस दशा में जिसमें उसका केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक द्वारा या उसकी ओर से अथवा किसी विहित आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, उन तथ्यों का साक्ष्य होगी, जिनका कथन उस पत्र, विवरणी या अन्य दस्तावेज में है।

(2) बल सूची या राजपत्र, जिसका प्राधिकार से प्रकाशित होना तात्पर्यित है, उसमें वर्णित आफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों की प्रास्थिति और रैंक का तथा उनके द्वारा धारित किसी नियुक्ति का तथा बल की उस बटालियन, यूनिट या शाखा का, जिसके वे अंग हैं, साक्ष्य होगा।

(3) जहां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए, किन्हीं नियमों के अनुसरण में या अन्यथा शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में कोई अभिलेख किसी बटालियन पुस्तक में लेखबद्ध किया जाता है और कमान आफिसर द्वारा या उस आफिसर द्वारा, जिसका कर्तव्य ऐसा अभिलेख लेखबद्ध करना है, हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है, वहां ऐसा अभिलेख उन तथ्यों का, जिनका उसमें कथन किया गया है, साक्ष्य होगा।

(4) बल के किसी कार्यालय में किसी अभिलेख की प्रतिलिपि जिसका ऐसी पुस्तक को अभिरक्षा में रखने वाले आफिसर द्वारा शुद्ध प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित होना तात्पर्यित है, ऐसे अभिलेख का साक्ष्य होगी।

(5) जहां किसी ऐसे व्यक्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन है, अभित्यजन या छुट्टी बिना अनुपस्थिति के आरोप पर विचारण किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति ने किसी आफिसर या ऐसे अन्य व्यक्ति की, जो इस अधिनियम के अधीन है, या बल के किसी यूनिट की अभिरक्षा में अपने को अभ्यर्पित कर दिया है या वह ऐसे आफिसर या व्यक्ति द्वारा पकड़ लिया गया है, वहां ऐसे प्रमाणपत्र जिसका, यथास्थिति, ऐसे आफिसर द्वारा या उस यूनिट के, जिसका ऐसा व्यक्ति अंग है या उससे संलग्न है, कमान आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है और जिसमें ऐसे अभ्यर्पण या पकड़े जाने का तथ्य, तारीख और स्थान तथा इस बात का कथन है कि उसका पहनावा कैसा था, ऐसी कथित बातों का साक्ष्य होगा।

(6) जहां किसी ऐसे व्यक्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन है, अभित्यजन या छुट्टी बिना अनुपस्थिति के आरोप पर विचारण किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति ने किसी ऐसे पुलिस आफिसर की, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक आफिसर के रैंक से नीचे का नहीं है, अभिरक्षा में अपने को अभ्यर्पित कर दिया है या वह ऐसे आफिसर द्वारा पकड़ लिया गया है, वहां ऐसा प्रमाणपत्र जिसका ऐसे पुलिस आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित है और जिसमें ऐसे अभ्यर्पण या पकड़े जान का तथ्य, तारीख और स्थान तथा इस बात का कथन है कि उसका पहनावा कैसा था, ऐसी कथित बातों का साक्ष्य होगा।

(7) (क) किसी ऐसी दस्तावेज का, जिसका किसी ऐसे सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा, जिसको यह उपधारा लागू होती है, हस्ताक्षरित ऐसी रिपोर्ट होना तात्पर्यित है, जो ऐसे पदार्थ या चीज के बारे में है, जो इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के अनुक्रम में परीक्षा, विश्लेषण और रिपोर्ट के लिए उसे सम्यक् रूप से भेजी गई थी, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

(ख) यदि बल न्यायालय उचित समझता है तो वह ऐसे किसी विशेषज्ञ को उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के बारे में समन कर सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।

(ग) जहां बल न्यायालय द्वारा ऐसा विशेषज्ञ समन किया जाता है और वह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में असमर्थ है तो जब तक न्यायालय उसे व्यक्तिगत रूप में हाजिर होने के लिए अभिव्यक्तत: निदेश न दे वह ऐसे किसी आफिसर को, जो मामले में तथ्यों से अवगत है, अपनी ओर से न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(घ) यह उपधारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 293 की उपधारा (4) में तत्समय विनिर्दिष्ट सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है। 1974 का 2

अभियुक्त द्वारा सरकारी आफिसर को निर्देश।

109. (1) यदि अभित्यजन के या छुट्टी बिना अनुपस्थिति के, छुट्टी के उपरांत अनुपस्थिति के या सेवा के लिए बुलाए जाने पर वापस न आने के लिए किए जा रहे किसी विचारण में अभियुक्त व्यक्ति अपनी अप्राधिकृत अनुपस्थिति के लिए किसी पर्याप्त या युक्तियुक्त प्रतिहेतु का कथन अपनी प्रतिरक्षा में करता है और उसके समर्थन में सरकार की सेवा में के किसी आफिसर के प्रति निर्देश करता है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिरक्षा में के उक्त कथन के किसी ऐसे आफिसर द्वारा साबित या नासाबित किए जाने की संभावना है तो न्यायालय ऐसे आफिसर को लिखेगा और कार्यवाहियों को तब तक के लिए स्थगित कर देगा जब तक उसका उत्तर प्राप्त नहीं हो जाता।

(2) ऐसे निर्देशित आफिसर का लिखित उत्तर, यदि वह उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, तो, साक्ष्य में लिया जाएगा और उसका वैसा ही प्रभाव होगा मानो वह न्यायालय के समक्ष शपथ पर किया गया हो।

(3) यदि ऐसे उत्तर की प्राप्ति के पूर्व न्यायालय का विघटन हो जाता है अथवा यदि न्यायालय इस धारा के उपबंधों का पालन करने का लोप करता है तो संयोजक आफिसर कार्यवाहियों को स्वविवेकानुसार बातिल कर सकेगा और नए विचारण का आदेश दे सकेगा।

पूर्व दोषसिद्धियों और साधारण आचरण का साक्ष्य।

110. (1) जब किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, बल न्यायालय ने किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है तब वह बल न्यायालय ऐसे व्यक्ति की किसी बल न्यायालय या दंड न्यायालय द्वारा की गई पूर्व दोषसिद्धियों की धारा 56 या धारा 58 के अधीन किए गए किसी पूर्व दंड अधिनिर्णय की जांच कर सकेगा तथा उसका साक्ष्य प्राप्त और लेखबद्ध कर सकेगा तथा इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति के साधारण शील या आचरण की और ऐसी बातों की, जो विहित की जाए, जांच कर सकेगा और उन्हें लेखबद्ध कर सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन प्राप्त किया गया साक्ष्य, मौखिक या बल न्यायालय की पुस्तकों या अन्य शासकीय अभिलेखों की प्रविष्टियों के रूप में या उनमें से प्रमाणित उद्धरणों के रूप में हो सकेगा और ऐसे व्यक्ति को, जिसका विचारण किया गया है, विचारण के पूर्व यह सूचना देना आवश्यक नहीं होगा कि उसकी पूर्व दोषसिद्धियों या शील के बारे में साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा।

(3) यदि समरी बल न्यायालय में विचारण करने वाला आफिसर ठीक समझता है तो वह अपराधी के विरुद्ध की गई किन्हीं पूर्व दोषसिद्धियों को, उसके साधारण शील को और ऐसी अन्य बातों को, जो विहित की जाएं, इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन साबित किए जाने की अपेक्षा करने के बदले अपने ज्ञान के रूप में अभिलिखित कर सकेगा।

अभियुक्त का पागलपन।

111. (1) जब कभी बल न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति, जिस पर आरोप है, चित्त-विकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या उसने अभिकथित कार्य किया तो था किन्तु वह चित्त-विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में या यह जानने में कि वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, असमर्थ था, तब न्यायालय तद्नुसार निष्कर्ष लेखबद्ध करेगा।

(2) न्यायालय का पीठासीन आफिसर या समरी बल न्यायालय की दशा में, विचारण करने वाला

आफिसर मामले की रिपोर्ट, यथास्थिति, पुष्टिकर्ता आफिसर को या उस प्राधिकारी को तत्काल करेगा जो उसके निष्कर्ष पर धारा 129 के अधीन कार्यवाही करने के लिए सशक्त है।

(3) यदि पुष्टिकर्ता आफिसर जिसको मामले की रिपोर्ट उपधारा (2) के अधीन की जाती है, निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता है तो वह अभियुक्त व्यक्ति का, ऐसे अपराध के लिए, जिसका उस पर आरोप लगाया गया था, विचारण उसी या किसी अन्य बल न्यायालय द्वारा कराने के लिए कार्यवाही कर सकेगा।

(4) वह प्राधिकारी, जिसको समरी बल न्यायालय के निष्कर्ष की रिपोर्ट उपधारा (2) के अधीन की जाती है और पुष्टिकर्ता आफिसर जो ऐसे मामले में, जिसकी रिपोर्ट उसको की गई है, निष्कर्ष की पुष्टि करता है, अभियुक्त व्यक्ति को विहित रीति से अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश देगा तथा मामले की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के आदेशों के लिए करेगा।

(5) उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार अभियुक्त व्यक्ति को किसी पागलखाने में या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य उपयुक्त स्थान में निरुद्ध किए जाने का आदेश दे सकेगी।

पागल अभियुक्त का आगे चल कर विचारण के लिए उपयुक्त हो जाना।

112. जहां कोई अभियुक्त व्यक्ति चित्त-विकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ पाए जाने पर, धारा 111 के अधीन अभिरक्षा या निरोध में है, वहां इस निमित्त विहित कोई आफिसर—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति धारा 111 की उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में है तो किसी चिकित्सीय आफिसर की इस रिपोर्ट पर कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, या

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति धारा 111 की उपधारा (5) के अधीन किसी जेल में निरुद्ध है तो कारागार महानिरीक्षक के इस प्रमाणपत्र पर और यदि ऐसा व्यक्ति उक्त उपधारा के अधीन किसी पागलखाने में निरुद्ध है तो उस पागलखाने के किन्हीं दो या अधिक परिदर्शकों के इस प्रमाणपत्र पर और यदि उस उपधारा के अधीन वह किसी अन्य स्थान में निरुद्ध है तो विहित प्राधिकारी के इस प्रमाणपत्र पर कि वह अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है,

उस व्यक्ति का विचारण उस अपराध के लिए, जिसका आरोप उस पर मूलत: लगाया गया था, उसी या किसी अन्य बल न्यायालय द्वारा या यदि अपराध सिविल अपराध है तो दंड न्यायालय द्वारा, कराने के लिए कार्रवाई कर सकेगा।

धारा 112 के अधीन आदेशों का केन्द्रीय सरकार को परिषेण।

113. अभियुक्त के विचारण के लिए किसी आफिसर द्वारा धारा 112 के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को तत्काल भेजी जाएगी।

पागल अभियुक्त की निर्मुक्ति।

114. जहां कोई व्यक्ति धारा 111 की उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में है या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन निरोध में है वहां,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति उक्त उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में है, किसी चिकित्सीय आफिसर की ऐसी रिपोर्ट पर या;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति उक्त उपधारा (5) के अधीन निरोध में है तो धारा 112 के खंड (ख) में वर्णित किसी प्राधिकारी के ऐसे प्रमाणपत्र पर कि उस आफिसर या प्राधिकारी के विचार में ऐसे व्यक्ति की निर्मुक्ति उसके स्वयं अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के संकट के बिना की जा सकती है,

केन्द्रीय सरकार यह आदेश दे सकेगी कि ऐसे व्यक्ति को निर्मुक्त कर दिया जाए या अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जाए या यदि उसे पहले ही किसी ऐसे लोक पागलखाने में नहीं भेज दिया गया है तो उसे ऐसे लोक पागलखाने में अंतरित कर दिया जाए।

पागल अभियुक्त का उसके नातेदारों को परिदत्त किया जाना।

115. जहां ऐसे व्यक्ति का, जो धारा 111 की उपधारा (4) के अधीन अभिरक्षा में है या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन निरोध में है, कोई नातेदार या मित्र यह चाहता है कि उसे उसकी देखरेख और अभिरक्षा में रखे जाने के लिए परिदत्त कर दिया जाए वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे नातेदार या मित्र आवेदन पर और उस सरकार को समाधानप्रद रूप में ऐसी प्रतिभूति उसके द्वारा दिए जाने पर कि परिदत्त व्यक्ति की समुचित देखरेख की जाएगी और उसे स्वयं अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने से निवारित किया जाएगा, तथा परिदत्त व्यक्ति को ऐसे आफिसर के समक्ष और ऐसे समयों पर और स्थानों पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं,

निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा, ऐसे व्यक्ति को ऐसे नातेदार या मित्र को परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगी।

विचारण के लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश।

116. जब कोई संपत्ति, जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो कोई अपराध करने के लिए उपयोग में लाई गई प्रतीत होती है, किसी बल न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पेश की जाती है तब न्यायालय, विचारण की समाप्ति तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे और यदि संपत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है तो, ऐसा साक्ष्य जो वह आवश्यक समझे, लेखबद्ध करने के पश्चात् उसका विक्रय करने या अन्यथा व्ययनित करने का आदेश दे सकेगा।

जिस संपत्ति के बारे में अपराध किया गया है उसके व्ययन के लिए आदेश।

117. (1) किसी बल न्यायालय के समक्ष विचारण की समाप्ति के पश्चात्, वह न्यायालय या उस बल न्यायालय के निष्कर्ष या दंडादेश की पुष्टि करने वाला आफिसर या ऐसे आफिसर से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी या, ऐसे समरी बल न्यायालय की दशा में, जिसके निष्कर्ष या दंडादेश की पुष्टि अपेक्षित नहीं है, ऐसा आफिसर जो उस अपर उप महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है जिसके समादेश के अधीन विचारण किया गया था, ऐसी किसी संपत्ति या उस दस्तावेज को, जो उस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है या उसकी अभिरक्षा में है या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो कोई अपराध करने के लिए प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिहरण करके, ऐसे किसी व्यक्ति को परिदत्त करके जो उसके कब्जे का हकदार होने का दावा करता है या अन्यथा व्ययनित करने के लिए ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश ऐसी संपत्ति के बारे में किया गया है, जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है वहां आदेश करने वाले प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित उस आदेश की प्रति, चाहे विचारण भारत के भीतर हुआ हो या नहीं, ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकेगी, जिसकी अधिकारिता में वह संपत्ति उस समय स्थित है और तब वह मजिस्ट्रेट उस आदेश को ऐसे कार्यान्वित कराएगा मानो वह उसके द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अधीन पारित आदेश हो। 1974 का 2

(3) इस धारा में, "संपत्ति" शब्द के अंतर्गत, उस संपत्ति की दशा में जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है, न केवल वह संपत्ति आती है जो मूलत: किसी व्यक्ति के कब्जे में या नियंत्रण में रही है बल्कि वह संपत्ति भी आती है जिसमें या जिसके बदले में उसका संपरिवर्तन या विनिमय किया गया है, और वह सब कुछ आता है जो ऐसे संपरिवर्तन या विनिमय द्वारा तुरंत या अन्यथा अर्जित किया गया है।

इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के संबंध में बल न्यायालय की शक्तियां।

118. बल न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया कोई विचारण, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के भीतर न्यायिक कार्यवाही समझा जाएगा और बल न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के अर्थ के भीतर न्यायालय समझा जाएगा। 1860 का 45 1974 का 2

सह-अपराधी को क्षमादान।

119. (1) किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में यह अनुमान है कि इस अधिनियम के अधीन वह समरी बल न्यायालय से भिन्न किसी बल न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है या संसर्गी है, कमान आफिसर, संयोजक आफिसर या बल न्यायालय अपराध के अन्वेषण या जांच या विचारण के किसी प्रक्रम में ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमादान कर सकेगा कि वह अपराध के संबंध में और उसके किए जाने में चाहे कर्ता या दुष्प्रेरक के रूप में संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में ऐसी सभी परिस्थितियों का, जिनकी उसे जानकारी हो, पूर्ण और सत्य प्रकटन कर दे।

(2) कमान आफिसर या संयोजक आफिसर, जो उपधारा (1) के अधीन क्षमादान करता है,—

(क) ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा;

(ख) यह लेखबद्ध करेगा कि क्या क्षमादान उस व्यक्ति द्वारा, जिसको वह किया गया था, स्वीकार कर लिया गया था या नहीं, और अभियुक्त द्वारा आवेदन किए जाने पर उसे ऐसे अभिलेख की एक प्रति नि:शुल्क देगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किए गए क्षमादान को स्वीकार करने वाले—

(क) प्रत्येक व्यक्ति की अभियुक्त के कमान आफिसर द्वारा और पश्चात्वर्ती विचारण में, यदि कोई हो, साक्षी के रूप में परीक्षा की जाएगी;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को विचारण खत्म होने तक बल अभिरक्षा में निरुद्ध रखा जा सकेगा।

क्षमादान की शर्तों का अनुपालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण।

120. (1) जहां, किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिसने धारा 119 के अधीन किए गए क्षमादान को स्वीकार कर लिया है, यथास्थिति, जज अटर्नी जनरल या उप-जज अटर्नी जनरल या अपर जज अटर्नी जनरल या धारा 95 के अधीन अनुमोदित आफिसर यह प्रमाणित करता है कि उसकी राय में ऐसे व्यक्ति ने किसी आवश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उन शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, जिन पर क्षमादान किया गया था, वहां ऐसे व्यक्ति का, उस अपराध के लिए, जिसके संबंध में इस प्रकार क्षमादान किया गया था या किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए, जिसका वह उसी मामले के संबंध में दोषी प्रतीत होता है, और मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध के लिए भी विचारण किया जा सकेगा:

परंतु किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण किसी भी अन्य अभियुक्त के साथ संयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा।

(2) क्षमादान स्वीकार करने वाले ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए और उसके कमान आफिसर द्वारा या बल न्यायालय द्वारा लेखबद्ध किए गए किसी कथन को ऐसे विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिया जा सकेगा।

(3) ऐसे विचारण में, अभियुक्त यह अभिवचन करने का हकदार होगा कि उसने उन शर्तों का अनुपालन कर दिया है, जिन पर उसे ऐसा क्षमादान किया गया था, और तब यह साबित करना अभियोजन का काम होगा कि शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया है।

(4) ऐसे विचारण के समय बल न्यायालय, दोषारोपण के पूर्व, अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह यह अभिवाक् करता है कि उसने उन शर्तों का अनुपालन किया है, जिन पर क्षमादान किया गया था।

(5) यदि अभियुक्त इस प्रकार अभिवचन करता है तो न्यायालय उस अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और विचारण के लिए अग्रसर होगा तथा वह आरोप पर अपने निष्कर्ष देने के पूर्व, यह निष्कर्ष निकालेगा कि अभियुक्त ने क्षमा की शर्तों का अनुपालन किया है या नहीं और यदि वह यह निष्कर्ष निकालता है कि उसने ऐसा अनुपालन किया है तो वह दोषी न होने का अधिमत देगा।

अध्याय 9

कार्यवाहियों की पुष्टि और पुनरीक्षण

निष्कर्ष और दंडादेश तभी विधिमान्य होगा जब उसकी पुष्टि कर दी जाए।

121. किसी जनरल बल न्यायालय या पैटी बल न्यायालय का कोई भी निष्कर्ष या दंडादेश वहां तक ही विधिमान्य होगा, जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पुष्ट कर दिया जाता है।

जनरल बल न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश की पुष्टि करने की शक्ति।

122. केन्द्रीय सरकार या कोई ऐसा आफिसर, जो केन्द्रीय सरकार के अधिपत्र द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, जनरल बल न्यायालयों के निष्कर्षों और दंडादेशों की पुष्टि कर सकेगा।

पैटी बल न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश की पुष्टि करने की शक्ति।

123. जनरल बल न्यायालय को संयोजित करने की शक्ति रखने वाला आफिसर या कोई ऐसा आफिसर जो ऐसे आफिसर के अधिपत्र द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, पैटी बल न्यायालयों के निष्कर्षों और दंडादेशों की पुष्टि कर सकेगा।

पुष्टिकर्ता प्राधिकारी की शक्तियों की परिसीमा।

124. धारा 122 या धारा 123 के अधीन निकाले गए अधिपत्र में ऐसे निर्बंधन, प्रतिबंध या शर्तें हो सकेंगी, जिन्हें उसे निकालने वाला प्राधिकारी ठीक समझे।

दंडादेशों में कमी करने, उनका परिहार करने या उनका लघुकरण करने की पुष्टिकर्ता प्राधिकारी की शक्ति।

125. ऐसे निर्बंधनों, प्रतिबंधों या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो धारा 122 या धारा 123 के अधीन निकाले गए किसी अधिपत्र में है, पुष्टिकर्ता प्राधिकारी किसी बल न्यायालय के दंडादेश की पुष्टि करते समय उस दंड में, जो उसके द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है, कमी कर सकेगा या उसका परिहार कर सकेगा या उस दंड को धारा 51 में अधिकथित मापमान में के निम्नतर दंड या दंडों में लघुकृत कर सकेगा।

पोत के फलक पर के निष्कर्षों और दंडादेशों का पुष्ट किया जाना।

126. जब किसी व्यक्ति का, जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी बल न्यायालय द्वारा उस समय विचारण किया गया है और उसे दंडादिष्ट किया गया है जब कि वह किसी पोत के फलक पर है तब निष्कर्ष और दंडादेश, जहां तक कि पोत पर उसे पुष्ट और निष्पादित न किया गया हो, ऐसी रीति से पुष्ट और निष्पादित किया जा सकेगा मानो ऐसे व्यक्ति का विचारण उसके उतरने के पत्तन पर किया गया हो।

निष्कर्ष या दंडादेश का पुनरीक्षण।

127. (1) बल न्यायालय का निष्कर्ष या दंडादेश, जिसकी पुष्टि अपेक्षित है, पुष्टिकर्ता आफिसर के आदेश से एक बार पुनरीक्षित किया जा सकेगा और ऐसे पुनरीक्षण पर न्यायालय यदि वह पुष्टिकर्ता आफिसर द्वारा ऐसा करने के लिए निदेशित किया गया है तो, अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा।

(2) पुनरीक्षण पर, न्यायालय उन्हीं आफिसरों से, जो उस समय उपस्थित थे जब मूल विनिश्चय पारित किया गया था, मिलकर गठित होगा जब तब कि उन आफिसरों में से कोई अपरिवर्जनीय रूप से अनुपस्थित न हो।

(3) ऐसी अपरिवर्जनीय अनुपस्थिति की दशा में उसका हेतुक कार्यवाहियों में सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा और न्यायालय पुनरीक्षण करने के लिए अग्रसर होगा, परंतु साधारण बल न्यायालय की दशा में यह पांच आफिसरों से और पैटी बल न्यायालय की दशा में, तीन आफिसरों से मिलकर, गठित होगा।

समरी बल न्यायालय का निष्कर्ष और दंडादेश।

128. समरी बल न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश की पुष्टि अपेक्षित नहीं होगी, किन्तु उसे तत्काल कार्यान्वित किया जा सकेगा।

समरी बल न्यायालय की कार्यवाहियों का पारेषण।

129. प्रत्येक समरी बल न्यायालय की कार्यवाहियां उस आफिसर को, जो उस अपर उप महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है जिसके समादेश के अधीन विचारण किया गया था, या विहित आफिसर को अविलंब भेजी जाएंगी और ऐसा आफिसर या महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई आफिसर, मामले के गुणागुण पर आधारित कारणों से, न कि केवल तकनीकी आधारों पर कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा या उस दंडादेश को किसी अन्य ऐसे दंडादेश तक घटा सकेगा जो वह न्यायालय पारित कर सकता था।

कुछ मामलों में निष्कर्ष या दंडादेश का परिवर्तित किया जाना।

130. (1) जहां किसी बल न्यायालय द्वारा दोषी होने का ऐसा निष्कर्ष, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है या जिसकी पुष्टि होनी अपेक्षित नहीं है, किसी कारण से अविधिमान्य पाया जाता है या साक्ष्य से उसका समर्थन नहीं होता है वहां वह प्राधिकारी जिसे, यदि निष्कर्ष विधिमान्य होता तो, दंडादेश द्वारा अधिनिर्णीत दंड को लघुकृत करने की शक्ति धारा 142 के अधीन होती, नया निष्कर्ष प्रतिस्थापित कर सकेगा और ऐसे निष्कर्ष में विनिर्दिष्ट या अन्तर्वलित अपराध के लिए दंडादेश पारित कर सकेगा:

परंतु ऐसा कोई प्रतिस्थापन तभी किया जाएगा जब बल न्यायालय द्वारा उस आरोप पर ऐसा निष्कर्ष विधिमान्यतया दिया जा सकता था और जब यह प्रतीत हो कि उक्त अपराध साबित करने वाले तथ्यों के बारे में बल न्यायालय का समाधान अवश्य हो गया है।

(2) जहां बल न्यायालय द्वारा पारित ऐसा दंडादेश जिसकी पुष्टि की जा चुकी है या जिसकी पुष्टि होनी अपेक्षित नहीं है, किन्तु जो उपधारा (1) के अधीन प्रतिस्थापित नए निष्कर्ष के अनुसरण में पारित दंडादेश नहीं हैं, किसी कारण से अविधिमान्य पाया जाता है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी विधिमान्य दंडादेश पारित कर सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन पारित दंडादेश द्वारा अधिनिर्णीत दंड, दंडों के मापमान में उस दंड से उच्चतर नहीं होगा और न उस दंड से अधिक होगा जो उस दंडादेश द्वारा अधिनिर्णीत किया गया है, जिसके लिए इस धारा के अधीन नया दंडादेश प्रतिस्थापित किया गया है।

(4) इस धारा के अधीन प्रतिस्थापित कोई निष्कर्ष या पारित कोई दंडादेश इस अधिनियम और नियमों के प्रयोजनों के लिए, ऐसे प्रभावी होगा मानो वह किसी बल न्यायालय का, यथास्थिति, निष्कर्ष या दंडादेश हो।

बल न्यायालय के आदेश, निष्कर्ष या दंडादेश के विरुद्ध याचिका।

131. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो किसी बल न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश से अपने को व्यथित समझता है, उस आफिसर या प्राधिकारी को, जो उस बल न्यायालय के किसी निष्कर्ष या दंडादेश की पुष्टि करने के लिए सशक्त किया गया है अर्जी दे सकेगा और पुष्टिकर्ता प्राधिकारी, पारित आदेश की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में या जिस कार्यवाही से वह आदेश संबद्ध है, उसकी नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के लिए ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाए।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है और जो किसी बल न्यायालय के ऐसे निष्कर्ष या दंडादेश से, जिसकी पुष्टि की जा चुकी है, अपने को व्यथित समझता है, केन्द्रीय सरकार, महानिदेशक या समादेश में उस आफिसर से, जिसने उस निष्कर्ष या दंडादेश की पुष्टि की है, वरिष्ठ किसी विहित आफिसर को अर्जी दे सकेगा, और यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, महानिदेशक या विहित आफिसर उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

कार्यवाहियों का बातिल किया जाना।

132. केन्द्रीय सरकार, महानिदेशक या कोई विहित आफिसर किसी बल न्यायालय की कार्यवाहियों को इस आधार पर बातिल कर सकेगा कि वे अवैध या अन्यायपूर्ण हैं।

अध्याय 10

दंडादेशों का निष्पादन, क्षमा, परिहार, आदि

मृत्यु दंडादेश का निष्पादन।

133. बल न्यायालय, मृत्यु दंडादेश का निष्पादन करने में स्वविवेकानुसार यह निदेश देगा कि अपराधी की मृत्यु ऐसे घटित की जाए कि जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, तब तक उसे गर्दन में फांसी लगाकर लटकाए रखा जाए, या उसे गोली से मार दिया जाए।

कारावास के दंडादेश का प्रारंभ।

134. जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी बल न्यायालय द्वारा कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है तब उसके दंडादेश की अवधि, चाहे उसे पुनरीक्षित किया गया हो या नहीं, उस दिन प्रारंभ हुई मानी जाएगी जिस दिन मूल कार्यवाही पीठासीन आफिसर द्वारा या समरी बल न्यायालय की दशा में, उस न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित की गई थी:

परंतु यदि, ऐसे किन्हीं कारणों से जो कमान आफिसर या वरिष्ठ आफिसर के नियंत्रण से बाहर हों, कारावास का दंडादेश पूर्णत: या भागत: निष्पादित नहीं किया जा सकता है तो सिद्धदोष व्यक्ति, यथास्थिति, दंडादेश का संपूर्ण या अनवसित भाग उस समय भोगने के दायित्व के अधीन होगा, जब उसे कार्यान्वित करना संभव हो:

परंतु यह और कि ऐसे मामले के, जिसमें उसे दंडादिष्ट किया जाता है, अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और ऐसी तारीख के पूर्व, जिसको मूल कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, किसी अभियुक्त व्यक्ति द्वारा भोगे गए, यदि कोई हो, निरोध या परिरोध की अवधि का उसके दंडादेश की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति का कारावास में जाने का दायित्व उसके दंडादेश की अवधि के शेष भाग तक, यदि कोई हो, निर्बन्धित किया जाएगा।

कारावास के दंडादेश का निष्पादन।

135. (1) जब किसी कारावास का कोई दंडादेश बल न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित किया जाता है या जब कभी मृत्यु दंडादेश को कारावास में लघुकृत किया जाता है तब पुष्टिकर्ता आफिसर या समरी बल न्यायालय की दशा में न्यायालय अधिविष्ठ करने वाला आफिसर, या ऐसा अन्य आफिसर, जो विहित किया जाए, उपधारा (3) और उपधारा (4) में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, यह निदेश देगा कि दंडादेश किसी सिविल कारागार में परिरोध द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

(2) जब कोई निर्देश उपधारा (1) के अधीन दिया गया है तब दंडादिष्ट व्यक्ति का कमान आफिसर या ऐसा अन्य आफिसर, जो विहित किया जाए उस कारागार के भारसाधक आफिसर को, जिसमें ऐसे व्यक्ति को परिरुद्ध किया जाना है, विहित प्ररूप में वारंट भेजेगा और वारंट के साथ उसे उस कारागार को भेजे जाने की व्यवस्था करेगा।

(3) तीन मास से अनधिक की अवधि के कारावास के और बल न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित कारावास के दंडादेश की दशा में, उपधारा (1) के अधीन समुचित आफिसर निदेश दे सकेगा कि दंडादेश किसी सिविल कारागार के बजाय बल अभिरक्षा में परिरोध करके कार्यान्वित किया जाए।

(4) सक्रिय ड्यूटी की दशा में, कारावास का दंडादेश ऐसे स्थान में परिरोध करके कार्यान्वित किया जा सकेगा जिसे वह आफिसर जो अपर उप-महानिदेशक के रैंक से नीचे का नहीं है, जिसके समादेश के अधीन दंडादिष्ट व्यक्ति सेवारत है या कोई विहित आफिसर समय-समय पर नियत करे।

सिद्धदोष व्यक्ति की अस्थायी अभिरक्षा।

136. जहां यह निदेश दिया जाता है कि कारावास का दंडादेश सिविल कारागार में भोगा जाए वहां सिद्धदोष व्यक्ति को उस समय तक, जब तक कि उसे किसी सिविल कारागार में भेजना संभव नहीं है, बल अभिरक्षा में या किसी अन्य उचित स्थान में रखा जा सकेगा।

विशेष मामलों में कारावास के दंडादेश का निष्पादन।

137. जब कभी किसी ऐसे आफिसर की राय में, जो उस अपर उप-महानिरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है, जिसके समादेश के अधीन विचारण किया गया है, कारावास का कोई दंडादेश या कारावास के दंडादेश का कोई भाग धारा 135 के उपबंधों के अनुसार बल अभिरक्षा में विशेष कारणों से सुविधापूर्वक कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है तब ऐसा आफिसर निदेश दे सकेगा कि वह दंडादेश या उस दंडादेश का वह भाग किसी सिविल कारागार या अन्य उचित स्थान में परिरोध करके कार्यान्वित किया जाए।

कैदी का एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवहण।

138. जो व्यक्ति कारावास के दंडादेश, के अधीन है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान को अपने प्रवहण के दौरान या जब वह पोत या वायुयान के फलक पर या अन्यथा है, ऐसे अवरोध के अधीन होगा, जो उसके सुरक्षित रूप से ले जाए जाने और वहां से हटाए जाने के लिए आवश्यक है।

कुछ आदेशों का कारागार आफिसरों को संसूचित किया जाना।

139. जब कभी किसी ऐसे दंडादेश, आदेश या वारंट को, जिसके अधीन कोई व्यक्ति सिविल कारागार में परिरुद्ध है, अपास्त करने या उसमें फेरफार करने का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से किया जाता है, तब ऐसे आदेश के अनुसार एक वारंट ऐसा आदेश करने वाले आफिसर या उसके स्टाफ आफिसर या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जो विहित किया जाए, उस कारागार के भारसाधक आफिसर को भेजा जाएगा, जिसमें वह व्यक्ति परिरुद्ध है।

जुर्माने की वसूली।

140. जब जुर्माने का दंडादेश बल न्यायालय द्वारा धारा 49 के अधीन अधिरोपित किया जाता है तब ऐसे दंडादेश की पुष्टिकर्ता आफिसर द्वारा या जहां ऐसी कोई पुष्टि अपेक्षित नहीं है, वहां विचारण करने वाले आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और प्रमाणित, एक प्रति भारत में किसी मजिस्ट्रेट को भेजी जा सकेगी और वह मजिस्ट्रेट तब उस जुर्माने को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबधों के अनुसार ऐसे वसूल कराएगा मानो वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित जुर्माने का दंडादेश हो। 1974 का 2

आदेश या वारंट में अप्ररूपिता या गलती।

141. जब कभी किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है और वह उस दंडादेश को किसी ऐसे स्थान में या रीति से भोग रहा है, जिसमें वह इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विधिपूर्ण आदेश या वारंट के अधीन परिरुद्ध किया जा सकता है तब ऐसे व्यक्ति का परिरोध केवल इस कारण अवैध नहीं समझा जाएगा कि उस आदेश, वारंट या अन्य दस्तावेज या उस प्राधिकार में या उसके संबंध में जिसके द्वारा या जिसके अनुसरण में वह व्यक्ति ऐसे स्थान में लाया गया था या परिरुद्ध है, कोई अप्ररूपिता या गलती है और ऐसे किसी आदेश, वारंट या दस्तावेज में, तद्नुसार संशोधन किया जा सकेगा।

क्षमा और परिहार।

142. जब किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, बल न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है तब केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक या ऐसे दंडादेश की दशा में, जिसे वह पुष्ट कर सकता था या जिसकी पुष्टि अपेक्षित नहीं थी, ऐसा आफिसर, जो उस उपमहानिरीक्षक के रैंक से नीचे का नहीं है, जिसके समादेश के अधीन वह व्यक्ति, सिद्धदोष ठहराए जाने के समय सेवारत था या विहित आफिसर,—

(क) या तो उन शर्तों के सहित या उनके बिना जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करता है, उस व्यक्ति को क्षमा कर सकेगा या अधिनिर्णीत संपूर्ण दंड या उसके किसी भाग का परिहार कर सकेगा; या

(ख) अधिनिर्णीत दंड में कमी कर सकेगा; या

(ग) ऐसे दंड को इस अधिनियम में वर्णित किसी लघुतर दंड या दंडों में लघुकृत कर सकेगा; या

(घ) या तो उन शर्तों के सहित या उनके बिना जिन्हें दंडादिष्ट व्यक्ति स्वीकार करता है, उस व्यक्ति को परोल पर निर्मुक्त कर सकेगा।

सशर्त क्षमा, परोल पर निर्मुक्ति या परिहार का रद्दकरण।

143. (1) यदि कोई शर्त, जिस पर किसी व्यक्ति को क्षमा या परोल पर निर्मुक्त किया गया है या जिस पर किसी दंड का परिहार किया गया है उस प्राधिकारी की राय में जिसने क्षमा, निर्मुक्ति या परिहार अनुदत्त किया था, पूरी नहीं की गई है तो ऐसा प्राधिकारी उस क्षमा, निर्मुक्ति या परिहार को रद्द कर सकेगा और तब न्यायालय का दंडादेश ऐसे क्रियान्वित किया जाएगा मानो ऐसी क्षमा, निर्मुक्ति या परिहार अनुदत्त नहीं किया गया हो।

(2) वह व्यक्ति, जिसके कारावास का दंडादेश उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन कार्यान्वित किया जाता है, अपने ऐसे दंडादेश का केवल अनवसित भाग ही भोगेगा।

कारावास के दंडादेश का निलंबन।

144. (1) जहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के अधीन है, किसी बल न्यायालय द्वारा कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार, महानिदेशक या जनरल बल न्यायालय संयोजित करने के लिए सशक्त कोई आफिसर दंडादेश को निलंबित कर सकेगा, चाहे अपराधी को कारागार के या बल अभिरक्षा के सुपुर्द पहले ही कर दिया गया हो या नहीं।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर, ऐसे दंडादिष्ट अपराधी की दशा में निदेश दे सकेगा कि जब तक ऐसे प्राधिकारी या आफिसर के आदेश अभिप्राप्त न कर लिए जाएं तब तक अपराधी को कारागार के या बल अभिरक्षा के सुपुर्द नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे दंडादेश की दशा में किया जा सकेगा, जिसकी पुष्टि कर दी गई है या जो घटा दिया गया है या लघुकृत कर दिया गया है।

आदेश के लंबित रहने तक दंडादेश का निलंबन।

145. (1) जहां धारा 144 में निर्दिष्ट दंडादेश, समरी बल न्यायालय से भिन्न बल न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाता है, वहां पुष्टिकर्ता आफिसर दंडादेश की पुष्टि करते समय निदेश दे सकेगा कि अपराधी को कारागार के या बल अभिरक्षा के सुपुर्द तब तक न किया जाए जब तक कि धारा 144 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर के आदेश अभिप्राप्त न कर लिए जाएं।

(2) जहां कारावास का दंडादेश किसी समरी बल न्यायालय द्वारा अधिरोपित किया जाता है, वहां विचारण करने वाला आफिसर उपधारा (1) में निर्दिष्ट निदेश दे सकेगा।

दण्डादेश के निलंबन पर निर्मुक्ति।

146. जहां कोई दंडादेश धारा 144 के अधीन निलंबित किया जाता है, वहां अपराधी को अभिरक्षा से तत्काल निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

दण्डादेश की अवधि की संगणना।

147. वह अवधि, जिसके दौरान दंडादेश निलंबित है, उस दंडादेश की अवधि का भाग मानी जाएगी।

दण्डादेश के निलंबन के पश्चात् आदेश।

148. धारा 144 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर किसी भी समय, जब दंडादेश निलंबित है, आदेश कर सकेगा कि—

(क) अपराधी उस दंडादेश के अनवसित भाग को भोगने के लिए सुपुर्द किया जाए; या

(ख) दंडादेश का परिहार किया जाए।

दण्डादेश के निलंबन के पश्चात् मामले पर पुनर्विचार।

149. (1) जहां कोई दंडादेश निलंबित किया गया है, वहां धारा 144 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी ऐसे प्राधिकारी या आफिसर द्वारा, जो अपर उप-महानिरीक्षक की रैंक से नीचे का नहीं है, मामले पर पुनर्विचार किसी भी समय किया जा सकेगा और चार मास से अनधिक के अंतरालों पर किया जाएगा।

(2) जहां ऐसे प्राधिकृत आफिसर को ऐसे पुनर्विचार पर यह प्रतीत होता है कि अपराधी का आचरण उसको सिद्धदोष ठहराए जाने के समय से ही ऐसा रहा है तो दंडादेश का परिहार करना न्यायोचित होगा, वहां वह मामले को धारा 144 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर को निर्देशित करेगा।

निलंबन के पश्चात् नया दंडादेश।

150. जहां किसी अपराधी को, उस समय के दौरान जब उसका दंडादेश इस अधिनियम के अधीन निलंबित है, किसी अन्य अपराध के लिए दंडादिष्ट किया जाता है वहां—

(क) यदि अतिरिक्त दंडादेश भी इस अधिनियम के अधीन निलंबित किया जाता है तो, वे दोनों दंडादेश साथ-साथ भोगे जाएंगे;

(ख) यदि अतिरिक्त दंडादेश, तीन मास या उससे अधिक की अवधि के लिए है और वह इस अधिनियम के अधीन निलंबित नहीं किया जाता है तो अपराधी पूर्व दंडादेश के अनवसित भाग के लिए भी कारागार के या बल की अभिरक्षा के सुपुर्द किया जाएगा, किन्तु दोनों दंडादेश साथ-साथ भोगे जाएंगे; और

(ग) यदि अतिरिक्त दंडादेश तीन मास से कम की अवधि के लिए है और वह इस अधिनियम के अधीन निलंबित नहीं किया जाता है तो अपराधी केवल उसी दंडादेश पर ऐसे सुपुर्द किया जाएगा और पूर्व दंडादेश, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, निलंबित बना रहेगा, जो धारा 148 या धारा 149 के अधीन पारित किया जाए।

दण्डादेश के निलंबन की शक्ति की परिधि।

151. धारा 144 और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियां, कमी करने, परिहार करने और लघुकरण की शक्ति के अतिरिक्त होंगी, न कि उसके अल्पीकरण में।

दण्डादेश के निलंबन और परिहार का पदच्युति पर प्रभाव।

152. (1) जहां किसी अन्य दंडादेश के अतिरिक्त पदच्युति का दंड बल न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत किया जाता है और ऐसा अन्य दंडादेश, धारा 144 के अधीन निलंबित किया जाता है, वहां ऐसी पदच्युति तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि धारा 144 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या आफिसर द्वारा वैसा आदेश नहीं किया जाता है।

(2) यदि ऐसे अन्य दंडादेश का धारा 148 के अधीन परिहार किया जाता है, तो पदच्युति के दंड का भी परिहार कर दिया जाएगा।

अध्याय 11

प्रकीर्ण

बल के सदस्यों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियां और उन पर अधिरोपित किए जा सकने वाले कर्तव्य।

153. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, बल का कोई सदस्य किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन ऐसी शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा, जो उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथा जो शक्तियां और कर्तव्य ऐसे हैं, जिनका उक्त प्रयोजनों के लिए प्रयोग या निर्वहन करने के लिए, केन्द्रीय सरकार की राय में, ऐसे केन्द्रीय अधिनियम द्वारा तत्समान या निम्नतर रैंक के आफिसर को सशक्त किया गया है।

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण या विशेष आदेश द्वारा संबंधित राज्य सरकार की सहमति से ऐसी कोई शक्ति या कर्तव्य, जिनका प्रयोग या निर्वहन किसी पुलिस आफिसर द्वारा राज्य के किसी अधिनियम के अधीन किया जा सकता है, बल के किसी ऐसे सदस्य को, जो केन्द्रीय सरकार की राय में, तत्समान या उससे उच्चतर रैंक का है, प्रदत्त या उस पर अधिरोपित कर सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह आदेश नहीं निकाला जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बल के सदस्यों के कार्यों के लिए संरक्षण।

154. (1) किसी सक्षम प्राधिकारी के वारंट या आदेश के अनुसरण में बल के किसी सदस्य द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए, उनके विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही में उसके लिए यह अभिवचन करना विधिपूर्ण होगा कि उसने ऐसा कार्य ऐसे वारंट या आदेश के प्राधिकार के अधीन किया था।

(2) ऐसा कोई अभिवचन उस कार्य या निदेश देने वाले वारन्ट या आदेश को पेश करके साबित किया जा सकेगा और यदि उसे इस प्रकार साबित कर दिया जाता है तो बल के सदस्य को, उसके द्वारा इस प्रकार किए गए कार्य से संबंधित दायित्व से उस प्राधिकारी की अधिकारिता में, जिसने ऐसा वारंट या आदेश जारी किया है, कोई त्रुटि होते हुए भी उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई विधिक कार्यवाही (चाहे सिविल हो या दांडिक), जो बल के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम या नियमों के किसी उपबंध द्वारा या उसके अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों के अधीन की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए विधिपूर्वक लाई जाए, उस कार्य के, जिसकी शिकायत की गई है, किए जाने के पश्चात् तीन मास के भीतर प्रारंभ की जाएगी,

अन्यथा नहीं और ऐसी कार्यवाही की और उसके हेतुक की लिखित सूचना प्रतिवादी को या उसके वरिष्ठ प्राधिकारी को ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ के कम से कम एक मास पूर्व दी जाएगी।

नियम बनाने की शक्ति।

155. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के अधीन बल के गठन की रीति, बल के सदस्यों की भर्ती और सेवा की शर्तें;

(ख) धारा 5 के अधीन बल का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण;

(ग) धारा 6 के अधीन बल में अभ्यावेशित किए जाने वाले व्यक्ति, अभ्यावेशन की रीति और इसकी प्रक्रिया;

(घ) ऐसा प्राधिकारी, जिसे धारा 8 के अधीन त्यागपत्र प्रस्तुत किया जाना है और जिससे कर्तव्य से अलग होने की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जानी है;

(ङ) व्यक्तियों का धारा 10 और धारा 11 के अधीन पदच्युत किया जाना, हटाया जाना और रैंक में अवनत किया जाना;

(च) वे प्रयोजन और अन्य विषय, जिनका धारा 13 के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है;

(छ) धारा 60 के अधीन अधिरोपित किए जाने वाले जुर्माने की रकम और उसका आपतन;

(ज) धारा 66 के अधीन वेतन और भत्तों से कटौती की रीति और विस्तार तथा उसके लिए प्राधिकार;

(झ) धारा 70 के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने की प्रक्रिया और व्यक्तियों की गिरफ्तारी की रीति और शर्तें;

(ञ) धारा 71 के अधीन बल न्यायालय के संयोजन में विलंब के संबंध में कमान आफिसर द्वारा रिपोर्ट करने की रीति;

(ट) धारा 74 के अधीन जांच न्यायालय नियुक्त करने का प्राधिकार और रीति;

(ठ) धारा 76 के अधीन बल न्यायालयों के संयोजन की रीति;

(ड) वे व्यक्ति, जिनके द्वारा धारा 91 के अधीन किसी अभियुक्त की किसी विचारण में प्रतिरक्षा की जा सकेगी और ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी;

(ढ) धारा 95 के अधीन जज अटर्नी जनरल, उप जज अटर्नी जनरल, अपर जज अटर्नी जनरल और जज अटर्नी की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तें;

(ण) धारा 132 के अधीन बल न्यायालय की कार्यवाहियों को बातिल करने के लिए आफिसर; और

(त) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसके बारे में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा, यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विद्यमान सशस्त्र सीमा बल के संबंध में उपबंध।

156. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान सशस्त्र सीमा बल को इस अधिनियम के अधीन गठित बल समझा जाएगा।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ पर विद्यमान सशस्त्र सीमा बल के सदस्यों को इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, नियुक्त या अभ्यावेशित किया गया समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उपधारा (1) में निर्दिष्ट सशस्त्र सीमा बल के गठन के संबंध में, यथास्थिति, उसमें नियुक्त या अभ्यावेशित किसी व्यक्ति के संबंध में की गई कोई बात या कार्रवाई विधि की दृष्टि में वैसे ही विधिमान्य और प्रभावी होगी मानो वह बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई हो:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसी बात के बारे में, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व उसके द्वारा किया गया है या करने का लोप किया गया है, किसी अपराध के लिए दोषी नहीं बनाएगी।

सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007

(2007 का अधिनियम संख्यांक 55)

[25 दिसम्बर, 2007]

सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों के बारे में कमीशन, नियुक्तियों, अभ्यावेशनों और सेवा की शर्तों की बाबत विवादों और शिकायतों का सशस्त्र बल अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन या विचारण के लिए उपबंध करने तथा उक्त अधिनियमों के अधीन आयोजित सेना न्यायालय के आदेशों, निष्कर्षों या दण्डादेशों से उत्पन्न अपीलों का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

अधिनियम का लागू होना।

1950 का 46
1957 का 62
1950 का 45

2. (1) इस अधिनियम के उपबंध सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन सभी व्यक्तियों को लागू होंगे।

(2) यह अधिनियम, सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 या वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन सेवानिवृत्त कार्मिकों जिनके अंतर्गत उनके आश्रित, वारिस और उत्तरवर्ती भी हैं, जहां तक उनका संबंध उनके सेवा संबंधी मामलों से है, को भी लागू होगा। 1950 का 46 1957 का 62 1950 का 45

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासनिक सदस्य" से अधिकरण का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जो खण्ड (छ) के अर्थान्तर्गत न्यायिक सदस्य नहीं है;

(ख) "आवेदन" से धारा 14 के अधीन किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(ग) "नियत दिन" से, वह तारीख अभिप्रेत है जिससे धारा 4 के अधीन अधिसूचना द्वारा अधिकरण स्थापित होता है;

(घ) "न्यायपीठ" से अधिकरण की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(ङ) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "सेना न्यायालय" से सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन अधिविष्ट सेना न्यायालय अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इस अधिनियम या वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन गठित अनुशासनिक न्यायालय भी है; 1950 का 46 1957 का 62 1950 का 45

(छ) "न्यायिक सदस्य" से अधिकरण का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम के अधीन उस रूप में नियुक्त किया गया है और उसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है, जिसके पास धारा 6 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं में से कोई अर्हता है;

(ज) "सदस्य" से अधिकरण का सदस्य (चाहे न्यायिक या प्रशासनिक) अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है;

(झ) "सैनिक अभिरक्षा" से रक्षा सेवा की परंपराओं के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या उसका परिरोध अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत नौसैनिक या वायु सैनिक अभिरक्षा भी है;

(ञ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ट) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) "राष्ट्रपति" से भारत का राष्ट्रपति अभिप्रेत है;

(ड) "नियमों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(ढ) "सेवा" से भारत के भीतर या भारत से बाहर सेवा अभिप्रेत है;

(ण) सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों के संबंध में "सेवा संबंधी मामलों" से उनकी सेवा-शर्तों से संबंधित सभी मामले अभिप्रेत हैं और उनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:— 1950 का 46 1957 का 62 1950 का 45

(i) पारिश्रमिक (जिसके अंतर्गत भत्ते भी हैं), पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे;

(ii) पदावधि, जिसके अंतर्गत कमीशन, नियुक्ति, अभ्यावेशन, परिवीक्षा, पुष्टि, ज्येष्ठता, प्रशिक्षण, प्रोन्नति, प्रतिवर्तन, समय-पूर्व सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, सेवा समाप्ति और शास्तिक कटौतियां;

(iii) संक्षिप्त निपटारा और विचारण जहां पदच्युति का दंड अधिनिर्णीत किया गया है;

(iv) कोई अन्य विषय, चाहे जो भी हो,

किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित से संबंधित मामले नहीं हैं—

(i) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 18, नौसना अधिनियम, 1957 की धारा 15 की उपधारा (1) और वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 18 के अधीन जारी किए गए आदेश; और 1950 का 46 1957 का 62 1950 का 45

1950 का 46
1957 का 62
1950 का 45

(ii) स्थानांतरण और तैनातियां जिनके अन्तर्गत सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों से संबंधित तैनाती पर स्थान या यूनिट का परिवर्तन भी है चाहे वह व्यष्टिक रूप में या यूनिट घटक या पोत के भाग रूप में हो;

(iii) किसी प्रकार की छुट्टी;

(iv) समरी सेवा न्यायालय, वहां के सिवाय, जहां दंड पदच्युति या तीन मास से अधिक के कारावास का है;

1950 का 46
1957 का 62
1950 का 45

(त) "संक्षिप्त निपटान और विचारण" से सेना अधिनियम, 1950, नौसना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन किया गया संक्षिप्त निपटारा और विचारण अभिप्रेत है;

(थ) "अधिकरण" से धारा 4 के अधीन स्थापित सशस्त्र बल अधिकरण अभिप्रेत है।

अध्याय 2

अधिकरण और उसकी न्यायपीठों की स्थापना

सशस्त्र बल अधिकरण की स्थापना।

4. केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, सशस्त्र बल अधिकरण के नाम से ज्ञात एक अधिकरण की अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करने के लिए स्थापना करेगी।

अधिकरण और उसकी न्यायपीठों की संरचना।

5. (1) अधिकरण, एक अध्यक्ष और उतनी संख्या में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने केन्द्रीय सरकार ठीक समझे और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का उसकी न्यायपीठों द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायपीठ, एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगी।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष—

(क) ऐसी न्यायपीठ के जिसमें उसको नियुक्त किया गया है, न्यायिक सदस्य के कृत्यों का निर्वहन करने के अतिरिक्त, किसी अन्य न्यायपीठ के प्रशासनिक सदस्य के कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा;

(ख) किसी सदस्य को एक न्यायपीठ से किसी अन्य न्यायपीठ में स्थानान्तरित कर सकेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए कि किसी मामले या मामलों का, उनमें अंतर्वलित प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उसकी राय में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन, दो से अधिक सदस्यों से मिलकर बनी न्यायपीठ द्वारा विनिश्चय किया जाना अपेक्षित है, ऐसे साधारण या विशेष आदेश, जो वह ठीक समझे, जारी कर सकेगा:

परन्तु इस खण्ड के अनुसरण में गठित प्रत्येक न्यायपीठ में कम से कम एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण की न्यायपीठों की बैठकें आम तौर पर दिल्ली (जो प्रधान न्यायपीठ के नाम से ज्ञात होगी) में और ऐसे अन्य स्थानों पर होंगी जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विहित करे।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

6. (1) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति हो।

(2) कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अर्हित होगा जब वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है।

(3) कोई व्यक्ति प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा, जब—

(क) उसने सेना में कम से कम तीन वर्ष की कुल अवधि के लिए मेजर जनरल की या उससे ऊपर की रैंक या नौ सेना या वायु सेना में तत्समान रैंक धारण की है या धारण किए हुए है;

(ख) उसने सेना या नौसेना या वायु सेना में कम से कम एक वर्ष के लिए जज एडवोकेट जनरल के रूप में सेवा की है और वह क्रमशः मेजर जनरल, कमोडोर और एयर कमोडोर के रैंक से कम रैंक का नहीं है।''

स्पष्टीकरण—जब सेवारत व्यक्ति को प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे ऐसी नियुक्ति ग्रहण करने से पूर्व सेवा से सेवानिवृत्त होना होगा।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति।

7. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बिना नहीं की जाएगी।

(2) राष्ट्रपति, अधिकरण के एक या अधिक सदस्यों को, यथास्थिति, उसके उपाध्यक्ष या उपाध्यक्षों के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

पदावधि।

8. अध्यक्ष या सदस्य, उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, चार वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु कोई भी अध्यक्ष,—

(क) यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, तो सत्तर वर्ष की आयु; और

(ख) यदि वह किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, तो पैंसठ वर्ष की आयु,

प्राप्त करने के पश्चात् उस हैसियत में पद धारण नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि कोई अन्य सदस्य पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

त्यागपत्र और हटाया जाना।

9. (1) अध्यक्ष या सदस्य, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परंतु अध्यक्ष या सदस्य, जब तक कि उसे राष्ट्रपति द्वारा उससे पहले पद त्याग करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाती है, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास का अवसान होने तक या उसके पदोत्तरवर्ती के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण कर लेने तक या उसकी पदावधि का अवसान होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, अपना पद धारण करता रहेगा।

(2) अध्यक्ष या सदस्य को उसके साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय के किसी आसीन न्यायाधीश द्वारा जांच किए जाने के पश्चात्, जिसमें ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी आदेश से ही हटाया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (2) में निर्दिष्ट अध्यक्ष या अन्य सदस्य के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया को नियमों द्वारा विनियमित कर सकेगी।

अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

10. अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें (जिनके अंतर्गत पेंशन, उपदान और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे भी हैं) वे होंगी जो केन्द्रीय सरकार विहित करे:

परंतु अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी परिवर्तन किए जाएंगे।

अध्यक्ष या सदस्य द्वारा ऐसे अध्यक्ष या सदस्य न रहने पर पद आदि धारण करने का प्रतिषेध।

11. पद पर न रहने पर,—

(क) अध्यक्ष, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन और आगे नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(ख) अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी

अन्य अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा किंतु भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नियोजन का पात्र नहीं होगा;

(ग) अध्यक्ष या अन्य सदस्य, अधिकरण के समक्ष उपसंजात नहीं होगा, कार्य नहीं करेगा या अभिवचन नहीं करेगा।

अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।

12. अध्यक्ष, न्यायपीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं:

परंतु अध्यक्ष को, अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का, जो वह ठीक समझे, अधिकरण के किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को इन शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजन करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय, अध्यक्ष के निदेशन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता रहेगा।

अधिकरण के कर्मचारिवृन्द।

13. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिकरण के कृत्यों के निर्वहन में उसकी सहायता के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्ग अवधारित करेगी और अधिकरण को ऐसे अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो वह ठीक समझे।

(2) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।

(3) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे।

अध्याय 3

अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार

सेवा संबंधी मामलों में अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार।

14. (1) इस अधिनियम में, अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकरण, नियत दिन से ही, सभी न्यायालयों द्वारा (संविधान के अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते समय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सिवाय) सभी सेवा संबंधी मामलों के संबंध में उस दिन से ठीक पूर्व प्रयोक्तव्य सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी सेवा संबंधी मामले के संबंध में किसी आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति अधिकरण को ऐसे प्ररूप में और ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य सहित तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, आवेदन कर सकेगा।

(3) सेवा संबंधी मामलों से संबंधित आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण, यदि सम्यक् जांच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है कि वह उसके द्वारा न्यायनिर्णयन के लिए उपयुक्त है, ऐसे आवेदन को स्वीकार करेगा; किंतु जहां अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह आवेदन को, उसके कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, खारिज कर सकेगा।

(4) किसी आवेदन के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, अधिकरण को निम्नलिखित विषयों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और धारा 124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा करना; 1872 का 1

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(च) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) व्यतिक्रम में किसी आवेदन को खारिज करना या उसका एकपक्षीय रूप से विनिश्चय करना;

(ज) व्यतिक्रम में किसी आवेदन की खारिजी के किसी आदेश या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को अपास्त करना; और

(झ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(5) अधिकरण, विधि और तथ्यों संबंधी दोनों प्रकार के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा जो उसके समक्ष उठाए जाएं।

सेना न्यायालय के विरुद्ध अपील के मामलों में अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार।

15. (1) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिकरण नियत दिन से ही किसी सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, विनिश्चय, निष्कर्ष या दंडादेश के विरुद्ध अपील अथवा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक किसी मामले के संबंध में इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य सभी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करेगा।

(2) सेना न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश, विनिश्चय, निष्कर्ष या दंडादेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसे समय के भीतर जो विहित किए जाएं, अपील कर सकेगा।

(3) अधिकरण को, किसी अपराध के और सेना अभिरक्षा में के किसी अभियुक्त व्यक्ति को ऐसी शर्तों के साथ जो विहित की जाएं या बिना किसी शर्त के, जैसा वह आवश्यक समझे, जमानत प्रदान करने की शक्ति होगी:

परन्तु यदि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हों कि वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का दोषी है तो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति को इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा।

(4) अधिकरण किसी सेना न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील मंजूर करेगा जहां—

(क) सेना न्यायालय का निष्कर्ष किसी कारण से विधिक रूप से कायम रखने योग्य नहीं है; या

(ख) निष्कर्ष में विधि के किसी प्रश्न पर गलत विनिश्चय अन्तर्वलित है; या

(ग) विचारण के दौरान ऐसी तात्त्विक अनियमितता हुई थी जिसके परिणामस्वरूप घोर अन्याय हुआ है,

किन्तु किसी अन्य दशा में, जहां अधिकरण यह समझता है कि अपीलार्थी के साथ घोर अन्याय होने की संभावना नहीं है या इसके परिणामस्वरूप वास्तव में घोर अन्याय नहीं हुआ है वहां अपील खारिज कर सकेगा:

परन्तु अधिकरण द्वारा अपील खारिज करने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा आदेश उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् नहीं किया जाता।

(5) अधिकरण दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील मंजूर कर सकेगा और उस पर समुचित आदेश पारित कर सकेगा।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को,—

(क) सेना न्यायालय के निष्कर्षों के स्थान पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए दोष का निष्कर्ष देने, जिसके लिए अपराधी सेना न्यायालय द्वारा विधिपूर्वक दोषी पाया जा सकता था, और, यथास्थिति, सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 अथवा वायु सेना अधिनियम, 1950 के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट या ऐसे निष्कर्षों में अन्तर्वलित अपराध के लिए नए सिरे से कोई दंडादेश पारित करने की शक्ति होगी; या 1950 का 46 1957 का 62 1950 का 45

(ख) यदि दंडादेश अत्यधिक, अवैध या अनुचित पाया जाता है तो अधिकरण,—

(i) पूरे दंडादेश को या उसके किसी भाग को सशर्त या बिना किसी शर्त के माफ कर सकेगा;

(ii) अधिनिर्णीत दंड को कम कर सकेगा;

1950 का 46
1957 का 62
1950 का 45

(iii) ऐसे दंड का किसी लघु दंड में या, यथास्थिति, सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 में उल्लिखित दंडों में लघुकरण कर सकेगा;

(ग) किसी सेना न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश में वृद्धि कर सकेगा:

परन्तु ऐसे दंडादेश में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो;

(घ) यदि दंडादेश कारावास का है तो अपीलार्थी को सशर्त या बिना किसी शर्त के पैरोल पर छोड़ सकेगा;

(ङ) कारावास के दंडादेश को निलंबित कर सकेगा;

(च) कोई ऐसा अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(7) इस अधिनियम में किसी अन्य उपबंध के होते हुए भी, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अधिकरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 179, धारा 180, धारा 193, धारा 195, धारा 196 या धारा 228 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए दंड न्यायालय समझा जाएगा।

1860 का 45
1974 का 2

पुन: विचारण।

16. (1) इस अधिनियम द्वारा यथाउपबन्धित के सिवाय, जहां किसी अपराध के लिए सेना न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि को अभिखण्डित कर दिया गया है, वहां वह किसी सेना न्यायालय द्वारा या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए पुन: विचारण का भागी नहीं होगा।

(2) अधिकरण को, किसी दोषसिद्धि को अभिखंडित करने, सेना न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का पुन: विचारण किए जाने के लिए प्राधिकृत करने वाला कोई आदेश करने की शक्ति होगी, किन्तु इस शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाएगा जब दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील केवल अधिकरण द्वारा प्राप्त या प्राप्त किए जाने के लिए उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर इस अधिनियम के अधीन मंजूर की जाती है और अधिकरण को ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय के हित में यह अपेक्षित है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाए:

परन्तु अपीलार्थी का निम्नलिखित से भिन्न किसी अपराध के लिए इस धारा के अधीन पुन: विचारण नहीं किया जाएगा—

(क) ऐसा अपराध जिसके लिए उसे मूल सेना न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था और जिसकी बाबत उसकी अपील मंजूर की गई है;

(ख) ऐसा अपराध जिसके लिए प्रथम उल्लिखित अपराध के किसी आरोप के लिए मूल सेना न्यायालय में उसे दोषसिद्ध किया जा सकता था;

(ग) विकल्प के रूप में आरोपित कोई ऐसा अपराध जिसकी बाबत सेना न्यायालय ने प्रथम उल्लिखित अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध करने के परिणामस्वरूप कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं किया है।

(3) किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जिसका किसी अपराध के लिए इस धारा के अधीन पुन: विचारण किया जाना है, यदि अधिकरण या उच्चतम न्यायालय ऐसा निर्देश देता है, चाहे ऐसे व्यक्ति का एक या एक से अधिक मूल आरोपों के लिए विचारण या पुन: विचारण किया जा रहा है या नहीं; उक्त आरोप या आरोपों के संबंध में जिनके लिए उसका विचारण किया जाना है, यथास्थिति, सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 या वायु सेना अधिनियम, 1950 या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के सुसंगत उपबंध के अधीन नए सिरे से कोई अन्वेषण या अन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी।

1950 का 46
1957 का 62
1950 का 45

धारा 15 के अधीन अपील पर अधिकरण की शक्तियां।

17. अधिकरण को, धारा 15 के अधीन अपील की सुनवाई और विनिश्चय करते समय निम्नलिखित शक्तियां होंगी—

(क) सेना न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों या प्रदर्शों को प्रस्तुत करने का आदेश देना;

(ख) साक्षियों को उपस्थित होने का आदेश करना;

(ग) साक्ष्य स्वीकार करना;

(घ) सेना न्यायालय से रिपोर्टें अभिप्राप्त करना;

(ङ) जांच के लिए किसी प्रश्न के प्रतिनिर्देश का आदेश करना;

(च) निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए विशेष विशेषज्ञ ज्ञान वाले किसी व्यक्ति को नियुक्त करना; और

(छ) किसी प्रश्न का अवधारण करना जिसका उक्त मामले में न्याय करने के लिए अवधारित किया जाना आवश्यक है।

खर्च।

18. अधिकरण को, धारा 14 के अधीन आवेदन का या धारा 15 के अधीन अपील का निपटारा करते समय, खर्चे के संबंध में ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो वह न्यायोचित समझे।

अवमानना के लिए दण्ड देने की शक्ति।

19. (1) कोई व्यक्ति, जो अपमानजनक या धमकी युक्त भाषा का प्रयोग करते हुए, या अधिकरण की कार्यवाहियों में कोई अवरोध या विघ्न डालते हुए, अधिकरण के अवमान का दोषी है, दोषसिद्धि पर कारावास का जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, भागी होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के प्रयोजनों के लिए, न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 14, धारा 15, धारा 17, धारा 18 और धारा 20 के उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित इस प्रकार लागू होंगे मानो उनमें— 1971 का 10

(क) उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के प्रति निर्देश अधिकरण के प्रतिनिर्देश है;

(ख) मुख्य न्यायमूर्ति के प्रति निर्देश अध्यक्ष के प्रतिनिर्देश है;

(ग) न्यायाधीश के प्रति निर्देश अधिकरण के न्यायिक या प्रशासनिक सदस्य के प्रतिनिर्देश है;

(घ) एडवोकेट जनरल के प्रति निर्देश अभियोजक के प्रतिनिर्देश है;

(ङ) न्यायालय के प्रति निर्देश अधिकरण के प्रतिनिर्देश है।

न्यायपीठों के बीच कारबार का वितरण।

20. अध्यक्ष, अधिकरण के कारबार का, उसका न्यायपीठों के बीच वितरण करने से संबंधित उपबंध कर सकेगा।

अध्याय 4

प्रक्रिया

अन्य उपचारों के निःशेष हो जाने पर ही आवेदनों का ग्रहण किया जाना।

21. (1) अधिकरण, साधारणतया किसी आवेदन को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि आवेदक ने, यथास्थिति, सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 अथवा वायु सेना अधिनियम, 1950 और उनके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों और विनियमों के अधीन उसे उपलब्ध उपचारों का, उपयोग कर लिया है। 1950 का 46 1957 का 62 1950 का 45

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने सेना अधिनियम, 1950 या नौसेना अधिनियम, 1957 अथवा वायु सेना अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए संबंधित नियमों और विनियमों के अधीन उसे उपलब्ध उपचारों का उपयोग कर लिया है,— 1950 का 46 1957 का 62 1950 का 45

(क) यदि केन्द्रीय सरकार या उक्त अधिनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा, ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई किसी अर्जी या अभ्यावेदन को खारिज करते हुए कोई अन्तिम आदेश कर दिया गया है;

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अर्जी या किए गए अभ्यावेदन की बाबत कोई अन्तिम आदेश पारित नहीं किया गया है, वहां यदि ऐसी तारीख से जिसको ऐसी अर्जी फाइल की गई थी या अभ्यावेदन किया गया था, छह मास की अवधि व्यपगत हो गई है।

परिसीमा।

22. (1) अधिकरण,—

(क) उस दशा में, जिसमें अंतिम आदेश, जो धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (क) में उल्लिखित है, किया गया है, आवेदन तभी ग्रहण करेगा जब ऐसा आवेदन उस तारीख से, जिसको ऐसा अंतिम आदेश किया गया है, छह मास के भीतर किया जाता है;

(ख) उस दशा में जिसमें कोई अर्जी या अभ्यावेदन जो धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित है, किया गया है और उसके पश्चात् ऐसा अन्तिम आदेश किए बिना छह मास की अवधि पर्यवसित हो गई है, कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेगा;

(ग) उस दशा में जिसमें ऐसी शिकायत, जिसकी बाबत कोई आवेदन किया जाता है, उस तारीख से जिसको ऐसे विषय के संबंध में जिससे ऐसा आदेश संबंधित है, इस अधिनियम के अधीन अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्रयोक्तव्य हो जाता है, ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्ष की अवधि के दौरान किए गए किसी आदेश के कारण उद्भूत हुई थी और ऐसी शिकायत को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही उक्त तारीख से पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष प्रारम्भ नहीं हुई थी, कोई आवेदन ग्रहण नहीं करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट छह मास की अवधि के पश्चात् या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की अवधि से पूर्व आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास ऐसी अवधि के भीतर आवेदन न कर पाने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।

1908 का 5

23. (1) अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण को अपनी प्रक्रिया अधिकथित करने और उसे विनियमित करने की शक्ति होगी जिसके अन्तर्गत अपनी जांच का स्थान और समय नियत करना और इस बारे में विनिश्चय करना सम्मिलित है कि बैठक सार्वजनिक रूप से होगी या बन्द कमरे में।

(2) अधिकरण, उसे किए गए प्रत्येक आवेदन, दस्तावेजों, शपथ पत्रों और लिखित अभ्यावेदनों का परिशीलन करने के पश्चात् और ऐसे मौखिक तर्कों को सुनने के पश्चात्, जो उसके समक्ष रखे जाएं, यथासंभव शीघ्रता से विनिश्चय करेगा:

परन्तु जहां अधिकरण उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, आवश्यक समझता है वहां वह मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(3) अधिकरण द्वारा कोई स्थगन ऐसे स्थगन को दिए जाने को न्यायोचित ठहराने वाले कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं दिया जाएगा और यदि कोई पक्षकार दो से अधिक बार स्थगन के लिए अनुरोध करता है तो उसके खर्चे का अधिनिर्णय दिया जाएगा।

दंडादेश की अवधि और अपील पर इसका प्रभाव।

1950 का 46
1957 का 62
1950 का 45

24. (1) इस अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (6) के खंड (क) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित किसी दंडादेश की अवधि की गणना, जब तक कि अधिकरण अन्यथा निदेश न दे उस तारीख से प्रारम्भ की जाएगी, जिसको यह, यथास्थिति, सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 या वायुसेना अधिनियम, 1950 के अधीन प्रारम्भ होती जिसके अधीन वह सेना न्यायालय, जिसके विरुद्ध अपील फाइल की गई है, अधिविष्ट हुआ था।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण से उच्चतम न्यायालय में हुई किसी अपील में किसी अन्य दंडादेश के प्रतिस्थापन के लिए पारित किसी दंडादेश की गणना, जब तक उच्चतम न्यायालय अन्यथा निदेश न दे उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिसको मूल दंडादेश प्रारम्भ होता।

(3) जहां किसी ऐसे व्यक्ति को, जो दंडादेश भोग रहा है, अपील के लंबित रहने तक निलंबन द्वारा या अन्यथा उक्त दंडादेश के प्रवर्तन पर रोक मंजूर कर दी गई है वहां उस अवधि को, जिसके दौरान इस प्रकार दंडादेश पर रोक लगी होने के कारण उसे निर्मुक्त कर दिया गया है, गणना में नहीं लिया जाएगा जिसके लिए उसे, यथास्थिति, अधिकरण या उच्चतम न्यायालय द्वारा इस प्रकार दंडादिष्ट किया गया है।

आवेदक का या अपीलार्थी का विधि व्यवसायी की सहायता लेने का और काउंसेल नियुक्त करने का सरकार, आदि का अधिकार।

25. (1) अधिकरण को आवेदन करने या अपील करने वाला कोई व्यक्ति अधिकरण के समक्ष अपना पक्ष कथन प्रस्तुत करने के लिए स्वयं हाजिर हो सकेगा या अपनी पसंद के किसी विधि व्यवसायी की सहायता ले सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार या सक्षम प्राधिकारी जो विहित किया जाए, काउंसेल के रूप में कार्य करने के लिए एक या एक से अधिक विधि व्यवसायियों को या अपने किसी विधि अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और उसके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अधिकरण के समक्ष, यथास्थिति, आवेदन या अपील के संबंध में उसका पक्ष प्रस्तुत कर सकेगा।

अंतरिम आदेश करने के बारे में शर्त।

26. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी आवेदन पर या अपील पर अथवा उससे संबंधित किसी कार्यवाही में कोई अंतरिम आदेश (चाहे व्यादेश या रोक अथवा किसी अन्य रीति में हो, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि—

(क) यथास्थिति, ऐसे आवेदन या अपील की प्रतियां और ऐसे अंतरिम आदेश के अभिवचन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां उस पक्षकार को नहीं दे दी जाती हैं जिसके विरुद्ध, यथास्थिति, ऐसा आवेदन या अपील की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उस मामले में अन्य पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है:

परन्तु यदि अधिकरण का ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह समाधान हो जाता है कि, यथास्थिति, आवेदक या अपीलार्थी को कोई हानि पहुंचाए जाने से रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो वह खंड (क) और खंड (ख) की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकेगा और आपवादिक उपाय के रूप में अंतरिम आदेश कर सकेगा।

(2) जहां कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर या अपील या उससे संबंधित किसी कार्यवाही में व्यादेश या रोक के रूप में अथवा किसी अन्य रीति में कोई अंतरिम आदेश—

(क) यथास्थिति, ऐसे आवेदन या अपील और ऐसे अंतरिम आदेश के अभिवचन के समर्थन में सभी दस्तावेजों की प्रतियां ऐसे पक्षकार को दिए बिना किया जाता है; और

(ख) ऐसे पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसे आदेश को बातिल करने के लिए अधिकरण के समक्ष कोई आवेदन किए बिना और, यथास्थिति, ऐसे आवेदन या अपील की प्रति, ऐसे पक्षकार को या ऐसे पक्षकार के काउंसेल को जिसके पक्ष में ऐसा आदेश किया गया है, दिए बिना किया जाता है,

वहां अधिकरण आवेदन का निपटारा उस तारीख से, जिसको इसे प्राप्त किया जाता है या उस तारीख से जिसको ऐसे आवेदन की प्रति इस प्रकार दी जाती है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, चौदह दिन की अवधि के भीतर या जहां उस अवधि के अंतिम दिन अधिकरण बन्द रहता है, वहां आगामी कार्य दिवस के अवसान से पूर्व करेगा; और यदि आवेदन का इस प्रकार निपटारा नहीं किया जाता है तो, यथास्थिति, उस अवधि के अवसान पर या उक्त अगले कार्य दिवस के अवसान पर अंतरिम आदेश बातिल हो जाएगा।

अध्यक्ष की एक न्यायपीठ से दूसरी न्यायपीठ को मामले का अंतरण करने की शक्ति।

27. किसी पक्षकार के आवेदन पर और संबंधित पक्षकारों को सूचना देने के पश्चात् तथा उनमें से, जो सुनवाई के इच्छुक हैं, उनको सुनने के पश्चात्, या स्वप्रेरणा से ऐसी सूचना दिए बिना अध्यक्ष एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को उसके निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा।

बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाना।

28. यदि न्यायपीठ के सदस्यों में किसी प्रश्न पर मतभेद है तो उस प्रश्न का विनिश्चय, यदि बहुमत है, तो बहुमत के अनुसार किया जाएगा, किन्तु यदि सदस्यों के मत बराबर हैं तो वे ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेंगे जिनके बारे में उनमें मतभेद हैं और उन्हें अध्यक्ष को निर्देशित करेंगे जो ऐसे प्रश्न या प्रश्नों की स्वयं सुनवाई करेगा या उस मामले को, ऐसे प्रश्न या प्रश्नों पर सुनवाई के लिए अधिकरण के अन्य सदस्यों में से एक या अधिक को निर्देशित करेगा और ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का विनिश्चय अधिकरण के उन सदस्यों के जिन्होंने उस मामले की सुनवाई की है जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने प्रथमत: उस मामले की सुनवाई की थी, बहुमत के अनुसार किया जाएगा।

अधिकरण के आदेश का निष्पादन।

29. इस अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, अधिकरण का आवेदन का निपटारा करने वाला आदेश अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और ऐसा आदेश तदनुसार निष्पादित किया जाएगा।

अध्याय 5

अपील

उच्चतम न्यायालय को अपील।

30. (1) धारा 31 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अधिकरण के अंतिम विनिश्चय या आदेश (धारा 19 के अधीन पारित आदेश से भिन्न) के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में होगी:

परंतु ऐसी अपील उक्त विनिश्चय या आदेश के नब्बे दिनों की अवधि के भीतर की जाएगी:

परंतु यह और कि अधिकरण के अन्तर्वर्ती आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

(2) अधिकरण के, अवमान के लिए दंड देने की अपनी अधिकारिता के प्रयोग में दिए गए किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में अधिकार के रूप में होगी:

परंतु इस उपधारा के अधीन अपील उस आदेश की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, साठ दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में फाइल की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी अपील के लंबित रहने के दौरान उच्चतम न्यायालय यह आदेश कर सकेगा कि—

(क) ऐसे दंड या आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, निष्पादन को निलंबित रखा जाए; या

(ख) यदि अपीलार्थी परिरोध में है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए:

परंतु जहां अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि उसका अपील करने का आशय है वहां अधिकरण, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों का प्रयोग भी कर सकेगा।

अपील करने की इजाजत।

31. (1) उच्चतम न्यायालय को अपील, अधिकरण की इजाजत से होगी; और ऐसी इजाजत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक अधिकरण द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता है कि विनिश्चय में जनसाधारण के महत्व का विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित है या उच्चतम न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई प्रश्न ऐसा है जिस पर उस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

(2) उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन अधिकरण के विनिश्चय की तारीख से प्रारंभ होने वाली तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा और इजाजत के लिए उच्चतम न्यायालय को आवेदन उस तारीख से जिसको अधिकरण द्वारा इजाजत देने के लिए आवेदन को खारिज किया गया है, आरंभ होने वाली तीस दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) अपील को, तब तक लंबित समझा जाएगा जब तक अपील करने के लिए इजाजत के आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता है और यदि अपील के लिए इजाजत मंजूर हो जाती है तो जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता है और अपील करने के लिए इजाजत के आवेदन का, उस समय के अवसान पर जिसके भीतर इसे किया गया होता, किन्तु उस समय के भीतर इसे नहीं किया गया है, निपटारा किया गया समझा जाएगा।

माफी।

32. उच्चतम न्यायालय अपीलार्थी द्वारा किसी समय किए गए आवेदन पर उस समय को बढ़ा सकेगा जिसके भीतर धारा 30 या धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन उस न्यायालय को उसके द्वारा अपील की जा सकेगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का अपवर्जन।

33. ऐसी तारीख से ही जिससे इस अधिनियम के अधीन सेवा संबंधी मामलों के संबंध में कोई अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार अधिकरण द्वारा प्रयोक्तव्य हो जाते हैं, किसी सिविल न्यायालय को उन सेवा संबंधी मामलों के संबंध में ऐसी अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा या वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

लंबित मामलों का अंतरण।

34. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण की स्थापना की तारीख से ठीक पहले किसी न्यायालय के समक्ष, जिसके अन्तर्गत उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकारी भी है, लंबित प्रत्येक वाद या

अन्य कार्यवाही, जो ऐसा वाद या कार्यवाही है, जिस पर वाद हेतुक आधारित है कि यह अधिकरण की अधिकारिता के अंतर्गत होता यदि वह ऐसे अधिकरण की अधिकारिता के भीतर ऐसी स्थापना के पश्चात् उद्भूत होता, ऐसे अधिकरण को उस तारीख को अंतरित हो जाएगी।

(2) जहां कोई वाद या अन्य कार्यवाही, उपधारा (1) के अधीन किसी न्यायालय से, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय या अन्य प्राधिकारी भी है, अधिकरण को अंतरित हो गई है वहां,—

(क) ऐसा न्यायालय या अन्य प्राधिकारी ऐसे अंतरण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही के अभिलेख अधिकरण को भेजेगा;

(ख) अधिकरण, ऐसे अभिलेखों की प्राप्ति पर, ऐसे वाद या अन्य कार्यवाही में, जहां तक हो सके, उसी रीति से जिससे धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन की दशा में कोई कार्यवाही की जाती है, उस प्रक्रम से, जिस पर वह ऐसे अंतरण से पहले थी या किसी पूर्वतर प्रक्रम से या नए सिरे से, जो अधिकरण ठीक समझे, कार्यवाही कर सकेगा।

कतिपय अपीलों को फाइल करने के लिए उपबंध।

35. जहां कोई डिक्री या आदेश अधिकरण की स्थापना से पूर्व किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न) या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किसी ऐसे वाद या कार्यवाही में की गई है या पारित किया गया है जो ऐसा वाद या कार्यवाही है जिसका वाद हेतुक, उस पर आधारित है, कि यदि वह ऐसी स्थापना के पश्चात् उद्भूत हुआ होता तो अधिकरण की अधिकारिता के भीतर होता और ऐसी डिक्री या आदेश के विरुद्ध कोई अपील ऐसी स्थापना के पूर्व नहीं की गई है या यदि की गई है तो वह किसी न्यायालय, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय भी है, के समक्ष निपटारे के लिए लंबित है और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी अपील करने के लिए समय ऐसी स्थापना के पूर्व समाप्त नहीं हुआ है, वहां ऐसी अपील अधिकरण को उस तारीख से, जिसको अधिकरण स्थापित किया जाता है, नब्बे दिन के भीतर या ऐसी डिक्री या आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी।

अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों का न्यायिक कार्यवाही होना।

36. अधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा 193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी। 1860 का 45

अधिकरण के सदस्यों और कर्मचारिवृन्द का लोक सेवक होना।

37. अधिकरण का अध्यक्ष, अन्य सदस्य और धारा 13 के अधीन अधिकरण को उपलब्ध कराए गए अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

38. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केंद्रीय सरकार या अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य अथवा अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

39. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट इससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

40. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

41. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) ऐसा मामला या ऐसे मामले जिनका विनिश्चय धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन दो से अधिक सदस्यों से मिलकर बनाई गई न्यायपीठ द्वारा किया जाएगा;

(ख) अध्यक्ष या अन्य सदस्य के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने की धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन प्रक्रिया;

(ग) धारा 10 के अधीन अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(घ) ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां, जिनका अध्यक्ष धारा 12 के अधीन अधिकरण की न्यायपीठों पर प्रयोग कर सकेगा;

(ङ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(च) वह प्ररूप, जिसमें धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जा सकेगा, आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज और अन्य साक्ष्य तथा ऐसा आवेदन फाइल करने की बाबत या आदेशिका के निष्पादन की तामील की बाबत संदेय फीस;

(छ) ऐसे अन्य विषय, जो धारा 14 की उपधारा (4) के खंड (झ) के अधीन विहित किए जाएं;

(ज) वह प्ररूप और रीति, जिसमें अपील फाइल की जा सकेगी, उस पर संदेय फीस और वह समय जिसके भीतर धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन ऐसी अपील फाइल की जा सकेगी;

(झ) वे नियम, जिनके अधीन रहते हुए अधिकरण को धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी;

(ञ) ऐसा सक्षम प्राधिकारी जो धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन काउंसेल के रूप में कार्य करने के लिए विधि व्यवसायी या विधि अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किए जाएं या जिनके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा नियम बनाए जाने अपेक्षित हैं।

भूतलक्षी रूप से नियम बनाने का शक्ति।

42. धारा 41 के अधीन नियम बनाने की शक्तियों के अंतर्गत ऐसे नियमों को या उनमें से किसी नियम को भूतलक्षी रूप से ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति भी है जो उससे पूर्व की तारीख नहीं होगी जिसको यह अधिनियम प्रवर्तन में आएगा किंतु किसी ऐसे नियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव इस प्रकार नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जिसको ऐसा नियम लागू हो सकेगा।

नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

43. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में, अथवा दो या अधिक आनुक्रामिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 9)

[28 मार्च, 2008]

परिसीमन अधिनियम, 2002
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह 14 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 10 का संशोधन।

2002 का 33

2. परिसीमन अधिनियम, 2002 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 10 में,—

(i) उपधारा (4) में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु इस उपधारा की कोई बात झारखंड राज्य के संबंध में प्रकाशित परिसीमन आदेशों को लागू नहीं होगी।";

(ii) उपधारा (6) में, "आयोग के गठन से दो वर्ष के भीतर" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के भीतर जो 31 जुलाई, 2008 के बाद की नहीं होगी" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

नई धारा 10क और धारा 10ख का अंत:स्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

कतिपय मामलों में परिसीमन का आस्थगन।

"10क. (1) धारा 4, धारा 8 और धारा 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत की एकता और अखंडता संकट में है या शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है, तो वह, आदेश द्वारा, किसी राज्य में परिसीमन कार्रवाई को आस्थगित कर सकेंगी।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

झारखंड राज्य की बाबत परिसीमन आयोग के आदेश का कोई विधिक प्रभाव न होना।

10ख. धारा 10 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, झारखंड राज्य की बाबत आदेश ओ॰एन॰ 63(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2007 और ओ॰एन॰ 110(अ), तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा उक्त धारा के अधीन प्रकाशित स्थानों की संख्या के पुन: समायोजन और निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अंतिम आदेशों का कोई विधिक प्रभाव नहीं होगा और उक्त आदेशों के प्रकाशन से पूर्व यथा विद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, परिसीमन (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के पश्चात् कराए गए, यथास्थिति, लोक सभा या विधान सभा के लिए प्रत्येक निर्वाचन के संबंध में वर्ष 2026 तक प्रवृत्त बना रहेगा।"।

निरसन और व्यावृत्तियां।

4. (1) परिसीमन (संशोधन) अध्यादेश, 2008 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2008 का अध्यादेश 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 12)

[28 मार्च, 2008]

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2008 है।

(2) यह 7 फरवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 6 का संशोधन।

1990 का 25

2. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 की धारा 6 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) अध्यक्ष अंशकालिक बोर्ड सदस्य होगा और अपने पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा:

परंतु प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के ठीक पूर्व अध्यक्ष का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जहां तक उसकी नियुक्ति इस उपधारा के उपबंधों से असंगत है, ऐसे प्रारंभ पर ऐसे अध्यक्ष के रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा और इस प्रकार अपने पद पर न रहने के कारण किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।";

(ख) उपधारा (2) में "कार्यपालक बोर्ड सदस्य" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2क) कार्यपालक बोर्ड सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होगा और अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा:

परंतु प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अधिनियम, 2008 के प्रारंभ के ठीक पूर्व कार्यपालक बोर्ड सदस्य का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति, जहां तक उसकी नियुक्ति इस उपधारा के उपबंधों से असंगत है, ऐसे प्रारंभ पर ऐसे कार्यपालक बोर्ड सदस्य के रूप में अपने पद पर नहीं रहेगा और इस प्रकार अपने पद पर न रहने के कारण किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।"।

निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन अध्यादेश, 2008 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2008 का अध्यादेश 5

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी। 1990 का 25

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 13)

[28 मार्च, 2008]

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह 7 फरवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 3 का संशोधन।

2006 का 34

2. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (यड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(यड) "सदस्य" के अंतर्गत खाद्य प्राधिकरण का कोई अंशकालिक सदस्य और अध्यक्ष भी हैं;'।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(4) खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य, जिसके अंतर्गत पदेन सदस्यों से भिन्न अंशकालिक सदस्य भी हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।

(5) खाद्य प्राधिकरण का अध्यक्ष कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।"।

धारा 7 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु अध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा।"।

निरसन और व्यावृत्ति।

5. (1) खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2008 का अध्यादेश 6

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 14)

[1 अप्रैल, 2008]

अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

सं० आ० 22

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 के भाग 18 का संशोधन।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित भाग 18 की प्रविष्टि 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

"4. निशी"।

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 15)

[1 अप्रैल, 2008]

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

धारा 8 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। चिकित्सीय बोनस का संदाय।

1961 का 53

2. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में, धारा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"8. (1) यदि नियोजक द्वारा प्रसवपूर्व रखने और प्रसवोत्तर देखरेख की कोई भी व्यवस्था निःशुल्क न की गई हो तो इस अधिनियम के अधीन प्रसूति प्रसुविधा की हकदार हर स्त्री अपने नियोजक से एक हजार रुपए का चिकित्सीय बोनस पाने की भी हकदार होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक तीन वर्ष के पूर्व, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, चिकित्सीय बोनस की रकम को, बीस हजार रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए, बढ़ा सकेगी।"।

के॰ डी॰ सिंह,
सचिव, भारत सरकार।

भाग ४ (ग)—कुछ नहीं

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.